

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

09 मार्च, 2018

खण्ड-1, अंक-6

अधिकृत विवरण



विषय सूची

शुक्रवार, 09 मार्च, 2018

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	3
जिला कुरुक्षेत्र के विभिन्न डी.ए.वी. विद्यालयों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन	6
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	6
सौउथआल गुरुद्वारा (लंदन) के प्रधान का अभिनन्दन	9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	9
अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, चण्डीगढ़, अध्यक्ष, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, चण्डीगढ़ तथा इज़राइल के वास्तुकला के विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमण्डल का अभिनन्दन	20
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	21
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	28
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	44
वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	60
बजट अनुमान की सॉफ्ट प्रतियां उपलब्ध करवाने तथा विधेयकों को उपलब्ध करवाने के संबंध में निर्देश	104

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 09 मार्च, 2018

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैकटर-1,
चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Number of Registered Labourers

***2391 Shri Abhe Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state-

- (a) the number of registered labourers in the State togetherwith the amount of Labour Welfare Funds available at present in the state;
- (b) the steps taken or likely to be taken by the Government to ensure the maximum registration of labourers in the state;
- (c) whether there is any proposal to start new schemes to extended maximum benefit to the labourers from available funds; and
- (d) the time by which a permanent district labour office is likely to be established at Narnaul?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) :

- (क) विभाग की बैवसाईट पर 22.02.2018 तक विभिन्न औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं के 13,00,771 कर्मचारियों का विवरण अपलोड किया जा चुका है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के पास दिनांक 22.02.2018 तक 294.93 करोड़ रुपये की कुल श्रम कल्याण निधि उपलब्ध है।
- (ख) औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं को समय—2 पर अपनी सूचना वैबसाईट पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिये जाते रहे हैं। गुरुग्राम तथा फरीदाबाद जिलों के कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने के लिए दिनांक 23.01.2018 से 09.02.2018 तक एक विशेष अभियान आयोजित किया गया था।
- (ग) हाँ, श्रीमान् जी।
- (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

डॉ० अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने श्रमिकों के अति संवेदना वाले विषय को प्रश्न के माध्यम से सदन में उठाया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जो कुछ अभी लेबर्ज के संबंध में सदन में बताया है उससे ऐसा लगता है कि शायद मंत्री जी केवल इंडस्ट्रियल लेबर्ज की ही बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भवन निर्माण के कार्य में जो लेबर्ज काम कर रही है, क्रेशर जोंस पर जो लेबर्ज काम कर रही हैं और माइनिंग के क्षेत्र में जो लेबर्ज काम कर रही हैं, उन सबकी ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक बहुत ही वीभत्स हादसा हुआ था जिसमें 11 लेबर्ज की डैथ हो गई थी। जब लेबर डिपार्टमैंट द्वारा पीड़ितों को सहायता राशि देने की बात आई थी तो इन 11 लेबर्ज में से 2 लेबर्ज तो रजिस्टर्ड थे और 9 लेबर्ज अनरजिस्टर्ड थे और इस प्रकार रजिस्टर्ड ओर अनरजिस्टर्ड लेबर्ज की सहायता राशि में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला था। रजिस्टर्ड लेबर्ज को 5 लाख रुपये सहायता राशि दी गई जबकि अनरजिस्टर्ड लेबर्ज को मात्र 1-1 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई थी। मैंने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री व लेबर मिनिस्टर से रूल्ज में अमेंडमैंट करके पीड़ित अनरजिस्टर्ड लेबर्ज को मुआवजा देने बारे निवेदन भी किया था, चलो यह तो पुरानी बात हुई लेकिन कहने का भाव यही है कि जब इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है, तब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड होने के फायदे-नुकसान का पता चलता है। भवन निर्माण के कार्य में जो लेबर्ज काम करते हैं, उनकी हालत बड़ी दयनीय है। जब मैं सुबह सैर के लिए जाता हूँ तो रास्ते में एक झोपड़ियों वाला एरिया आता है, यद्यपि हरियाणा प्रदेश ओ.डी.एफ. के क्षेत्र में काफी अग्रसर है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर मोबाईल टॉयलेट्स का भी प्रबंध करवा रखा है लेकिन प्रोपर सफाई व पानी के अभाव में सुबह-सुबह आदमी व औरतें बोतलें और डिब्बे लेकर बाहर शौच के लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, विडंबना देखिए, इन लेबर्ज की हैत्थ चैकअप तक का कोई इंतजाम नहीं है। हमारे लेबर वैलफेयर डिपार्टमैंट के पास बहुत सारा पैसा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये क्रैशर जोन भवन निर्माण कार्य में लगे लेबर की रजिस्ट्रेशन करवायेंगे? इनमें काम करने वाली लेबर मोस्टली अनपढ़ होती है। मेरे ख्याल से यह सोचना कि वे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्वयं करवा लेंगे, ठीक नहीं है। इंडस्ट्रीज में लगी हुई लेबर की तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकती है लेकिन जो लेबर खानों, क्रैशर इत्यादि में काम करते हैं वे लेबर वैलफेयर

डिपार्टमेंट में अपने आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इनका रजिस्ट्रेशन करवायें । दूसरा, मैं नारनौल में श्रमिकों के लिए श्रम आयुक्त का दफतर खोलने के बारे में जानना चाहता हूं । वहां पर माइनिंग का काम बहुत होता है और वहां पर बड़े-बड़े क्रैशर जोन स्थापित हैं । वहां पर लेबर वैलफेयर का दफतर नहीं है । मेरा प्रश्न है कि इनमें जो लेबर काम करती है उनका कौन हिसाब रखेगा, कृपया स्पष्ट करें ?

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जिस लेबर की बात सदन में उठाई है वह लेबर हमारे विभाग में कवर नहीं होती है । मैं माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने 'हरियाणा सिलीकोसिस पुनर्वास नीति' योजना शुरू की है । यह योजना बनाने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है । इस योजना के तहत स्टोन क्रैशर, कोयला खान, डस्ट इंडस्ट्रीज में काम करने वाले सभी मजदूरों का हैल्थ चैक अप किया जाता है । हमारा विभाग डॉक्टर्स की टीम द्वारा मजदूरों की सिलीकोसिस बीमारी का पता लगाता है । क्रैशर जोन में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में वहां उठने वाली धूल जम जाती है जिससे वे सिलीकोसिस बीमारी के शिकार हो जाते हैं । पिछले दिनों जब हमने मजदूरों का चैक अप किया तो 47 श्रमिक ऐसे मिले जो इस बीमारी से पीड़ित थे । हमने उन सभी पीड़ितों को सोनीपत में बुलाकर उनको 5-5 लाख रुपये के चैक वितरित किये । दूसरे फेज में हमने चैक अप करवाये और पीड़ितों को 6 करोड़ 72 लाख रुपये के चैक वितरित किये । हम समय-समय पर इस तरह के चैक अप्स करवाते रहते हैं । अभी हमारे विधायक महोदय ने इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन की बात उठाई थी । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग में ऐसे 7 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं और 4 लाख 15 हजार आधार से लिंक्ड लाइव वर्कर हैं । हमारा विभाग इन तक समय-समय पर अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करता है । श्रमिकों के पहली कक्षा से ग्रैजुएशन तक पढ़ने वाले बच्चों को हमारा विभाग 3 हजार से 12 हजार रुपये की स्कॉलरशिप देता है । पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर श्रमिकों का कोई बच्चा पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट बनना चाहता है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी हमारे विभाग द्वारा वहन किया जाएगा । उनके माँ-बाप को उनकी शिक्षा के लिए एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है । हमारी सरकार लेबर के लिए 23 ऐसी योजनाएं चला रही हैं

जिनका सीधा—सीधा लाभ श्रमिकों को मिलता है। अगर किसी श्रमिक की बेटी की शादी हो तो उसको हमारी सरकार 51 हजार रुपये देती है। इसी तरह श्रमिक के बेटे की शादी में हमारी सरकार 21 हजार रुपये का योगदान देती है। इसके अतिरिक्त भी हमने बहुत—सी योजनाएं शुरू की हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को 1150 कैलोरी का भोजन सिर्फ 10 रुपये में उपलब्ध कराना शुरू किया है। हमने इस सब्सिडाइज्ड 10 रुपये के भरपेट भोजन के लिए सोनीपत, गुडगांव, फरीदाबाद, यमुनानगर और हिसार में कैटीन खोली हैं। हम माननीय विधायक महोदय की चिंता के अनुसार श्रमिकों को समय—समय पर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। माननीय सदस्य ने लेबर के लिए लेबर वैलफेर डिपार्टमेंट का ऑफिस खोलने की बात उठाई है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग का ऑफिस इण्डस्ट्रियल जोन में खोला जाता है। नारनौल में इण्डस्ट्रियल जोन नहीं है। हमारे विभाग के अधिकारी रिवाड़ी, मानेसर में बैठते हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं इनके क्षेत्र के नजदीक लगाने वाले हमारे विभाग के ऑफिस की लिस्ट इनको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल वहां पर हमारे विभाग का ऑफिस खोलने का कोई विचार नहीं है।

जिला कुरुक्षेत्र के विभिन्न डी.ए.वी. विद्यालयों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष जी, आज कुरुक्षेत्र जिले के अलग—अलग स्थानों से डी.ए.वी. स्कूलों के विद्यार्थी और अध्यापकगण सदन की कार्यवाही देखने आये हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री महोदय से मूल प्रश्न लेबर की रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में था। मेरी जानकारी के अनुसार नारनौल के क्रैशर जोन और भवन निर्माण साइट्स पर काम करने वाली लेबर के लिए कोई दफ्तर नहीं है। अतः मेरा कहना यही है कि वहां पर 5—7 दिन का कैम्प लगाकर लेबर का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए क्योंकि वहां पर लेबर की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने बतायी कि लेबर कमिशनर का ऑफिस केवल इण्डस्ट्रियल जोन में खोला जाता है। अगर वहां पर ऑफिस नहीं खोला जाएगा तो मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि वहां पर क्रैशर और माइन्स में जो लेबर काम करती है, उनके कल्याण का काम कौन देखेगा?

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष जी, माननीय विधायक महोदय ने नारनौल में ऑफिस के लिए चिन्ता व्यक्त की है। लेबर कमिश्नर का ऑफिस खोलने का काम हमारा श्रम विभाग ही करता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो लेबर भवन निर्माण का काम करती है उनका रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग में ही होता है। इसके लिए हमने अलग से जागरूकता कैम्प भी चलाए हुए हैं। वर्ष 2007–2014 तक हरियाणा प्रदेश में मात्र 19,841 ऐसे श्रमिक थे जिनको योजनाओं का बैनीफिट दिया गया था। उनको कुल 97 करोड़, 72 लाख रुपये दिये गए थे। इसके बाद वर्ष 2014–18 तक हमने शहजादपुर, नारायणगढ़, फतेहाबाद, फिरोजपुर–झिरका, नूंह, सिवानी आदि स्थानों पर 'मजदूर जागरूकता सम्मेलन' कैम्प लगाकर मजदूरों को बैनीफिट दिया। हमने अपनी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 3,46,915 श्रमिकों के खाते में 321 करोड़ 21 लाख रुपये विभिन्न योजनाओं के तहत ट्रांसफर करवाये हैं। जहां तक नारनौल में लेबर कमिश्नर ऑफिस खोलने की बात है तो हम उसकी फिजीबिलिटी चैक करवा लेते हैं। वैसे रेवाड़ी में हमारा डिप्टी लेबर कमिश्नर (डी.एल.सी.) बैठता है। वहां पर लेबर का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। नारनौल में लेबर काफी ज्यादा है। अतः माननीय विधायक महोदय की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए अगर वहां पर ऑफिस खोलने की फिजीबिलिटी हुई तो एक ऑफिस खोल दिया जाएगा और एक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया जाएगा।

डॉ. अभ्य सिंह यादव : अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर वहां पर लेबर कमिश्नर ऑफिस की फिजीबिलिटी न बनती हो और ऑफिस न खोला जा सके तो वहां पर कम से कम एक लेबर इन्सपैक्टर लगा दिया जाए। इसके अतिरिक्त वहां पर लेबर की रजिस्ट्रेशन का काम अवश्य शुरू करवा दिया जाए।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन–जिन एरियाज में कंस्ट्रक्शन्ज एकिटविटीज चल रही हैं उन एरियाज में विभाग द्वारा जागरूकता कैम्प लगवाकर रजिस्ट्रेशंज ऑन दा स्पॉट किये जाएं। हमारी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और इन योजनाओं का प्रचार–प्रसार ऐसे एरियाज में ज्यादा से ज्यादा करवाया जाए जहां पर स्लम एरियाज हैं और कंस्ट्रक्शन्ज लेबर रहती है।

श्री नायब सैनी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है।

Criteria for Fixing Cost of Production

***2489. Shri Ranbir Gangwa :** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state –

(a) the criteria to fix the cost of production of cotton, millet (Bajra), wheat and mustard crops; and

(b) the arrangements made by the Government to ensure MSP to the farmers of their produce in the State?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हाँ श्रीमान जी,

(क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों, अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ उचित चर्चा के बाद कपास, बाजरा, गेहूं और सरसों के उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है।

(ख) बाजरा, सरसों और कपास के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान खाता भुगतान कर्ता चेक द्वारा किया जाता है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान बिलिंग–सह–भुगतान एजेंट और हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड (हैफेड) मंडियों में सोसायटी के माध्यम से किया जाता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारे माननीय सदस्य श्री रणबीर गंगवा जी ने ऐसा प्रश्न पूछा है जो पिछले 3 साल के दौरान किसी भी माननीय सदस्य ने सदन में नहीं पूछा है। इस प्रश्न के पूछने का कारण यह है कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने पहली बार यह घोषणा की है कि आने वाली खरीफ की फसल से फसलों के दाम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ किसानों को देंगे। इस कारण देश में एक नयी बहस शुरू हो रही है कि फसलों की लागत क्या है और लागत कैसे कैल्कुलेट कैसे की जाती है? मुझे इस बात की खुशी है कि किसान की माईक्रो इकॉनामी पर हाउस चिन्ता कर रहा है। हमारे माननीय सदस्य भी चिन्ता कर रहे हैं और इस विषय पर सदन में बात हो रही है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कपास, बाजरा गेहूं और सरसों की फसल का उत्पादन लागत निर्धारित करने के मापदण्ड क्या हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह लागत तीन तरह से

कैल्कुलेट करते हैं। एक लागत तो केवल इनपुट कॉस्ट के आधार पर कैल्कुलेट की जाती है जिसमें किसान बीज, खाद, दवाई, पैस्टीसाईड, विडीसाईड और अन्य सामान खरीदकर यूज करता है। इसके अलावा जो मजदूरी लगती है, चाहे वह मजदूरी परिवार के सदस्यों ने की है, या चाहे वह मजदूरी बाहर के लोगों ने की है उस मजदूरी के आधार पर लागत को कैल्कुलेट किया गया है। तीसरी प्रकार की लागत में संबंधित जमीन का किराया भी शामिल किया जाता है क्योंकि इसमें संबंधित किसान को लैंड लैस फार्मर मानते हुए जमीन के रैन्ट को भी शामिल किया गया है। यह सी—2 प्रकार की लागत है। प्रश्न के दूसरे हिस्से में माननीय सदस्य ने पूछा है कि किसानों के उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये हैं ? मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से 3 बड़ी क्रॉप सामान्यतः हर बार ही खरीदी जा रही हैं जिसमें धान, गेहूं और गन्ने की फसल शामिल हैं और बाकी सब फसलें को क्रमशः बाजरा, सरसों और मूँग को खरीदने का काम सरकार बनने से ही शुरू कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त अबकि बार सरसों की फसल की खरीद 15 तारीख से पहले शुरू हो सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है तथा किसानों को उसकी फसलों के भाव एम.एस.पी के आधार पर मिल जाएं, उसको सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है।

सॉऊथआल गुरुद्वारा (लंदन) के प्रधान का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, आज यू.के., लंदन के सॉऊथआल गुरुद्वारा के प्रधान सरदार मल्ही सदन की कार्यवाही देखने हेतु हरियाणा विधान सभा की वी.आई.पीज. गैलरी में बैठे हैं। मैं सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वे किसानों की आय दोगुना करने जा रहे हैं। अगर यह बात पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह बात प्रत्येक माननीय सदस्य चाहता है, हमारे प्रदेश के सभी नागरिक चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपके सरकारी आकलन के अनुसार किसानों की फसलें क्रमशः कपास, बाजरा, सरसों और गेहूं का लागत मूल्य और

उसका एम.एस.पी. क्या है ? दूसरी बात यह है कि आपने फसलों का एम.एस.पी. निर्धारित तो कर दिया है, लेकिन पिछले साल सरकार द्वारा बाजरे की फसल खरीदी गई तो सरकार ने कैप लगा दिया था और कहा गया कि किसानों का एक एकड़ के हिसाब से 4 किंवंटल से ज्यादा बाजरा नहीं खरीदा जाएगा । इसलिए किसान जो फसल पैदा करता है अगर उस फसल को एम.एस.पी के हिसाब से खरीदा ही नहीं जाएगा तो हम किस तरह से किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकारी आंकलन के अनुसार किसान की फसल का लागत मूल्य क्या है और सरकार उस पर कितना एम.एस.पी. दे रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने सरसों पर एम.एस.पी. तो निर्धारित कर दी लेकिन किसानों को उसकी बिक्री मार्केट में कम कीमत पर करनी पड़ रही है। अगर किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में जाता है तो उससे उसकी फर्द मांगी जाती हैं। मैं बस यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आने वाले समय में बिना किन्तु-परन्तु किए और किसानों को बिना पटवारी के चक्कर लगाए, उनकी फसल को खरीदने का काम करेंगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो पूरक प्रश्न पूछे हैं, उसके दो हिस्से हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं देश में इस विषय पर ध्यान देने वाले विद्यार्थी में से हूं। अध्यक्ष महोदय, एम.एस.पी. कैसे तय किया जाता है, उसकी सारी डिटेल सी.ए.सी.पी. की वैबसाइट पर डाली हुई है। एम.एस.पी. कैल्कुलेट करने के 6 इम्पॉर्टेट प्वायंट्स होते हैं, जिसके आधार पर एम.एस.पी. तय किया जाता है जैसे— फसल की मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, देशी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव क्या है, इंटर क्रॉप प्राइस प्रायोरिटी मतलब सरकार कौन-सी फसल को ज्यादा उगवाना चाहती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिट्वीन एग्रीकल्चर एण्ड नॉन-एग्रीकल्चर मतलब जिनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है उनको इनपुट सस्ता मिले, लाइकली इम्लीकेशन ऑफ एम.एस.पी. ऑन द कन्ज्युमर मतलब जिस ग्राहक को गेहूं या बाजरे आदि को यूज करना है उसका भाव ऊंचा न चला जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में बहुत द्वंद्व के साथ शामिल होता हूं कि किसानों को क्या लाभ होगा, इसके बारे में इन 6 प्वायंट्स में कोई बात नहीं की गई है। इन प्वायंट्स में डिटरमाइन करने के लिए वे पैरामीटर्स ही नहीं थे कि

किसानों को कितना प्रतिशत प्रॉफिट दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक स्वामीनाथन आयोग बना जिसकी आजकल खूब चर्चा होती है और इसे कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2006 में दे दी थी और कांग्रेस पार्टी वर्ष 2014 तक सरकार में रही। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। मैं उस रिपोर्ट के लिए आंदोलन करने वालों में से एक हूं। मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार यह तय हो रहा है कि सी.ए.सी.पी. जिस आधार पर किसानों की फसलों का भाव तय करेगी उसमें किसानों के लिए 50 प्रतिशत प्रॉफिट जोड़ा जाएगा, जो इन 6 प्वायंट्स में शामिल होगा। यह किसानों के हक के लिए बहुत बड़ी बात है जो सी.ए.सी.पी. में वर्ष 1966 से लेकर अभी तक नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, कॉस्ट-ऑफ-प्रोडक्शन इन 6 प्वायंट्स में से केवल एक प्वायंट था, इसलिए भिन्न-भिन्न राज्य सरकारें केवल ज्यादा—से—ज्यादा कॉस्ट-ऑफ-प्रोडक्शन बताने की कोशिश करती थी। वे सोचती थीं कि अगर हम कॉस्ट-ऑफ-प्रोडक्शन बढ़ा—चढ़ाकर बताएंगे तो हो सकता है कि हमें 10 रुपए या 20 रुपए ज्यादा मिल जाए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट का जिक्र नहीं था। हरियाणा राज्य सरकार के समेत भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों ने अपनी कॉस्ट-ऑफ-प्रोडक्शन हर बार जो वास्तविक कॉस्ट-ऑफ-प्रोडक्शन है उससे ज्यादा बताई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो सी.ए.सी.पी. है वह अपने लैवल पर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैल्कुलेशन करती है, वह केवल राज्य सरकारों की रिकमंडेशन पर डिपेंड नहीं करती है। सी.ए.सी.पी. अपने आधार पर कॉस्ट-ऑफ-प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करके पूरे देश का एक औसत निकालती है और उस औसत के आधार पर वह अपना भाव तय करती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है उसका मैं उत्तर मैं देना चाहता हूं कि हमने बाजरे की फसल का रिकमंडेशन वर्ष 2008–2009 में 1000 रुपए प्रति किवंटल एम.एस.पी. किया था और किसान को 840 रुपए का भाव मिला था, वर्ष 2009–2010 में 1050 रुपए प्रति किवंटल एम.एस.पी. रिकमंड किया गया था और किसान को 840 रुपए का भाव मिला था। इसी तरह से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में 1050 रुपये प्रति किवंटल एम.एस.पी. रिकमंड किया गया था और किसान को 880 रुपये का भाव मिला था, 2011–12 में 1175 रुपये प्रति किवंटल एम.एस.पी. रिकमंड किया गया था और किसान को 980 रुपये का भाव मिला था। 2015–16 में 1557 रुपये प्रति किवंटल एम.एस.पी.

रिकमंड किया गया था और किसान को 1275 रुपये का भाव मिला था । 2016–17 में 1683 रुपये प्रति किंवंटल एम.एस.पी. रिकमंड किया गया था और किसान को 1330 रुपये का भाव मिला था । इस तरह से जो राज्य सरकार की रिकमंडेशंज रही हैं उससे किसान को भाव काफी कम मिलता रहा है । सभी राज्य प्रैशर बनाने के लिए एम.एस.पी. बढ़ाकर बताते हैं ताकि किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल सकें । ऐसा केवल एक फसल के लिए नहीं होता बल्कि सभी फसलों में ऐसा ही होता है । यदि माननीय सदस्य पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो पूरे आंकड़े मेरे पास हैं । (विध्न)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जिस तरह से बाजरे की फसल के मूल्य की जानकारी दी उसी तरह से गेहूं कपास और सरसों की फसलों के बारे में भी जानकारी दे दें कि इनकी उपज पर प्रति किंवंटल कितना खर्च आता है ? (विध्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानकारी दे रहा हूं कि इन चारों फसलों का लागत मूल्य प्रदेश सरकार ने क्या रिकमंड किया था और क्या भाव किसानों को मिला है ? मैं इसमें आगे जानकारी देना चाहूंगा कि कपास के लागत मूल्य की रिकमंडेशंज पिछले सालों में 3000, 3050, 3100, 3150, 3900, 4200, 4500, 5363, 5775 रुपये प्रति किंवंटल की गई लेकिन 3000, 3300, 3900, 4000, 4160 रुपये प्रति किंवंटल का भाव किसानों को मिला और आज के दिन 4320 रुपये प्रति किंवंटल का भाव तय है । इसी तरह से गेहूं के लागत मूल्य की रिकमंडेशंज पिछले सालों में 1200, 1250, 1275, 1500, 1650, 1750, 2000 और 2172 रुपये प्रति किंवंटल की गई लेकिन 1080, 1100, 1120, 1285, 1350, 1450, 1525, 1625 रुपये प्रति किंवंटल के हिसाब से भाव मिला और आज के दिन 1735 रुपये प्रति किंवंटल का भाव तय है । इसी तरह से सरसों के लागत मूल्य की रिकमंडेशंज पिछले सालों में 2400, 2425, 2450, 3000, 3200, 3800, 4100, 4600 रुपये प्रति किंवंटल की गई लेकिन 1830, 1850, 2500, 3000 रुपये का भाव प्रति किंवंटल के हिसाब से मिला और आज के दिन 4000 रुपये प्रति किंवंटल का भाव तय है । इसमें 100 रुपये प्रति किंवंटल का बोनस भी शामिल है । इसी ट्रैंड के अनुसार सभी फसलों का भाव तय होता रहा है । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारों की रिकमंडेशंज लेने के बाद सी.ए.सी.पी. अपनी कलकूलेशन करती है । सी.ए.सी.पी. के अनुसार गेहूं की इनपुट लागत 642 रुपये प्रति किंवंटल है । लेबर और जमीन

का किराया इसमें शामिल नहीं है। यदि इसमें मजदूरी शामिल कर दी जाये तो यह लागत 817 रुपये प्रति किवंटल हो जाती है और इसमें जमीन का किराया जोड़ दिया जाये तो यह लागत 1256 रुपये प्रति किवंटल हो जाती है। आज के दिन गेहूं का एम.एस.पी. 1735 रुपये प्रति किवंटल तय है। इस तरह से सी.ए.सी.पी. के अनुसार आज के दिन किसानों को पूरी लागत पर 38 प्रतिशत का मुनाफा हो रहा है।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 1638 रुपये प्रति किवंटल गेहूं का लागत मूल्य है जिसमें सारे खर्च जोड़े हुए हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं सी.ए.सी.पी. के आंकड़ों की जानकारी दे रहा हूं। इसी तरह से सी.ए.सी.पी. के अनुसार सरसों की इनपुट लागत 1354 रुपये प्रति किवंटल है। लेबर और जमीन का किराया इसमें शामिल नहीं है। यदि इसमें मजदूरी शामिल कर दी जाये तो यह लागत 2123 रुपये प्रति किवंटल हो जाती है और इसमें जमीन का किराया जोड़ दिया जाये तो यह लागत 3086 रुपये प्रति किवंटल हो जाती है। आज के दिन सरसों का भाव 4000 रुपये प्रति किवंटल का भाव तय हुआ है और किसानों को इसमें 29 प्रतिशत का फायदा हो रहा है। इसी तरह से सी.ए.सी.पी. के अनुसार बाजरे की फसल की लागत इनपुट और लेबर मिलाकर 949 रुपये प्रति किवंटल है। यदि इसमें जमीन का किराया जोड़ दिया जाये तो यह लागत 1278 रुपये प्रति किवंटल हो जाती है। आज के दिन बाजरे का भाव 1425 रुपये प्रति किवंटल दिया जा रहा है और इसमें किसान को साढ़े बारह प्रतिशत का मुनाफा हो रहा है। इसी तरह से सी.ए.सी.पी. के अनुसार कपास का लागत मूल्य 4376 रुपये प्रति किवंटल है और 4320 रुपये प्रति किवंटल का भाव है। सी.ए.सी.पी. ने कपास का जो लागत मूल्य लगाया है उससे कपास का एम.एस.पी. कम है। इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी सदन में और देना चाहूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी राज्यों में इस पर बहस होनी चाहिए। मेरे पास पूरे डाटा की किताब है जिसमें सी.ए.सी.पी. ने भिन्न-भिन्न राज्यों की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग-अलग कलर में दिखाई हुई है। इस डाटा में हमारे प्रदेश की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बल्यू कलर में दिखाई हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे ज्यादा है। हमसे कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। हमारी कॉस्ट ऑफ

प्रोडक्शन के हिसाब से लगभग 120/- रूपये प्रति किवंटल आमदनी है। यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एम.एस.पी. का हिसाब है। अगर माननीय सदस्य इसके अलावा कोई और जानकारी लेना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी।

श्री रणबीर गंगवा : स्पीकर सर, मंत्री जी ने सरसों का मूल्य 4000/- रूपये प्रति किवंटल बता दिया। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने एम.एस.पी. फिक्स कर दिया लेकिन यदि किसान की सरसों की खरीद नहीं होगी तो किसान को मुनाफा कैसे होगा? सरकार द्वारा सरसों का मूल्य 4000/- रूपये प्रति किवंटल बता दिया गया है मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में कहीं पर भी सरसों 3200/- रूपये प्रति किवंटल और 3400/- रूपये प्रति किवंटल से ज्यादा नहीं बिकी है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे हरियाणा प्रदेश के किसान को इस प्रकार से लुटने से कब बचायेंगे? जब तक सरकार द्वारा किसान की फसल की खरीद सुनिश्चित नहीं की जायेगी तब तक उसका ऐसे ही शोषण होता रहेगा और अगर उसका शोषण होता रहेगा तो उसकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, माननीय सदस्यों की चिंता से सरकार पूरी तरह से अवगत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज गेहूं का समर्थन मूल्य 1735/- रूपये प्रति किवंटल है। मेरी जानकारी के मुताबिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार की रिपोर्ट है कि 1638/- रूपये प्रति किवंटल किसान का खर्च आता है। अगर इसके अंदर 50 प्रतिशत और जोड़ा जाये तो 2457/- रूपये गेहूं का लाभकारी मूल्य बनेगा। मंत्री जी बतायें कि इस बार गेहूं की खरीद 2457/- प्रति किवंटल के हिसाब से की जायेगी या 1735/- रूपये प्रति किवंटल के हिसाब से की जायेगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री बलवान सिंह जी को यह बताना चाहूंगा कि इस मामले में उनकी जिज्ञासा का होना बहुत अच्छी बात है। सभी माननीय सदस्य इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण मुझे इससे आनंद की अनुभूति हो रही है। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री रणबीर गंगवा जी जिस सवाल का जवाब मांग रहे हैं मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, आप कृपया करके बैठ जायें और मंत्री जी को अपना जवाब देने दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, कोई भी माननीय सदस्य मुझे अपने तरीके से जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर मैं किसी सवाल का जवाब दूंगा तो वह अपने तरीके से दूंगा। मेरा तरीका कोई भी माननीय सदस्य तय नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान) जब किसी माननीय सदस्य की सरकार हो तो वे अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं। अब मुझसे जवाब मांगा जा रहा है इसलिए मैं जवाब भी अपने तरीके से ही दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. रवीन्द्र बलियाला : स्पीकर सर, मंत्री जी द्वारा सवाल के पहले पार्ट का जवाब दिया गया है लेकिन सवाल के दूसरे पार्ट का जवाब नहीं दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बलियाला जी, आप कृपया करके बैठ जायें। यह आपका सवाल नहीं है। यह सवाल रणबीर गंगवा जी का है और उन्हीं को ही सप्लीमैट्री क्वैश्चन पूछने की परमिशन दी गई है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. रवीन्द्र बलियाला : स्पीकर सर, क्या मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूँ? क्या मुझे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बलियाला जी, आप अपनी मर्जी से सवाल नहीं पूछ सकते। अगर मैं आपको सवाल पूछने की इजाजत दूंगा तभी आप सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए अभी आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. रवीन्द्र बलियाला : स्पीकर सर, जो माननीय सदस्य श्री रणबीर गंगवा जी द्वारा क्वैश्चन पूछा गया है मैं उसी को क्लीयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बलियाला जी, श्री रणबीर गंगवा जी आपसे सीनियर मैम्बर हैं इसलिए वे अपनी बात को अपने आप क्लीयर कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्य कृपया करके अपनी सीटों पर बैठ जायें और मंत्री जी का जवाब शांतिपूर्वक सुनें। (शोर एवं व्यवधान) जो माननीय सदस्य मेरी परमिशन के बिना बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों द्वारा मेरे सामने दो सवाल किये गये हैं। एक सवाल श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी का है और दूसरा सवाल श्री रणबीर गंगवा जी ने फिर से दोहराया है। बलवान सिंह जी के सवाल का जवाब तो यह है कि किसी ने एक बार आर.एस.एस. के एक नेता को कह दिया कि आप राष्ट्र की बात करते हो लेकिन यहां तो सौराष्ट्र भी है और महाराष्ट्र भी है। तो उन्होंने यह कहा कि यहां पर तो व्यक्ति-व्यक्ति राष्ट्र है जैसे धृतराष्ट्र है। इस प्रकार से हर व्यक्ति की अपने हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है। हर खेत की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अलग हो सकती है, हर गांव की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अलग हो सकती है और हर जिले की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अलग हो सकती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी एक व्यक्ति की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं हो सकती। राज्यों के साथ-साथ देश के भी औसत लिये जाते हैं। मैं इस सरकार की बढ़ाई करना चाहूंगा। इस सरकार का पत्र है जिसको आर.टी.आई. के तहत कोई भी प्राप्त कर सकता है। जब भी किसी भी फसल की कॉस्ट और एम.एस.पी. तय करने का मौका आया इस सरकार के कृषि मंत्रालय ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार यही लिखकर दिया है कि 50 परसैट प्रॉफिट के साथ किसानों को उनकी फसलों के दाम दिये जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सरसों का भाव 4 हजार रुपये प्रति विंटल तय तो कर दिया है लेकिन किसानों की सरसों की मंडियों में खरीद नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं हरा कुर्ता पहन कर आया हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों की हरी सरसों भी खरीदेंगे यानि किसानों की जैसी भी सरसों होगी वह हम खरीदेंगे। दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2018 की जो खरीफ की फसल जैसे धान, बाजरा तथा मक्का इत्यादि आयेगी उनका एम.एस.पी. 50 प्रतिशत प्रॉफिट के साथ तय किया जायेगा। यह घोषणा खरीफ की सफल से लागू होगी। गंगवा जी ने यह पूछा है कि सरसों की खरीद नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम किसानों की सरसों का एक-एक दाना खरीदेंगे। इसके अतिरिक्त मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि पहले सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होती थी लेकिन इस बार हम 15 मार्च से खरीदने

जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने बाजरे का भी एक—एक दाना खरीदा था। जहां तक आधार कार्ड या फर्द मांगने की बात है तो वह इसलिए किया गया है कि बहुत सारे व्यापारी दूसरे राज्यों से सरसों लेकर आ जाते हैं। जब उन राज्यों में रेट कम होते हैं या उन राज्यों में खरीद नहीं होती है तो वे सरसे रेट पर सरसों खरीद कर हमारे राज्य में ला कर महंगे भाव पर बेच देते हैं। इस प्रकार से व्यापारी के लिए वह एक प्रोफिट मेकिंग का साधन बनता है। अगर सभी राज्यों में इसी प्रकार से खरीद होती तब तो कोई बात नहीं थी इसीलिए हमने किसाने के लिए फर्द अनिवार्य की है। हम किसान की फसल का एक—एक दाना खरीदेंगे लेकिन कागज जरूर मांगेंगे ताकि किसान को प्रोफिट हो व्यापारी को नहीं।

श्री असीम गोयल: अध्यक्ष महोदय, एक—एक प्रश्न पर बहुत ज्यादा समय लग जाता है इसलिए दूसरे प्रश्न रह जाते हैं। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि एक प्रश्न के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय निर्धारित किया जाये। उससे ज्यादा समय एक प्रश्न पर न लगाया जाये।

डॉ. पवन सैनी: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा भी यह सुझाव है कि एक प्रश्न के लिए एक निश्चित टाईम होना चाहिए ताकि दूसरे प्रश्न भी टेकअप किये जा सकें।

श्री अध्यक्ष: किसी प्रश्न के लिए एक निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आप बैठ जाईये।

.....

Solar Energy Through Roof Top Panels

***2396 Smt Prem Lata :** Will the Chief Minister be pleased to state:-

- (a) whether Government has set any targets to generate solar energy through roof top solar panels for the year 2017-2018 and 2018-2019;
- (b) the total power generation through roof top solar panels, as on date;
- (c) whether targets fixed have been achieved; and
- (d) if not, the steps been taken by the Government to address the gap?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा० बनवारी लाल) :-

- (क) हां, श्रीमान, क्रमशः लक्ष्य 200 मैगावाट तथा 235 मैगावाट है।
- (ख) 78 मैगावाट ।
- (ग) नहीं, श्रीमान।
- (घ) रुफ टॉप आधारित सौर ऊर्जा संयंत्रों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:-
- i. नेट-मीटिंग अधिनियम दिनांक 25.11.2014 को अधिसूचित किया गया था।
 - ii. निवेशक अनुकूल हरियाणा सौलर पोलिसी, 2016 दिनांक 14.03.2016 को अधिसूचित की गई थी।
 - iii. कुछ श्रेणी के भवनों में रुफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है।
 - iv. सभी सरकारी भवनों में ग्रिड-क्नेकटेड रुफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है।
 - v. सरकार द्वारा 278 गौशालाओं में 1.6 मैगावाट कुल क्षमता के रुफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है।
 - vi. 17 ज़ेलों में रिन्चूअबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (रेस्को) पद्धति के अन्तर्गत 25 वर्षों के लिए 3.32 रुपये प्रति यूनिट की खरीद दर पर 4 मैगावाट क्षमता के रुफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। यह संयंत्र निजी कम्पनी द्वारा अपने खर्च पर लगाए जाएंगे तथा उपरोक्त खरीद दर पर 25 वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति करेंगे।
 - vii. निजी क्षेत्र में रुफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की स्वीकृति व अनुदान राशि जारी करने हेतु आनलाईन पोर्टल (एकदत्तमंचचसलवदसपदमण्हवअण्पद) आरंभ किया गया है।
 - viii. नेट-मीटिंग सुविधा के लिए भी एक आनलाईन पोर्टल शुरू किया गया है जो कि रुफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के आनलाईन पोर्टल के साथ जोड़ा गया है।

ix. रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के आनलाईन पोर्टल को राज्य सरकार के सरल पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है।

x. कुछ श्रेणी के भवनों में रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर 12 प्रतिशत तक अतिरिक्त फलोर एरिया रेशो (एट) का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

xi. समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल तथा रेसीडेंट वेलफेयर समितियों/आद्योगिक समितियों के साथ बैठकों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि दो तरह की एनर्जी होती है। कन्वैशनल और नॉन-कन्वैशनल। इसमें जो कन्वैशनल एनर्जी होती है वह भी दो तरह की होती है— हाईड्रो इलैक्ट्रिसिटी जो पानी से मिलती है और दूसरी जो कोयले से मिलती है जैसे पानीपत का थर्मल प्लांट है। उसी तरह से चार प्रकार की नॉन कन्वैशनल एनर्जी होती है जिसमें बायो गैस यानि जो कूड़ा-कर्कट से बिजली बनाई जाती है। दूसरी न्यूकिलियर एनर्जी होती है और एक विन्ड एनर्जी है जो टरबाईन से घूमाकर बिजली बनाई जाती है। इसके अलावा एक सोलर एनर्जी होती है। सोलर पैनल लगाने के लिए 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। इस संबंध में मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार के पास इस तरह की कोई नीति है कि गांव में जो पंचायत की जमीन है उसमें सोलर सिस्टम लगाए जाएं क्योंकि आज की तारीख में बिजली की ज्यादा किल्लत हो रही है? इस तरह की बिजली सस्ती भी पड़ती है। इसके लिए गांव में जमीन भी उपलब्ध होती है। अगर इस पर सरकार ध्यान दे तो हर गांव से 5-5 एकड़ जमीन लेकर के उसमें सोलर पैनल लगाए जाएं। दूसरी बात यह है कि अभी सरकार की तरफ से झज्जर में 500 करोड़ रुपये इस काम के लिए अनाउंस हुए हैं। उसी तरह से फतेहाबाद में भी न्यूकिलियर एनर्जी प्लांट लगाने का प्रावधान था क्या उस पर अभी तक कोई कार्यवाई हुई है?

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन जी ने जो यह ग्राउंड माउंटिंग सोलर पैनल के लिए कहा है उसको एच.पी.सी.एल. विभाग देखता है। हमारा जो 'हरेड़' विभाग है वह केवल एक मैगावाट तक के प्रोजैक्ट को देखता है। इसलिए यह दूसरे विभाग की बात है। हमारा विभाग एक मैगावाट तक सोलर पैनल लगाता है।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जैसे हमारे गांवों में पानी के रजबाहा होते हैं या कैनाल होती है क्या उनके ऊपर भी सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं ? क्या सरकार का ऐसा कोई प्रावधान है कि नीचे से पानी चलता रहे और ऊपर से सोलर एनर्जी बनती रहे क्योंकि गांव में जो बिजली की कमी महसूस होती है उससे गांव को ज्यादा बिजली मिलेगी ?

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो बहन जी कह रही हैं पहले तो ऐसा प्रावधान था लेकिन जब इसके लिए सर्वे करवाया गया तो यह पाया गया कि नहर का जो बैंक है अगर उसके ऊपर कोई सोलर पैनल लगाते हैं तो उसकी कोस्ट ज्यादा आती है इसलिए वह वायबल नहीं है । अतः उसको रोक दिया गया है ।

परिवहन मंत्री(श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बहन प्रेम लता जी ने पूछा है कि ग्राम पंचायतों में भी सौर ऊर्जा लगाने का प्रोविजन किया जाए तो इससे बिजली को बढ़ावा मिल सकता है । यह एच.पी.सी.एल. विभाग में आता है तो इस संबंध में हमें कुछ पंचायतों के प्रस्ताव मिले हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विचाराधीन हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यह चाहते हैं कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए । इसलिए जो प्रस्ताव आए हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं ।

अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, चण्डीगढ़, अध्यक्ष, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, चण्डीगढ़ तथा इज़राइल के वास्तुकला के विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शामी) : अध्यक्ष महोदय, श्री संजय टंडन, चण्डीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष और श्री गौरव गोयल, भाजपा चण्डीगढ़ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तथा आर्चिटैक्चर के विद्यार्थियों का एक जत्था इजराइल से आया है । वह पी.आई.पीज. गैलरी में आज सदन की कार्यवाही को देखने के लिए आए हैं । यह सदन उनका अभिनन्दन करता है ।

तरांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Vacant Posts of Teachers

***2562 Shri Tek Chand Sharma:** Will the Education Minister be pleased to state:-

- (a) the block wise number of posts of teachers lying vacant in district Palwal and Faridabad; and
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the vacant posts of teachers in the school of rural areas of district Palwal and Faridabad which become vacant under the present teachers transfers policy; if so, the time by which these posts are likely to be filled up?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : (क) श्रीमान जी,

जिला पलवल व फरीदाबाद में खण्डवार शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या निम्न है:-

विषय	जिला पलवल				जिला फरीदाबाद	
	हथीन	हसनपुर	पलवल	होड़ल	बल्लभगढ़	फरीदाबाद
पी०जी०टी०	134	78	191	127	225	239
टी०जी०टी०	142	45	94	41	41	43
सी०ए०ए०वी०	50	14	48	17	9	13
जे०बी०टी	0	0	1	2	27	23

(ख) रिक्त पद त्यागपत्र, सेवा निवृति, मृत्यु, स्थानांतरण, नये पदों के सृजन आदि के कारण है। पी०जी०टी० के 7946 व टी०जी०टी० के 1035 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में जिला पलवल और जिला फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानकारी मांगी थी लेकिन उसमें ग्रामीण शब्द काट दिया गया है लेकिन मैं सप्लीमैंट्री में यह जानकारी मांग लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने अध्यापकों के लिए जो ट्रांसफर पोलसी बनाई है वह अच्छी है। आज सारा सिस्टम ऑन लाईन हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरे

पृथला विधान सभा क्षेत्र की बात है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी बताया है कि पलवल और फरीदाबाद में अलग—अलग संकाय के टीचर्ज के कुल 8981 पद विभिन्न कारणों से रिक्त पड़े हुए हैं और यही नहीं सरकार की नई स्थानांतरण पॉलिसी की वजह से भी ग्रामीण अंचल में कार्यरत विभिन्न विषयों के पी.जी.टी. और टी.जी.टी. टीचर्ज शहरों के साथ लगते हुए गांवों के स्कूल्ज में चले गए हैं या यूं कहें कि शहरों में ही चले गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण अंचल में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। उदाहरण के रूप में, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव चंदावली जोकि पलवल—बल्लभगढ़ के साथ लगता है, के बारे में बताना चाहूंगा कि यहां पर कुल 20 सैंगशंड पोस्ट्स हैं जिनमें से 19 पोस्ट्स भरी हुई हैं। यहां पर कुल 307 बच्चे पढ़ते हैं। वही दूसरी और खंदावली गांव में स्थित स्कूल में जोकि शहर से दूर है, वहां पर कुल 20 सैंगशंड पोस्ट्स हैं जिनमें से केवल 11 पोस्ट्स भरी हुई हैं और यहां पर कुल 1150 बच्चे पढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण अंचल में स्थित स्कूल्ज में टीचर्ज के पद खाली पड़े हुए हैं जबकि शहरों के साथ लगते हुए गांव के स्कूल्ज में टीचर्ज के पद पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने निवेदन है कि टीचर्ज की स्थानांतरण पॉलिसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके ग्रामीण अंचल में स्थित स्कूलों में टीचर्ज के पदों को भरने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहे तो मैं मेरे क्षेत्र के स्कूल्ज में रिक्त पड़े पदों की पूरी लिस्ट उनको सुपुर्द कर सकता हूँ। एक तरफ तो सरकार कम्पटीशन की बात करती है, ट्रांसपरेंसी की बात करती है, ऑन लाईन सिस्टम की बात करती है, भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने की बात करती है और वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अंचल में टीचर्ज के रिक्त पड़े पदों की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो ऐसी हालत में हमारे ग्रामीण अंचल में पढ़ रहे बच्चे कंपटीशन के इस युग में किस प्रकार से अपने आपको कम्पीट कर पायेंगे ? अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि स्थानांतरण पॉलिसी में अमेंडमेंट करते हुए इन चीजों को भी देखा जाये कि जैसे शहरों में सरकारी स्कूल्ज में कम बच्चे पढ़ते हैं और गांवों में सरकारी स्कूल्ज में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो इन चीजों के ध्यानार्थ स्थानांतरण पॉलिसी में अमेंडमेंट करते हुए ग्रामीण अंचल में स्थित स्कूल्ज में टीचर्ज की भर्ती की जानी चाहिए। मैं इस संदर्भ में पूछना चाहूंगा कि

माननीय शिक्षा मंत्री जी ग्रामीण अंचल के स्कूल्ज में रिक्त पड़े पदों को कब तक पूरी तरह से भरने का काम करेंगे?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक टेक चंद जी की चिंता वाजिब है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछले 14—15 सालों में जो अध्यापकों की रेगुलर भर्ती की गई है वह केवल टेक चंद शर्मा जी की सरकार आने के बाद ही की गई है। पिछली बार लगभग 17000 जे. बी.टी. व दूसरे टीचर्ज की सिलेक्शन की गई थी लेकिन किन्हीं मुख्य कारणों की वजह से कुछेक टीचर्ज की ज्वॉयनिंग नहीं हो पाई थी। आज कुलदीप बिश्नोई जी भी सदन में उपस्थित हैं, उनको भी इस बात का पता है और वह मेरी बात का समर्थन भी करेंगे क्योंकि पिछले काफी समय से हमारा जो डंगवारा कुलदीप जी बिश्नोई के साथ रहा है वह बड़ा सफल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी बात करते करते विषय से हट जाते हैं और बात को घूमाने लग जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, बात घूमाना भी जरूरी है। बात नहीं घूमाऊंगा तो आप कैसे बोलेंगे और क्योंकि आपका बोलना भी जरूरी है इसलिए मैं बात घूमा देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं सदन के सामने जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम पिछली सरकार के कारनामों की बात करने लगते हैं तो पता नहीं विपक्ष के साथियों को मिर्च क्यों लगने लगती है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया है उसका सीधा जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन गीता जी भुक्कल तो लगातार 10 साल तक हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री रही हैं लेकिन बावजूद इसके इनके कार्यकाल में एक भी रेगुलर टीचर की भर्ती नहीं हुई और यही नहीं जो सिलेक्शंज इनकी व इनके सरकार के कार्यकाल में की गई उनमें भी कई तरह के बहाने बनाये गए थे कि जैसे किसी के अंगूठे नहीं मिलते थे या किसी के दस्तखत नहीं मिलते थे। इस तरह के हालात उस समय प्रदेश में हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आज हमारी सरकार की परफोरमैंस के बारे में सदन को बताना चाहूंगा और पूरी ढंके की ओट पर बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने लगभग 17000 अध्यापकों की

ज्वॉयनिंग करवाई है और यही नहीं पहली बार मेवात में जे.बी.टी. के सभी रिक्त स्थानों को भरने का काम किया है। जहां तक माननीय विधायक टेक चंद शर्मा जी की चिंता है कि ग्रामीण अंचल में स्थित स्कूल्ज में टी.जी.टी और पीजी.टी के पद भरे जायें तो मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि इसी सत्र में इन पदों को भरने का काम शुरू कर देंगे क्योंकि यह मेवात का इलाका है और बहुत पिछड़ा हुआ है। (हंसी)

श्री टेक चंद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पृथला है, मेवात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिए, पृथला निर्वाचन क्षेत्र मेवात के साथ लगता है, इसलिए माननीय मंत्री जी बोलते—बोलते पृथला निर्वाचन क्षेत्र को मेवात का नाम दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, हर बार मेवात को पिछड़ा इलाका कहा जाता है। यदि मेवात पिछड़ा हुआ इलाका है तो उस इलाके में हरियाणा सरकार को विकास करवाना चाहिए। हमारे इलाके को बार—बार पिछड़ा कह कर क्यों एहसास दिलाया जाता है कि हमारा एरिया पिछड़ा हुआ है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी की ग्रामीण अंचल के स्कूलों के बारे में जो सोच है वह बहुत ही अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचल के स्कूलों में जितने बच्चे होते हैं उसे प्रपोशनेट तरीके से चेंज किया जाये। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचल के स्कूलों की बिल्डिंग 40—50 साल पुरानी है। जैसे फतेहपुर बिलोच के अंदर राजकीय स्कूल 8वीं से 12वीं कक्षा तक तो अपग्रेड हो गया है, लेकिन उस स्कूल में स्टॉफ नहीं है और स्कूल की बिल्डिंग भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से जितने भी ग्रामीण अंचल में स्कूल्ज हैं, उन स्कूलों की बिल्डिंग को ठीक करवाने का प्रोविज़न भी माननीय मंत्री जी को बजट में रखना चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री टेक चंद शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र का फतेहपुर बिलोच गांव काफी पुराना और बड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी के जिस—जिस गांव में स्कूल्ज की बिल्डिंग ठीक नहीं है, उनकी सूची लिखकर दे दें, सरकार उन स्कूलों की बिल्डिंग ठीक करवा देगी।

Smt. Geeta Bhukkal: Speaker Sir, Hon'ble Education Minister has placed wrong information about the previous Government on the floor of the House. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो भर्तियां कर दी थी, उन भर्तियों के सलेक्टिड कैन्डिडेट्स माननीय न्यायालय में हर रोज नौकरी के लिए धक्के खाते रहे हैं क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल के तीन साल हो गए हैं लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गयी हैं। सलेक्टिड कैन्डिडेट्स ने मुंडन तक करवा लिये। हमारी बहनों ने काली चुन्नी और दुपट्टे पहन करके रोष प्रदर्शन करते हुए लाठियां खाईं और पानी की बौछारों का सामना तक किया फिर भी सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं करवाई। सरकार के लिए नई ज्वाइनिंग करना तो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट है कि they should not place wrong information about the previous government on the floor of the House.

Shri Ram Bilas Sharma : Speaker Sir, I have all regard for Hon'ble sister Geeta Bhukkal Ji. मेरी बहन गीता भुक्कल जी ने कहा है कि मैंने हाउस में राँग इन्फॉर्मेशन दी है। Speaker Sir, it is a very serious allegation. Smt. Geeta Bhukkal ji admitted that our Government selected so many teachers but we could not join them. Is it our fault? Her Education Secretary gave an affidavit in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court that we would relieve all Guest Teachers after 320 days and while we joined the Haryana Government on 26th October, 2014, our Hon'ble Chief Secretary refute that affidavit as we have vacancies in our Government Schools therefore, we cannot relieve the Guest Teachers. It is our confidence. It is our commitment. बहन गीता जी दो शब्द अंग्रेजी के बोलने से काम नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Geeta Bhukkal: Minister ji, You have promised कि जब हम पावर में आयेंगे तो इन गैस्ट टीचर्ज को पक्का करेंगे। This promise was made in your election manifesto also. Speaker Sir, Hon'ble Education Minister need not place wrong information about the previous Government on the floor of the House because they have been in the Government for the last

three and half years and they are giving figures now about this Government. Speaker Sir, It is my humble request that Education Minister need not place wrong information about the previous Government on the floor of the House.

Shri Ram Bilas Sharma: Speaker Sir, I am talking on the record. बहन गीता भुक्कल जी के लिए अंग्रेजी में जवाब देना जरूरी था। मैं हिन्दी व पंजाबी में भी जवाब दे सकता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

Construction of Park in ITI Campus

***2468. Shri Prithi Singh :** Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a park in I.T.I. campus in Narwana City; if so, the time by which it is likely to be constructed?

औद्योगिक एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री विपुल गोयल: अध्यक्ष महोदय, नरवाना में साढ़े नौ एकड़ भूमि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बना हुआ है। उसके परिसर में एक ग्राउण्ड हैं, जिसमें बच्चे वालीबॉल, क्रिकेट आदि गेम्स खेलते हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्राउण्ड अच्छी कंडीशन में है लेकिन उस परिसर में पार्क निर्माण का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, साढ़े नौ एकड़ भूमि में नरवाना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण वर्ष 1962–63 में हुआ था। वहां की मांग के अनुरूप परिसर में पार्क बनाना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि वहां पर सड़कें तो बननी शुरू हो गई है लेकिन उन पर काफी धीमी गति से काम चल रहा है।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने सड़कों के बारे में सदन में कहा है। पिछले सत्र में भी माननीय विधायक जी ने इस संबंध में प्रश्न पूछा था मैं उनको बताना चाहूँगा कि 35 लाख 63 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी थी और उसका टैंडर अलॉट होकर काम भी शुरू हो चुका है, जो 31 मार्च, 2018

तक सारी सड़कों का निर्माण पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी यदि नरवाना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ग्राउण्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की बात कहे या खेलने के लिए और कोई व्यवस्था करनी है तो उसके लिए सरकार तैयार है। यदि सरकार उस परिसर में पार्क बनायेगी तो उसके रख-रखाव के लिए मालियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और बच्चों को खेलने की लिए भी जगह नहीं मिलेगी क्योंकि वहां से सरकार ने फीडबैक लिया है कि वहां पर बच्चे वालीबॉल, क्रिकेट आदि गेम्स खेलना चाहते हैं।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तो वहां पर लाईट का प्रबंध किया जाये दूसरा पौलिटैकिनक कॉलेज और आई.टी.आई. के बीच दीवार बनाई जाये। इस संस्थान में स्टॉफ की भी कमी है, उसे भी पूरा किया जाये।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आई.टी.आई. में दीवार की बात है, उसकी भी 17 लाख 22 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। अगले 2-3 महीने में दीवार बनकर तैयार हो जायेगी जहां तक लाइटों की बात है वह भी लगा दी जायेंगी।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की असैट्स एण्ड लायबिलिटिज के बारे में मेरा प्रश्न आज लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन वह प्रश्न नहीं लगाया गया।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह अलग मैटर है। उस प्रश्न के लिए कल के लिए एक्सटैशन दी हुई है इसलिए अभी आप बैठें।

Re-Construction of Building of Schools

***2495 Shri Bakhshish Singh Virk :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the buildings of Government Middle School Peerwala and Government Senior Secondary School in Assandh City are in dilapidated condition; if so, the time by which the buildings of above said schools are likely to be re-constructed?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, यद्यपि पीरवाला में कोई भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं है, राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय असन्ध

शहर में 16 कक्षा—कक्षों में से केवल 3 कक्षा—कक्ष जीर्ण—शीर्ण अवस्था में हैं। नामस्र के अनुसार 492 विद्यार्थियों के लिए 13 कक्षा—कक्ष पर्याप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, सरदार बख्शीश सिंह विर्क जो पीरवाला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, असन्ध की बिल्डिंग के लिए परिवर्तन चाहते हैं, उसे करवा दिया जायेगा।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्लास रूम्ज की हालत काफी खराब है। कभी भी स्कूल की इमारत गिर सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी क्लास रूम्ज को बनाया जाये। कुछ स्कूलों में जैसे जमलाना गांव के सरकारी स्कूल में टीचिंग स्टॉफ की कमी है। उस कमी को भी पूरा किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

11:00 बजे

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पीरवाला स्कूल की बिल्डिंग की रिपयेर तथा कुछ नये लाईब्रेरी रूम बनाने के लिए भी 15 लाख रुपये संैक्षण किये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

.....
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित
उत्तर

Construction of Stadium /Sports Complex

***2478. Smt. Geeta Bhukkal :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state:-

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a stadium/ sports complex in Jhajjar city; and
- (b) If so, the time by which it is likely to be constructed?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी ।

.....

To Open Girl College

***2547 Dr. Pawan Saini :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Girls College in Babain area; if so, the time by which the said college is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान् जी, वर्तमान में बबैन में कन्या महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Construction of PHC Building

***2524 Shri Kuldip Sharma :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building of PHC in village Ahulana of Ganaur Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed together with the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हाँ, श्रीमान् जी। भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरित होने पर निर्माण आरम्भ कर दिया जाएगा।

Construction of all Weather Swimming Pool

***2471. Shri Aseem Goel :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made in May,2016 by the Hon'ble Chief Minister to construct all weather swimming pool in Ambala City, If so, the step taken by the Government in this regard?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हाँ, श्रीमान् जी। अम्बाला में यह घोषणा तैराकी तालाब के निर्माण बारे संशोधित की गई है। तैराकी तालाब के निर्माण हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से राज्य सरकार को भूमि स्थानांतरण करने हेतु मामला कार्यवाही पर है।

To Minimize Litigation

***2541. Shri Gian Chand Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state:-

- (a) the steps being taken by the Government to minimize the litigation between the allottees of plots/shops and HUDA department; and
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to organize Lok Adalats to solve the above said matter; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, स्थिति सदन पटल पर प्रस्तुत है।

स्थिति

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, 1977 के प्रावधानों के दायरे में मुकदमेबाजी को कम करने हेतु निम्न प्रयास किए गए हैं:-

(क) आंबटी द्वारा 15 प्रतिष्ठत राषि को जमा करवाने में हुई देरी बारे संशोधित नीति पत्र क्रमांक ए-5-यू.बी.-2016/17604-605 दिनाक 01.07.2016 द्वारा जारी की गई।

(ख) पैट्रोल पम्प स्थलों से विसूली बारे भरण बिन्दू की परिभाषा से सम्बन्धित नीति क्रमांक हुड़ा-सी.सी.एफ.-अकाउटेंट-1-2016/19550-51 दिनाक 06.07.2016 द्वारा जारी की गई।

(ग) समूह आवास मानदंडों के तहत आबंटित स्थलों पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा में विस्तार बारे नीति क्रमांक सी.टी.पी./एस.बी./एफ. न. 101/43486 दिनाक 09.08.2016 द्वारा जारी की गई।

(घ) मंडी टाउनशिप/हुड़ा शहरी सम्पदा के सभी आबंटियों को एक समय का अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में जिनके पास वैध कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त किए भवनों पर कब्जा है को कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु व विस्तार शुल्क बाद वास्तविक समापन तारीख को माफ करने बारे एक अवसर प्रदान करने हेतु नीति क्रमांक यू.बी.-ए-6-2016/46612-13 दिनाक 11.08.2016 द्वारा जारी की गई।

(च) हुडा के विपणन केन्द्रों में दुकान-कम-फ्लैट (एस.सी.एफ.) को दुकान-कम-कार्यालय (एस.सी.ओ.) में परिवर्तित करने की अनुमति नीति क्रमांक सी.टी.पी./एस.बी./एफ. न.104/62610 दिनाक 06.09.2016 द्वारा जारी की गई।

(झ) हुडा के बाजारों में बूथें व सेवा बूथों में प्रथम तल पर निर्माण बारे नीति क्रमांक सी.टी.पी./एस.टी.पी. (एस.)/वी.वाई./11727 दिनाक 18.01.2017 द्वारा जारी की गई।

Upgradation of CHC

***2482. Shri Dinesh Kaushik :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the CHC of Pundri to Hospital; if so, the time by which the above said CHC is likely to be upgraded?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान् जी।

Details of the Discretionary Grants

***2278. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state-

- (a) the details of the discretionary grants disbursed by each minister of the State during the year 2014 till to date alongwith the full particulars of the recipients of these grants;
- (b) the provisions/rules regarding entitlement of the ministers for the discretionary grants; and
- (c) the guidelines for disbursement of the discretionary grants by the ministers ?

Om Prakash Dhankar

S
13/3/18
1364-SHS
07/3/18



D.O. No. 52/AM-HR/2018

Agriculture, Development &
Panchayats, Irrigation, Animal
Husbandry & Dairying and
Fisheries Minister, Haryana.

Dated Chandigarh 07/03/2018

Subject:-

Grant of time for furnishing reply to the Starred Assembly Question No.2278 asked by Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding Details of the Discretionary Grants.

Respected Kanwar Pal Ji,

D.C.M
7/3/18
C.O.B

Kindly refer to the Starred Assembly Question No.2278 raised by Hon'ble Member Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. and listed for 9th March, 2018. The text of the question is as under:-

*2278. SH. KARAN SINGH DALAL, M.L.A. : Will the Chief Minister be pleased to state :-

- a) the details of the discretionary grants disbursed by each Minister of the State during the year 2014 till to date along-with the full particulars of the recipients of these grants ;
- b) the provisions/rules regarding entitlement of the Ministers for the Discretionary grants ; and
- c) the guidelines for disbursement of the discretionary grants by the Ministers ?

The preparation of a reply to the above question requires verification/collection of voluminous information about all the discretionary Grants released from 2014 till to date from all the Deputy Commissioners of the State & others. It is not possible to collect this information in a short time of 3-4 days. This exercise is likely to take at least three months time.

I, therefore, request you to kindly grant three months time for submission of the reply.

Regards,

Yours sincerely,

(Om Prakash Dhankar)

Sh. Kanwar Pal Gujjar,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.

To Open an Agriculture Science Centre

***2288. Shri Kehar Singh :** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state –

- (a) whether it is a fact that the 48 acres land of gram panchayat has been provided to open an ‘Agriculture Science Centre’ in village Mandkola, and
- (b) if so, the benefits likely to be provided to the farmers of village Mandkola and the other villages of Hathin Constituency through the abovesaid centre togetherwith the details thereof ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

- (क) हां श्रीमान् जी।
- (ख) कृषि विज्ञान केन्द्र, मण्डकौला के माध्यम से निम्नलिखित सभी लाभ गाँव मण्डकौला के साथ-साथ हथीन खण्ड को भी दिये जा रहे हैं:
प्रोद्यौगिकी का प्रदर्शन एंव हस्तांतरण।
- (i) “अनुसूचित जाति/जनजाति के कौशल विकास द्वारा जीवन यापन स्तर में सुधार” नामक योजना के तहत लाभ दिये जाते हैं।
- (ii) विभिन्न क्षेत्रों जैसे फसल उत्पादन, बागवानी, गृह विज्ञान आदि के लिए कृषि परामर्श सेवाएं दी जाती रही हैं।
- (iii) कृषि एंव कृषि संबंधी विभिन्न विषयों पर व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिभागियों के स्वरोजगार सृजन हेतु आयोजित किए जाते रहे हैं।

Construction of Road

***2311. Shri Ram Chand Kamboj :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct road on the Dam of Ghaghara river from village Khairkan to Ottu; if so, the time by which it is likely to be constructed?

लोक निर्माण विभाग मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हाँ, श्रीमान् जी। कार्य प्रगति पर है और इसके पूर्ण होने की तय तिथि 10.07.2019 है।

Total Amount Received by the Municipal Council, Jind

***2361. Dr. Hari Chand Middha :** Will the Urban Local Minister be pleased to state the total amount received by the Municipal Council, Jind during the financial year 2016-17 and 2017-18 from the State Government and Centre Government togetherwith the details of development works on which the above said amount has been spent?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : महोदय, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

2016-17 और 2017-18 वित्तीय वर्ष के दौरान नगर परिषद, जींद की राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त कुल राशि निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रुपये में)

	2016-17	2017-18
	प्राप्त रकम	प्राप्त रकम
केंद्र सरकार	800.84	522.30
राज्य सरकार	1473.48	2821.71
कुल	2274.32	3344.01

जिन विकास कार्यों पर उपरोक्त धनराशि को खर्च किया गया है उनका विवरण अनुलग्नक क, ख, ग घ व ड पर है।

अनुलग्नक 'क'

विकास कार्यों का विवरण जिन पर नगर परिषद, जीन्द ने 2016–17 में केन्द्र सरकार द्वारा धन राशि खर्च की :—

क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	धन राशि खर्च (रुपए)
1	केन्द्रीय वित्त आयोग (14 सीएफसी) की सिफारिश पर नगर परिषदों /नगरपालिकाओं के लिए अनुदान सहायता।	वार्ड नं 9 में गली और नाले का निर्माण	561627.00
		कुल	5,61,627.00

अनुलग्नक 'ख'

विकास कार्यों का विवरण जिन पर नगर परिषद, जीन्द ने 2016–18 में राज्य सरकार द्वारा धन राशि खर्च की :—

क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	धन राशि खर्च (रुपए)
1	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 5 में गली और नाले का निर्माण कार्य	762785.00
2	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 15 में गली और नाले का निर्माण कार्य	298271.00
3	राज्य वित्त आयोग की f सिफारिश परएम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 8 में गली और नाले का निर्माण कार्य	533182.00
4	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 4 में गली और नाले का निर्माण कार्य	854065.00
5	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश परएम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 2 में गली और नाले का निर्माण कार्य	565386.00
6	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 31 में गली और नाले का निर्माण कार्य	851617.00
7	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 31 में गली और नाले का निर्माण कार्य	699125.00
8	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को	वार्ड नं 31 में गली और नाले का निर्माण	692000.00

	अनुदान सहायता।	कार्य	
क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	धन राशि खर्च (रुपए)
9	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	पार्क की मरम्मत का कार्य वार्ड नं 19 में	536627.00
10	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 7 में गली और नाले का निर्माण कार्य	1594605.00
11	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 3 में गली और नाले का निर्माण कार्य	543604.00
12	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 8 में गली और नाले का निर्माण कार्य	985000.00
13	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 23 में गली और नाले का निर्माण कार्य	905000.00
14	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 2 में गली और नाले का निर्माण कार्य	960276.00
15	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 23 में गली और नाले का निर्माण कार्य	289425.00
16	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 21 में गली और नाले का निर्माण कार्य	782292.00
17	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 14 में गली और नाले का निर्माण कार्य	916964.00
18	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	आर.सी.सी. फिक्सिंग स्लैब, आर्य समाज मंदिर।	731915.00
19	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 27 में गली और नाले का निर्माण कार्य	2330000.00
20	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	पार्क आदि की मरम्मत गोपाल नगर	277184.00
21	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	विभिन्न पार्कों की मरम्मत।	251611.00
22	राज्य वित्त आयोग की	वार्ड नं 6 में गली और	843238.00

	सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	नाले का निर्माण कार्य	
23	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 6 में गली और नाले का निर्माण कार्य	1000000.00
24	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम०सी० को अनुदान सहायता।	वार्ड नं 6 में गली और नाले का निर्माण कार्य	417828.00
		कुल	186,22,000.00

अनुलग्नक 'ग'

विकास कार्यों का विवरण जिन पर नगर परिषद, जीन्द ने 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा धन राशि खर्च की :—

क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	धन राशि खर्च (रुपए)
1	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर०जी०डी०य००८००८०) का अंश	वार्ड नं 2 में गली और नाले का निर्माण कार्य	886080.00
2	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर०जी०डी०य००८००८०) का अंश	जयंता देवी में पानी के टैंक का निर्माण	313291.00
3	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर०जी०डी०य००८००८०) का अंश	वार्ड नं 13 में गली और नाले का निर्माण कार्य	236185.00
4	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर०जी०डी०य००८००८०) का अंश	वार्ड नं 13 में गली और नाले का निर्माण कार्य	183190.00
5	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर०जी०डी०य००८००८०) का अंश	वार्ड नं 13 में गली और नाले का निर्माण कार्य	270788.00
6	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर०जी०डी०य००८००८०) का अंश	वार्ड नं 5 में गली और नाले का निर्माण कार्य	596610.00
7	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर०जी०डी०य००८००८०) का अंश	वार्ड नं 7 में गली और नाले का निर्माण कार्य	692654.00
8	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर०जी०डी०य००८००८०) का अंश	वार्ड नं 28 में गली और नाले का निर्माण कार्य	1404781.00
9	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर०जी०डी०य००८००८०) का अंश	वार्ड नं 28 में गली और नाले का निर्माण कार्य	1081064.00

		कार्य	
क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	धन राशि खर्च (रुपए)
10	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 7 में गली और नाले का निर्माण कार्य	257629.00
11	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 28में गली और नाले का निर्माण कार्य	1186724.00
12	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 25 में गली और नाले का निर्माण कार्य	186101.00
13	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	जयंता देवी पार्क में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण।	855010.00
14	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	गांधी पार्क में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण।	598811.00
15	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	भूतपूर्व विधायक श्री मांगे राम के घर के सामने स्कीम नं0 6 पार्क की मरम्मत का कार्य	891438.00
16	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 5 में गली और नाले का निर्माण कार्य	993101.00
17	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 5 में गली और नाले का निर्माण कार्य	835026.00
18	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 15 में पार्क की मरम्मत।	261628.00
19	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 13 में गली और नाले का निर्माण कार्य	370000.00
20	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 7 में गली और नाले का निर्माण कार्य	969202.00
21	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 7 में गली और नाले का निर्माण कार्य	476345.00
22	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0)	वार्ड नं 22 में गली और नाले का निर्माण	353694.00

	का अंश	कार्य	
23	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं 7 में स्ट्रीट लाईट मरम्मत	700097.00
क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	धन राशि खर्च (रुपए)
25	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	किला फतेहगढ़, एम0सी0 भूमि की बांड़ड़ी वॉल का निर्माण	144713.00
26	शहरी स्थानीय निकायों के लिए(आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	प्रत्येक द्वार से कूड़े का संग्रहण	20037000.00
		कुल	352,84,405.00

अनुलग्नक 'घ'

विकास कार्यों का विवरण जिन पर नगर परिषद, जीन्द ने 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा धन राशि खर्च की :—

क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	धन राशि खर्च (रुपए)
1	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर एम0सी0 को अनुदान सहायता।	सलॉटर हाऊस के पास सड़क चौड़ी करने का निर्माण कार्य	815377.00
		कुल	8,15,377.00

अनुलग्नक 'ड'

विकास कार्यों का विवरण जिन पर नगर परिषद, जीन्द ने 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा धन राशि खर्च की :—

क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	(खर्च धन राशि) धन राशि खर्च (रुपए)
1	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 29 में गली और नाले का निर्माण कार्य	428000.00

2	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 14 में गली और नाले का निर्माण कार्य	608031.00
3	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 28 में गली और नाले का निर्माण कार्य	1000000.00
4	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 28 में गली और नाले का निर्माण कार्य	562383.00
5	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 26 में गली और नाले का निर्माण कार्य	1000000.00
6	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 28 में गली और नाले का निर्माण कार्य	741758.00
7	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 28 में गली और नाले का निर्माण कार्य	408040.00
8	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 29 में गली और नाले का निर्माण कार्य	513750.00
9	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 25 में गली और नाले का निर्माण कार्य	660352.00
10	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 31 में गली और नाले का निर्माण कार्य	887250.00
क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	धन राशि खर्च (रुपए)
11	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 23 में गली और नाले का निर्माण कार्य	991651.00
12	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 31 में गली और नाले का निर्माण कार्य	225670.00
13	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 22 में गली और नाले का निर्माण कार्य	911005.00

14	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 29 में गली और नाले का निर्माण कार्य	362033.00
15	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 24 में गली और नाले का निर्माण कार्य	559803.00
16	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 24 में गली और नाले का निर्माण कार्य	422977.00
17	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	भूतपूर्व विधायक श्री ब्रिज मोहन सिंगला के आवास के सामने स्थित पार्क की मरम्मत	935615.00
18	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 7 में गली और नाले का निर्माण कार्य	578229.00
19	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 7 में गली और नाले का निर्माण कार्य	955534.00
20	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 12 में गली और नाले का निर्माण कार्य	134702.00
21	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 12 में गली और नाले का निर्माण कार्य	772287.00
क्रमांक संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	धन राशि खर्च (रुपए)
22	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	रैन बसेरा के पास पार्किंग का निर्माण कार्य	554237.00
23	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 13 में गली और नाले का निर्माण कार्य	851965.00
24	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आर0जी0डी0यू0एम0एच0) का अंश	वार्ड नं0 05 में गली और नाले का निर्माण कार्य	665997.00
25	शहरी स्थानीय निकायों के लिए	वार्ड नं0 04 में गली	1000000.00

	(आरोजी०डी०यू०एम०एच०) का अंश	और नाले का निर्माण कार्य	
26	शहरी स्थानीय निकायों के लिए (आरोजी०डी०यू०एम०एच०) का अंश	वार्ड नं० 04 में अपोलो रोड पर नाले व गली का निर्माण कार्य	1000000.00
		कुल	177,31,269

Four Lanning of National Highway

***2393. Shri Jaiveer Singh :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the four lanning work of the National Highway No. 334-B from Meerut to Loharu via Kharkhoda, Sonipat is likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा (मेरठ की तरफ) सोनीपत—खरखौदा से झज्जर को चारलेन करने के लिए एवं झज्जर लोहारु खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 334-बी को दो लेन पेवड शोल्डर के साथ करने के लिए निविदाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने का समय आरम्भ होने की तिथि से 24 महीने एवं 18 महीने क्रमशः है। आरम्भ होने की तिथि अभी तय नहीं की जा सकती क्योंकि परियोजनाएं अभी आवंटित होनी हैं।

Temporary Electricity Connections

***2473. Shri. Umesh Aggarwal :** Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) whether it is a fact that temporary electricity connections are not being given to the resident of 900 meter restricted area of Airport Ammunitions Depot in Gurugram;

(b) if so, since the time such connections are being denied to above said residents; and

(c) the time by which temporary connections are likely to be given?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हां, श्रीमान जी,

(ख) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फरवरी, 2011 से अस्थाई कुनैक्षण नहीं दे रहा है।

(ग) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के निपटान के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

To Open Nursing College

***2532. Shri Bikram Singh Yadav :** Will the Health Minister be pleased to state the time by which Nursing College in Shahadat Nagar is likely to be opened for which the announcement was made by the Hon'ble Chief Minister?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : श्री मान जी, रेवाड़ी जिले के सहादत नगर मे एक नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि प्रस्तावित स्थल पर कार्य तभी शुरू होगा जब भारतीय नर्सिंग परिषद से शिक्षण / प्रशिक्षण चिकित्सालय से प्रस्तावित नर्सिंग महाविद्यालय के मध्य की दूरी सम्बन्धित मानदण्डों में 10 किलोमीटर के लिए छूट प्राप्त हो जाएगी।

Construction of Fly Over

***2552 Shri Mool Chand Sharma :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work of the SohnaBallabghar railway flyover is likely to be completed for which an announcement was made by Hon'ble Chief Minister ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, इस अवधि में कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Upgradation of Sub-Tehsil

565. Shri Om Parkash Barwa : Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state the time by which the sub-tehsil of Behal of Loharu Constituency is likely to be upgraded as Tehsil and Sub-division ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं, श्रीमान् जी। उप-तहसील बहल को तहसील तथा उप-मण्डल के रूप में बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

To Open Gau Sancturies

582 Shri Parminder Singh Dhull : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Gau sanctuaries for the protection and promotion of Desi Gau; and

(b) if so, whether the said Gau sanctuaries will be opened at district level togetherwith the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : (क) जी हां, श्रीमान् जी।

(ख) सराकर आवारा गौवंश के पुनर्वास के लिए दो गौ अभ्यारण्य एक गांव नैन, जिला-पानीपत तथा दूसरा गांव ढंदूर, जिला हिसार में स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

Criteria To Declare Dark Zone

557. Shri Ram Chand Kamboj: Will the Chief Minister be pleased to state the criteria for declaring an area as dark zone in the State togetherwith the details of ground water level of those blocks of the

State which have been declared as dark zone?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, वर्ष 2004 से पहले "डार्क जोन" शब्दावली का प्रयोग होता था तथा जिस खण्ड में भू-जल विकास 85 प्रतिशत से अधिक होता था उस खण्ड को "डार्क जोन" घोषित किया जाता था। अब, वर्ष 2004 के बाद से जिन खण्डों में भू-जल विकास 100 प्रतिशत से अधिक, 90–100 प्रतिशत, 70–90 प्रतिशत और 70 प्रतिशत तक हो उन खण्डों क्रमशः ओवर-एक्सप्लॉयटिड, कीटीकल, सेमी-कीटीकल और सेफ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2013 के नवीनतम भू-जल संसाधन आंकलन के अनुसार राज्य के 64, 14, 11 और 30 खण्ड क्रमशः ओवर-एक्सप्लॉयटिड, कीटीकल, सेमी- कीटीकल और सेफ श्रेणी में आते हैं। विभिन्न खण्डों के वर्गीकरण के साथ-साथ उनमें भू-जल का स्तर अनुबंध-'ए' के रूप में संलग्न है।

अनुबंध-ए

विभिन्न खण्डों में जून, 2017 के दौरान औसतन भू-जल स्तर

क्र. सं.	जिला	खण्ड	जून, 2017 के दौरान भू-जल स्तर (मीटर में)	31.03.2013 के खण्डों का वर्गीकरण
1.	अम्बाला	शहजादपुर	11.12	सेमी-कीटीकल
2.		अम्बाला-1	5.26	सेफ
3.		अम्बाला-2	6.01	सेमी-कीटीकल
4.		बराडा	15.88	ओवर-एक्सप्लॉयटिड
5.		नरायणगढ़	15.84	ओवर-एक्सप्लॉयटिड
6.		साहा	14.46	ओवर-एक्सप्लॉयटिड
7.	भिवानी	बहल	61.76	ओवर-एक्सप्लॉयटिड
8.		सिवानी	21.37	सेफ
9.		दादरी-1	6.24	कीटीकल
10.		दादरी-2	9.56	कीटीकल

11.		बाढ़डा	65.49	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
12.		बवानी खेड़ा	5.03	क्रीटीकल
13.		भिवानी	4.78	क्रीटीकल
14.		लोहारू	62.17	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
15.		तोशाम	10.77	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
16.		कैरू	22.19	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
17.	फरीदाबाद	फरीदाबाद	20.92	क्रीटीकल
18.		बल्लभगढ़	15.67	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
19.	फतेहाबाद	फतेहाबाद	31.77	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
20.		टोहाना	27.07	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
21.		रतिया	36.53	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
22.		भट्टू कलां	6.43	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
23.		भूना	18.77	सेमी—क्रीटीकल
24.		जाखल	37.87	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
25.	गुरुग्राम	फरुखनगर	19.85	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
26.		पटौदी	35.7	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
27.		गुरुग्राम	32.31	क्रीटीकल
28.		सोहना	23.65	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
29.	हिसार	आदमपुर	17.71	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
30.		बरवाला	5.86	सेफ
31.		हांसी	5.06	क्रीटीकल

32.		हांसी—बास	3.37	कीटीकल
33.		हिसार—1	5.85	सेफ
34.		हिसार—2	10.95	सेफ
35.		नारनौद	11.02	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
36.		अग्रोहा	10.02	सेफ
37.		उकलाना	7.87	सेमी—कीटीकल
38.	जींद	अलेवा	30.47	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
39.		जुलाना	5.45	सेमी—कीटीकल
40.		नरवाना	14.95	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
41.		पिल्लूखेड़ा	6.30	सेफ
42.		सफिदों	13.78	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
43.		उचाना	16.29	कीटीकल
44.		जींद	19.31	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
45.	झज्जर	बहादुरगढ़	4.55	सेफ
46.		बेरी	2.80	सेफ
47.		झज्जर	7.06	सेफ
48.		मातनहेल	6.42	सेफ
49.		साहलावास	3.89	सेफ
50.	कुरुक्षेत्र	थानेसर	34.66	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
51.		शाहाबाद	41.91	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
52.		पेहवा	36.47	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
53.		लाडवा	33.36	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
54.		बबैन	39.83	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड

55.		इस्माईलाबाद	42.15	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
56.	कैथल	गुहला	37.6	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
57.		कैथल	30.72	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
58.		पूँडरी	26.4	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
59.		कलायत	10.69	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
60.		राजौंद	16.63	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
61.		सीवन	46.16	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
62.	करनाल	करनाल	17.82	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
63.		इंद्री	14.53	सेफ
64.		घरौंडा	21.81	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
65.		नीलोखेडी	25.06	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
66.		असंध	23.65	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
67.		निसिंग	24.98	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
68.	महेन्द्रगढ	अटेली	67.56	सेमी—कीटीकल
69.		कनीना	26.61	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
70.		महेन्द्रगढ	46.96	सेफ
71.		नांगल चौधरी	47.39	सेमी—कीटीकल
72.		नारनौल	52.71	सेफ
73.		सिहमा*	38.05	—
74.		निजामपुर*	32.13	—
75.		सतनाली*	60.97	—
76.	मेवात	फिरोजपुर झिरका	14.73	सेफ

77.		नूंह	5.63	सेफ
78.		नगीना	6.40	सेफ
79.		पुन्हाना	7.53	कीटीकल
80.		तावडू	23.88	ओवर-एक्सप्लॉयटि ड
81.	पलवल	पलवल	11.83	ओवर-एक्सप्लॉयटि ड
82.		होडल	9.82	सेमी-कीटीकल
83.		हसनपुर	13.12	कीटीकल
84.		हथीन	8.67	सेमी-कीटीकल
85.	पानीपत	पानीपत	28.71	ओवर-एक्सप्लॉयटि ड
86.		इसराना	12.79	ओवर-एक्सप्लॉयटि ड
87.		समालखा	26.94	ओवर-एक्सप्लॉयटि ड
88.		मडलौडा	15.16	ओवर-एक्सप्लॉयटि ड
89.		बपौली	18.7	ओवर-एक्सप्लॉयटि ड
90.	पंचकुला	पिंजौर	19.56	सेफ
91.		बरवाला	16.55	सेफ
92.		रायपुर रानी	16.27	कीटीकल
93.	रोहतक	रोहतक	3.74	सेफ
94.		महम	4.52	सेफ
95.		कलानौर	3.85	सेफ
96.		लाखनमाजरा	4.38	सेफ
97.		सांपला	3.81	सेफ
98.	रेवाड़ी	बावल	26.71	सेफ
99.		जाटुसाना	15.08	सेफ
100.		खोल	56.41	ओवर-एक्सप्लॉयटि ड

101.		रेवाडी	19.36	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
102.		नाहडे	16.86	सेफ
103.	सोनीपत	गोहाना	5.40	सेमी—कीटीकल
104.		राई	15.47	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
105.		खरखोदा	5.27	सेमी—कीटीकल
106.		सोनीपत	11	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
107.		गन्नौर	20.31	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
108.		कथूरा	4.05	सेफ
109.		मुंडलाना	5.77	सेफ
110.		एलनाबाद	27.24	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
111.		औढां	12.95	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
112.	सिरसा	डबवाली	12.54	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
113.		नाथूश्री चौपटा	10.48	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
114.		बड़ागुडा	9.94	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
115.		सिरसा	44.41	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
116.		रानिया	28.73	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
117.		जगाधरी	17.41	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
118.	यमुनानगर	बिलासपुर	9.84	कीटीकल
119.		छछरौली	11.67	कीटीकल
120.		सढौरा	9.2	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड
121.		रादौर	17.11	ओवर—एक्सप्लॉयटि ड

122.	मुस्तफाबाद	13.76	ओवर-एक्सप्लॉयटि ड
------	------------	-------	----------------------

नोट:

1. पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मोरनी खण्ड, जिला पंचकुला का आंकलन नहीं किया गया है।
 - 2 सितारा खण्ड आंकलन वर्ष 2013 के बाद बने हैं।
-

Upgradation of PHC

566. Shri Om Parkash Barwa : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade PHC of Behal town to CHC in Loharu Constituency; if so, the time by which the said PHC is likely to be upgraded?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान् जी।

To Set Up Injection Wells

583. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up injection wells to use flood water for irrigation and conservation of under ground water; if so, the name of places where such injection wells are likely to be set up togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हाँ, श्रीमान जी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में इंजेक्शन कुओं द्वारा कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए एक परियोजना तैयार की गई थी। परियोजना में चयनित किए गए 390 इंजेक्शन कुएं में से केवल 130 स्थानों पर पुनर्भरण के लिए व्यावहारित एवं चयनित पाया गया है। इन 130 स्थानों में से 87 स्थानों पर इंजेक्शन कुओं का निर्माण किया गया है, जिन पर आज तक राज्य निधि से 153.16 लाख रुपयों का व्यय हुआ है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में शेष

निर्माण स्थलों पर कार्य प्रगति पर है | 130 इंजेक्शन कुओं का विवरण उनके निर्माण स्थल को दर्शाते हुए अनुबंध -I में अंकित है |

अनुबंध -I

हरियाणा राज्य में इंजेक्शन वैल्स की स्थापित/प्रस्तावित स्थापित स्थिति का विवरण

क्र०सं०	संबंधित सर्कलों में इंजेक्शन वैल्स सार्टेस का स्थान	परियोजना में संरचनाओं की प्रस्तावित संख्या	सलाहकार द्वारा संरचनाओं की चयनित संख्या	विभाग द्वारा स्थापित संरचनाओं की संख्या	व्यय (लाखों में)	स्थान/जिला/गांव इंजेक्शन वैल्स की संख्या सहित	यदि
	वाई डब्ल्यू एस (नार्थ) इकाई						
1	वाई डब्ल्यू एस सर्कल, जीन्द	44	4	0	शून्य	जिला : जीन्द रेस्ट हाऊस अन्टा (01), सिंचाई कक्ष कार्यालय, जीन्द (02) जिला : करनाल बला (01)	यह वित्ती स्थापि
2	वाई डब्ल्यू एस सर्कल, भिवानी	21	0	0	शून्य	—	
3	एच के बी सर्कल, जगाधरी	25	0	0	शून्य	—	
	बी डब्ल्यू एस इकाई						
4	बी डब्ल्यू एस सर्कल-1, हिसार	30	15	0	शून्य	जिला : हिसार ढाणा कलां (02), पेतवार (01), हांसी (04), जमावड़ी (01), लालपुरा (01), दयाल सिंह कालोनी (01), खरड (02), ढाणी कुतुबपुरा (01), शेखपुरा (01), ढाणी छत्तरपुर (01)	डिजिटल विचार
5	बी डब्ल्यू एस सर्कल-1, फतेहाबाद	20	20	16	35.00	जिला : फतेहाबाद रतिया (01), मुन्हीवाला (03), अलावलवास (02), मुढ़ (02), बहबलपुर (02), हिजरावन (01), चनकोठी (01), भोडिया खेडा (04), बलयाली (01), कुदनी (02), म्योंद (01)	शेष 2018
6	बी डब्ल्यू एस सर्कल-1, कैथल	20	10+10	0	शून्य	जिला : कैथल कैथल सिटी के नजदीक(10), हरिगढ़ किंगन (10)	10 मूल्य प्रस्ता 10 मूल्य कुरुक्षेत्र
7	बी डब्ल्यू एस सर्कल-1, सिरसा	20	14	14	32.52	जिला : सिरसा रोड़ी (02), थिराज (01), मल्हारी (01), भीमा (01), अलीकन (01), मोरीवाला (02), बाजेकन (02), कंगनपुर (01), देसूजोधा (03)	पूरा
8	एस वाई एल डब्ल्यू एस सर्कल, अम्बाला	20	0	0	शून्य	—	
	वाई डब्ल्यू एस,(साऊथ) इकाई						
9	वाई डब्ल्यू एस सर्कल, फरीदाबाद	26	0	0	शून्य	—	
10	वाई डब्ल्यू एस सर्कल, सोनीपत	32	0	0	शून्य	—	
	एल सी यू इकाई						
11	वाई डब्ल्यू एस सर्कल, रोहतक	25	0	0	शून्य	—	
12	लोहारु डब्ल्यू एस सर्कल, भिवानी	34	0	0	शून्य	—	
13	जे एल एन डब्ल्यू एस, सर्कल, रेवाड़ी	31	07	07	18.49	जिला : रेवाड़ी मुसेपुर (01), बेरली कलां (02), बेरली खुर्द (01), दोहकी (01), मान्डिया कलां	

						(02)	
14	जे एल एन डब्ल्यू एस, सर्कल, नारनौल	42	50	50	67.15	जिला : महिन्दगढ़ बडकोडा (09), कोजिंडा (04), नारनौल सिटी (02), भगराना (09), कनाल कालोनी नारनौल (02), बाव (06), महरमपुर (05), तोताहेडी (03), पटीकरा (02), पनिहारी पालड़ी (02), भुखारका (02), कटकई (02), सागरपुर (02)	8 अ के त लिए
	कुल जोड़	390	130	87	153.16		

Total Revenue Realized by Rania M.C.

558. Shri Ram Chand Kamboj : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

- (a) the total revenue realized by the Municipal Committee Rania during the year 2016-17 and 2017-18 togetherwith the total grant received from the Government for the development of Municipal Committee areas; and
- (b) the details of the development works of Rania Municipal Committee on which the said amount was spent during the year 2016-17 and 2017-18?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री कविता जैन) : महोदय,

(क) वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान नगर पालिका, रानियाद्वारा प्राप्त कुल राजस्व व नगर पालिकाको विकास कार्यो के लिए सरकार से प्राप्त कुल अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रूपये लाखों में)

क्रमांक संख्या	वर्ष	प्राप्त राजस्व		राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
		असाइन किए गए राजस्व डी एंड एम (टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, लाइसेंस शुल्क)	खुद की आय (सौंपा राजस्व के अलावा)	
1.	2016-17	55.30	75.5	531.37
2.	2017-18 (12/2017 तक)	43.24	95.76	753.11

(ख) नगर पालिका, रानिया द्वारा किए गए विकास कार्यों का विवरण जिन पर उक्त राशि 2016–17 व 2017–18 में खर्च की गई अनुलग्नक 'क' व 'ख' पर है।

अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2016–17 के दौरान नगर पालिका रानिया द्वारा विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार से हैः—

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम	राशि रुपयों में
1	आईपीबी गली का निर्माण मुख्य चौक से स्वर्ग धाम तक	17,93,317.00
2	नगर पालिका रानिया का टेलीफोन बिल— दिनांक 01.09. 2016 से 30.09.2016	14,423.00
3	नगर पालिका के मुख्य बाजार में आईपीबी टाइल की फिकिंसग	22,123.00
4	स्ट्रीट लाईट बिजली भुगतान 15.8.16 से 15.09.16	4,01,012.00
5	नगर पालिका रानिया के कार्यालय की मुरम्मत	1,65,202.00
6	स्ट्रीट लाईट की खरीद सामग्री 30 वाट एलईडी सेट	4,73,625.00
7	स्ट्रीट लाईट की खरीद सामग्री	22,286.00
8	स्ट्रीट लाईट की खरीद सामग्री	4,83,021.00
9	स्ट्रीट लाईट बिजली भुगतान 15.8.16 से 15.9.16	2,39,605.00
10	विज्ञापन के लिए भारतीय एक्सप्रेस अखबार की अदायगी	1,706.00
11	विज्ञापन के लिए सच काहूं अखबार की अदायगी	1,706.00
12	विज्ञापन के लिए दैनिक भास्कर अखबार की अदायगी	1,517.00
13	विज्ञापन के लिए दैनिक भास्कर अखबार की अदायगी	1,820.00
14	विज्ञापन के लिए दैनिक भास्कर अखबार की अदायगी	4,595.00
15	विज्ञापन के लिए दैनिक भास्कर अखबार की अदायगी	1,820.00
16	विज्ञापन के लिए दैनिक भास्कर अखबार की अदायगी	1,820.00
17	जनशक्ति प्रदान करने के लिए द ट्रिब्यून ट्रस्ट अखबार की अदायगी	648.00
18	जनशक्ति प्रदान करने के लिए द ट्रिब्यून ट्रस्ट अखबार की अदायगी	647.00
19	जनशक्ति प्रदान करने के लिए पंजाब केसरी अखबार की अदायगी	5,232.00
20	पटठा पर एम सी भूमि के लिए पंजाब केसरी अखबार की अदायगी	1,153.00
21	विज्ञापन के लिए सच काहूं अखबार की अदायगी	1,138.00
22	विज्ञापन के लिए ट्रिब्यूट ट्रस्ट अखबार की अदायगी	648.00
23	विज्ञापन के लिए ट्रिब्यूट ट्रस्ट अखबार की अदायगी	5,375.00
24	विज्ञापन के लिए ट्रिब्यूट ट्रस्ट अखबार की अदायगी	809.00
25	विज्ञापन के लिए पल—पल अखबार की अदायगी	809.00
26	विज्ञापन के लिए पल—पल अखबार की अदायगी	755.00
27	विज्ञापन के लिए पल—पल अखबार की अदायगी	647.00
28	विज्ञापन के लिए हरि भूमि अखबार की अदायगी	3,439.00
29	विज्ञापन के लिए हरि भूमि अखबार की अदायगी	2,751.00
30	विज्ञापन के लिए दैनिक जागरण अखबार की अदायगी	2,947.00
31	विज्ञापन के लिए दैनिक जागरण अखबार की अदायगी	5,305.00
32	विज्ञापन के लिए दैनिक जागरण अखबार की अदायगी	2,358.00
33	विज्ञापन के लिए दैनिक जागरण अखबार की अदायगी	2,358.00
34	विज्ञापन के लिए दैनिक जागरण अखबार की अदायगी	2,358.00

35	विज्ञापन के लिए पंजाब केसरी अखबार की अदायगी	1,153.00
36	विज्ञापन के लिए पंजाब केसरी अखबार की अदायगी	2,700.00
37	विज्ञापन के लिए पंजाब केसरी अखबार की अदायगी	1,153.00
38	विज्ञापन के लिए पंजाब केसरी अखबार की अदायगी	1,153.00
39	विज्ञापन के लिए दैनिक भास्कर अखबार की अदायगी	2,124.00
40	विज्ञापन के लिए दैनिक भास्कर अखबार की अदायगी	2,124.00
41	मैसर्ज जिंदल आयरन स्टोर, रानिया की अदायगी	50,655.00
42	मैसर्स प्रिंस गाबा आयरन स्टोर रानिया की अदायगी	7,766.00
43	पालिका अभियन्ता श्री राकेश कुमार को मस्टरोल की अदायगी	11,650.00
44	श्री रंजीत राम फोटोग्राफर रानिया के बिल की अदायगी	4,140.00
45	आईपीबी गली निर्माण नानुआना से पोपली एन्टरप्राइज वाली सड़क के दोनों तरफ	3,56,330.00
46	नई स्ट्रीट लाईट कनेक्शन के लिए (एस0डी0ओ0—डी0एच0बी0वी0एन)	1,07,010.00
47	पैशन शेयर नगर पालिका स्टाफ जनरल ब्रांच—फाईन ब्रांच सफाई शाखा	1,90,488.00
48	नए स्ट्रीट लाईट कनेक्शन के लिए (एस0डी0ओ0—डी0एच0बी0वी0एन)	6,580.00
49	स्ट्रीट लाईट बिजली बिल 15.9.16 से 15.10.16 (एस0डी0ओ0—डी0एच0बी0वी0एन)	65,128.00
50	स्ट्रीट लाईट बिजली बिल 15.9.16 से 15.10.16 (एस0डी0ओ0—डी0एच0बी0वी0एन)	45,490.00
51	स्ट्रीट लाईट बिजली बिल के लिए 51 भुगतान 15.9.16 से 15.10.16 (एस0डी0ओ0—डी0एच0बी0वी0एन)	1,04,303.00
52	स्ट्रीट लाईट बिजली का भुगतान मास दिसम्बर 2016 (एस0डी0ओ0—डी0एच0बी0वी0एन)	7,296.00
53	स्ट्रीट लाईट बिजली का भुगतान मास दिसम्बर 2016 (एस0डी0ओ0—डी0एच0बी0वी0एन)	67,365.00
54	भुगतान सफाई शाखा के कर्मचारियों का वेतन दिसम्बर 2016	4,64,856.00
55	भुगतान नई जोशन अर्थ मुवर रानिया	67,200.00
56	श्रम आधार	13,000.00
57	वेतन संरक्षण मास मार्च, 2016 की अदायगी	4,82,779.00
58	अनुबन्ध आधार पर कर्मचारियों को वेतन मास मार्च, 2016 (दिसम्बर, 2015 से मार्च, 2016)	1,38,805.00
59	श्री सुखदेव सिंह, सफाई कर्मचारी को छुट्टीयों के लिए एरियर का वेतन भुगतान	1,08,712.00
60	स्ट्रीट लाईट के मीटर बिल के लिए (एस0डी0ओ0—डी0एच0बी0वी0एन)	3,39,260.00
61	मैसर्स आर0एस मैनपावर सिक्योरटी सिरसा को अग्निशमन कर्मचारियों की अदायगी मास 1.3.16 से 15.3.16	62,063.00
62	संरक्षक कर्मचारियों का वेतन, मैनेजर को0—ओ0 मास 5 / 2016	4,85,689.00
63	अनुबन्ध आधार कर्मचारी (एस0एम0) मास 5 / 2016	34,255.00
64	अनुबन्ध आधार कर्मचारी (एस0एम0) मास 4 / 2016	5,05,118.00
65	अनुबन्ध आधार कर्मचारी (एस0एम0) मास 4 / 2016	34,231.00
66	जनरल ब्रांच की अदायगी मास 05 / 2016— मैनेजर ओ0बी0सी0 बैंक	64,695.00
67	अग्निशमन शाखा को अदायगी	34,721.00
68	वर्क शाखा को अदायगी	1,33,640.00
69	संरक्षक शाखा को अदायगी	29,384.00
70	श्री मणि राम सहायक एस. टैक्स मास मई / 2016	23,281.00
71	श्री सुरेन्द्र कुमार अकाउटेंट एफ0एफ0 एरियर सितम्बर 2014 से सितम्बर 2015 तक	10,780.00
72	मैसर्स मेहता ब्रदरस रानिया कोएचएसडी की खरीद के लिए	53,392.00

73	श्री महाबीर प्रसाद कलर्क को एस टैक्स के लिए 2009–10 से 2012–13 तक कर ब्याज के लिए	1,08,149.00
74	अनुबन्ध आधार पर मैनफावर सिक्योरटी स्टाफ के लिए वेतन मास 4 / 2016	1,24,129.00
75	श्री मीन कुमार सफाई कर्मचारी को पानी की मोटर की मरम्मत के लिए अदायगी	490.00
76	श्री राजेन्द्र कुमार मिठा वकील को कर्मचारी आय कर बनाने के लिए (वर्ष 2015 – 2016)	2,500.00
77	सिरसा भोले शंकर सहकारी एल०सी० सोसायटी को कंप्यूटर आपरेटर वेतन मास 1 / 3 / 15 से 23 / 3 / 2015	18,435.00
78	पोस्ट मास्टर रानिया को टेलीफोन बिल के लिए अदायगी मास 5 / 2016	493.00
79	दी न्यू हरियाणा इलेक्ट्रोनिक्स वर्क्स सिरसा को स्टीट लाईट की मुरम्मत की अदायगी 14 / 9 / 15 से 31 / 1 / 16	61,193.00
80	ओबीसी मैनेजर को जनरल शाखा का वेतन मास जुन 2016	2,62,440.00
81	मैनेजर को ०००००० बैंक को सरक्षण कर्मचारी के वेतन की अदायगी मास 6 / 2016	5,13,821.00
82	श्री मणि राम कलर्क को एस०टैक्स की अदायगी मास 6 / 2016	23,738.00
83	श्री देश राज सेवानिवृत्ति लेखाकार को चिकित्सा हेतु अदायगी	3,11,573.00
84	एसडी०ओ डीएचबीवीएन रानिया को स्ट्रीट लाईट के बिल की अदायगी मास जनवरी / 2017	1,17,681.00
85	सगु ऐगरीकलचर रानिया वर्क्स को कलिम्प की अदायगी	19,200.00
86	सचदेवा इलेक्ट्रिकल स्टोर को लैबर की अदायगी मास 11 / 2017	31,900.00
87	नगर पालिका कार्यालय की मुरम्मत	1,15,922.00
88	एसडी.ओ डीएचबीवीएन रानिया को स्ट्रीट लाईट के बिल की अदायगी मास फरवरी 2017	1,09,956.00
89	एसडी.ओ डीएचबीवीएन रानिया को स्ट्रीट लाईट के बिल की अदायगी मास फरवरी 2017	1,34,767.00
90	एसडी.ओ डीएचबीवीएन रानिया को पार्क की स्ट्रीट लाईट के बिल की अदायगी	4,454.00
91	जीआईएस कंसोर्टियम इंडिया पीएस लिमिटेड	1,54,795.00
92	मुख्यमंत्री घोषणा योजना बारें अदायगी वैट	19,96,929.00
93	आई०पी०बी गली निर्माण छिंदर सिंह से सुक्खा सिंह वार्ड नं० –२	1,22,550.00
94	वार्ड नं० १–५ की विभिन्न स्थानों व सड़कों की मुरम्मत	1,31,623.00
95	आई०पी०बी सड़क की मरम्मत मुंजाल से लाखबीर, एमरीक व आई०पी०बी की गली मुरम्मत पुर्ण नम्बरदार वाली वार्ड नं० २	2,88,896.00
96	आई०पी०बी स्ट्रीट की मुरम्मत डी०एम पाल सिंह के घर से लेकर करनैल सिंह, आई०पी०बी रिपेयर मैन वार्ड गली नं० २	2,46,743.00
97	मरम्मत / पेटोल वाला विभिन्न गलियों की मरम्मत 10.11. 16 और वार्ड न. १–५ मरम्मत	3,33,693.00
98	आई०पी०बी गली निर्माण महेन्द्र सिंह से जसवंत सिंह वार्ड नं	70,405.00
99	आई०पी०बी गली निर्माण मुख्तियार सिंह की चंचल सिंह वार्ड नं ८	1,01,603.00
100	आई०पी०बी गली की मुरम्मत गुरमीत सिंह वार्ड नं० १०	52,503.00
101	विभिन्न गलियों में मरम्मत का कार्य वार्ड ११ से १५ तक	3,24,344.00
102	आई०पी०बी गली की मुरम्मत पुनम रानी वार्ड नं० ५	1,26,467.00
103	आई०पी०बी गली की मुरम्मत का कार्य वार्ड नं० ११ से १५ तक	1,35,944.00

104	आई०पी०बी गली निर्माण सुरेस सिंह से नानुआना रोड वार्ड नं० 6	1,85,337.00
105	आई०पी०बी गली निर्माण जज कॉलोनी	2,59,285.00
106	आई०पी०बी गली की मुरम्मत का कार्य स्वग्रन गोयल से शंकर आरोड़ा वार्ड नं०6	1,01,921.00
107	आई०पी०बी गली की मुरम्मत का कार्य दलीप वाली गली वार्ड नंबर 8	2,89,196.00
108	आई०पी०बी गली पूनम राणी से जिवन वार्ड नं० 5	1,09,166.00
109	विभिन्न सड़कों की मरम्मत का कार्य 6 से 10 तक	4,29,140.00
110	लेखा –परीक्षण शुल्क की अदायगी	4,68,744.00
111	आई०पी०बी गली मिथु राम को कश्मीर वार्ड नं. 12	1,13,377.00
112	आई०पी०बी गली मुरम्मत नहर सिंह से जसवंत सिंह वार्ड नं. 9	46,131.00
113	आई०पी०बी गली मुरम्मत मुख्य सड़क से सेवा सिंह वार्ड नं. 10	1,71,172.00
114	आई०पी०बी गली कृष्ण वाली गली वार्ड नं. 10	1,26,658.00
115	आई०पी०बी गली शिव देवी वार्ड नं० 13	71,462.00
116	आई०पी०बी गली बलकार सिंह वार्ड नं० 11	1,70,704.00
117	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़क के साथ साथ आईपीबी का निर्माण	12,23,764.00
118	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़क के साथ साथ आईपीबी का निर्माण	10,97,695.00
119	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़क के साथ साथ आईपीबी का निर्माण	16,79,780.00
120	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़क के साथ साथ आईपीबी का निर्माण	9,11,690.00
121	अदालत परिसर में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	2,10,876.00
122	एलेनाबाद प्रिंटर को पम्पलैटस की अदायगी	2,250.00
123	मोबाइल शौचालय छह सीटर्स खरीदें	4,52,500.00
124	मोबाइल शौचालय चार सीटर्स खरीदे	3,05,438.00
125	मैला ग्राउड में शौचालय निर्माण	4,31,092.00
126	बस स्टैंड में शौचालय निर्माण	1,78,072.00
127	नगर पालिका रानिया की पहली मंजिल पर शौचालय का निर्माण	1,05,533.00
128	नगर पालिका रानिया में शौचालय का निर्माण	2,07,614.00
	कुल	2,31,85,377.00

अनुलंगनक 'ख'

वर्ष 2017–18 के दौरान नगर पालिका रानिया द्वारा विकास कार्यों पर खर्च की गई राष्ट्र का विवरण इस प्रकार से है:—

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम	व्यय (रुपयों में)
1	सगु एग्रीकलचर वर्कस रानिया	19,200.00
2	आई०पी०बी निर्माण	1,29,059.00
3	नगर पालिका रानिया में एल्यूमिनियम गेट की खरीद	30,235.00
4	नगर पालिका रानिया में परदे की खरीद	30,800.00
5	दो रिचार्ज वैल लगाने की अदायगी	3,34,905.00
6	सच कहूँ समाचार पत्र के बिल की अदायगी	1,805.00
7	सच कहूँ समाचार पत्र के बिल की अदायगी	2,063.00
8	सच कहूँ समाचार पत्र के बिल की अदायगी	2,063.00
9	सच कहूँ समाचार पत्र के बिल की अदायगी	1,547.00
10	सच कहूँ समाचार पत्र के बिल की अदायगी	1,805.00
11	सच कहूँ समाचार पत्र के बिल की अदायगी	1,934.00

12	सच कहूँ समाचार पत्र के बिल की अदायगी	1,547.00
13	सच कहूँ समाचार पत्र के बिल की अदायगी	1,547.00
14	दैनिक भास्कर के बिल की अदायगी	4,595.00
15	दैनिक भास्कर के बिल की अदायगी	8,756.00
16	दैनिक भास्कर के बिल की अदायगी	8,812.00
17	दैनिक भास्कर के बिल की अदायगी	4,595.00
18	दैनिक भास्कर के बिल की अदायगी	5,361.00
19	दैनिक भास्कर के बिल की अदायगी	6,127.00
20	दैनिक भास्कर के बिल की अदायगी	6,127.00
21	पल पल समाचार पत्र के बिल की अदायगी	647.00
22	पल पल समाचार पत्र के बिल की अदायगी	647.00
23	पल पल समाचार पत्र के बिल की अदायगी	648.00
24	पल पल समाचार पत्र के बिल की अदायगी	755.00
25	जागरण प्रकाष लिमिटेड के बिल की अदायगी	2,751.00
26	जागरण प्रकाष लिमिटेड के बिल की अदायगी	2,751.00
27	चोपडा प्रकाषन हाउस के बिल की अदायगी	1,153.00
28	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़क के साथ साथ आईपीबी का निर्माण	2,97,638.00
29	आईपीबी मरम्मत कालरा फोटोस्टैट वार्ड नं. 4	2,07,056.00
30	आईपीबी गली निर्माण गैस एजेंसी के सामने वार्ड नं. 6	3,25,052.00
31	मैसर्स रोयल ट्रेड लिंक्स को फोगिंग मषीन की खरीद की अदायगी	1,51,984.00
32	खेमका ट्रेडर को स्ट्रीट लाईट सामग्री की खरीद की अदायगी	68,610.00
33	आईओटी०ए० इंजीनियरिंग कार्पोरेशन गुरुग्राम को डस्टबीन खरीद की अदायगी	3,02,717.00
34	श्रम आधार	5,89,307.00
35	आईपीबी गली निर्माण बाबा पीर दरगाह से गुलजार वार्ड नं. 13	2,01,588.00
36	आईपीबी गली निर्माण डॉ सौदागर वाली गली वार्ड नं. 4	1,72,054.00
37	जेसीबी कार्यों के लिए जोशन अर्थ मुवर रानिया का भुगतान	39,840.00
38	जेसीबी कार्यों के लिए जोशन अर्थ मुवर रानिया का भुगतान	47,985.00
39	स्ट्रीट लाईट मरम्मत के लिए नयु हरियाणा इलेक्ट्रानिक की अदायगी	72,406.00
40	नगर पालिका रानिया के विभिन्न मामलों के लिए अजय कुमार मोना वकील के बिल की अदायगी	1,17,500.00
41	नगर पालिका रानिया के विभिन्न मामलों के लिए अजय कुमार मोना वकील के बिल की अदायगी	61,100.00
42	नगर पालिका रानिया के विभिन्न मामलों के लिए अजय कुमार मोना वकील के बिल की अदायगी	24,500.00
43	षिव देवी को ग्रेजुईटी की अदायगी	63,319.00
44	षिव देवी को छुट्टी के लिए अदायगी	40,296.00
45	षिव देवी को बकाया अदायगी	38,314.00
46	जेसीबी कार्यों के लिए जोशन अर्थ मुवर रानिया का भुगतान	10,400.00
47	स्ट्रीट लाईट बिजली का भुगतान (एस०डी०ओ०–डी०एच०बी०वी०एन)	5,21,586.00
48	आईपीबी गली निर्माण सुरजीत सिंह टाल वार्ड नं. 9	36,428.00
49	आईपीबी गली निर्माण मुल्क राज से रणधीर सिंह वार्ड नं. 12	3,42,211.00
50	नगर पालिका कार्यालय की मुरम्मत	12,777.00
51	पल पल समाचार पत्र के बिल की अदायगी	1,020.00

52	दैनिक भास्कर समाचार पत्र के बिल की अदायगी	4,248.00
53	पल पल समाचार पत्र के बिल की अदायगी	1,019.00
54	एचटी मीडीया के बिल की अदायगी	4,789.00
55	एचटी मीडीया के बिल की अदायगी	3,041.00
56	बैनेट कोलमैन एंड कार्पोरेशन लिमिटेड को अदायगी	1,805.00
57	मैसर्स खेमका ट्रेडर्स स्ट्रीट लाइट सामग्री के बिल की अदायगी	2,14,760.00
58	मैसर्स न्यू हरियाणा इलेक्ट्रिकल वर्क्स सिरसा के बिजली के कामकाज के लिए मरम्मत की अदायगी 1.4.17 से 31.07.2017	51,600.00
59	जागरण प्रकाष लिमिटेड के बिल की अदायगी	40,232.00
60	यूनाइटेड सिक्योरिटी एंड मनेजमेंट सर्विस हिसार को मास अक्टूबर, 2017 के बेतन की अदायगी	2,56,987.00
61	मैसर्स न्यू हरियाणा इलेक्ट्रिकल वर्क्स सिरसा के बिजली के कामकाज के लिए मरम्मत की अदायगी 1.8.17 से 30.9.2017	25,800.00
62	स्ट्रीट लाईट बिजली का भुगतान (एस0डी0ओ0-डी0एच0बी0वी0एन) मास 1.2018	3,41,325.00
63	नगर पालिका रानिया के विकास कार्यों के लिए सैनी न्यूज एंड एडवरटाईजमेंट एजेंसी रानिया को विज्ञापन की अदायगी	3,344.00
64	बस स्टैंड के सामने शौचालय निर्माण	1,09,427.00
65	नगर पालिका रानिया में 4 शौचालय ब्लॉक का निर्माण	2,53,635.00
66	टाउन पार्क में 4 शौचालय ब्लॉक का निर्माण	1,48,533.00
67	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़क के साथ साथ आईपीबी का निर्माण	6,18,981.00
68	आईपीबी गली मुरम्मत डी0एन स्कूल के सामने वार्ड नं 2	2,28,782.00
69	आईपीबी गली डॉ फूल सिंह से कर्नल सिंह वार्ड नं0 2	38,046.00
70	नगर पालिका रानिया में रैन बसेरा का निर्माण वार्ड नं0 14	6,74,647.00
71	आईपीबी की मुरम्मत शिवदेवी से बग्गा सिंह वार्ड नं0 13 आईपीबी मिथु सूनार से कश्मीर वार्ड नं0 13	1,70,591.00
72	निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा शुल्क वर्ष 2016–17	2,70,509.00
73	आईपीबी की मुरम्मत अग्रवाल धरमशाला से जिंदल तक वार्ड नं0 4	2,46,868.00
74	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़क के साथ साथ आईपीबी का निर्माण	6,56,649.00
75	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़क के साथ साथ आईपीबी का निर्माण	5,52,007.00
76	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़क के साथ साथ आईपीबी का निर्माण	7,16,367.00
77	नगर पालिका रानिया में रैन बसेरा का निर्माण वार्ड नं0 14	8,18,764.00
78	नगर पालिका रानिया में रैन बसेरा का निर्माण वार्ड नं0 14	1,98,160.00
79	रानिया एक्सप्रेस	6,419.00
80	रानिया एक्सप्रेस	5,902.00
81	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़कों पर लाईट पोल	12,79,922.00
82	शेफ बियरिंग कॉर्पोरेशन ट्रेस्ट व स्ट्रक्चलर डिजाईन हेतु अदायगी	1,02,000.00
83	नगर पालिका रानिया में विभिन्न सड़कों पर लाईट पोल लगाने	20,00,485.00
84	दैनिक भास्कर समाचार पत्र को सी0एम0 घोषणा के विकास कार्यों के विज्ञापन की अदायगी	5,734.00
85	दैनिक भास्कर समाचार पत्र को सी0एम0 घोषणा के विकास कार्यों के विज्ञापन की अदायगी	19,112.00
86	चोपड़ा पब्लिशिंग को सी0एम0 घोषणा के विकास कार्यों के	3,970.00

	विज्ञापन की अदायगी	
87	सी0एम0 घोषणा के विज्ञापन हेतु पल—पल अखबार के विज्ञापन की अदायगी	1,699.00
88	नगर पालिका रानिया में विभिन्न विकास कार्यों के लिए दैनिक भास्कर के विज्ञापन की अदायगी	7,982.00
89	नगर पालिका रानिया में विभिन्न विकास कार्यों के लिए एच0टी0 मीडिया को विज्ञापन की अदायगी	9,556.00
90	नगर पालिका रानिया के विकास कार्यों के लिए सैनी न्यूज एंड एडवरटाईजमैंट एजेंसी रानिया को विज्ञापन की अदायगी	5,733.00
91	नगर पालिका रानिया में पार्क का निर्माण वार्ड नं0 12	12,91,862.00
92	नगर पालिका रानिया में पार्क का निर्माण वार्ड नं0 12	13,74,756.00
	कुल	1,71,23,971.00

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे।

Education Minister (Shri. Ram Bilas Sharma): Speaker Sir, The most handsome Finance Minister will present the beautiful Budget.

वित्त मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु): माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2018–19 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में लगातार चौथे वर्ष इस महान सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यन्त गौरव और सम्मान की बात है। यह विगत तीन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने और आगामी दो वर्षों में अपने विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण और रणनीति प्रस्तुत करने का समय है।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इसने वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 के बीच 7.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि हासिल की है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जोकि विष्व में सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बीघ ही पांचवें स्थान पर पहुंचने की सम्भावना है। क्रय षक्ति समानता के आधार पर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 में, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर ने प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून) में 5.7 प्रतिशत से दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर) में 6.5 प्रतिषत और तीसरी तिमाही (अक्टूबर–दिसम्बर) में 7.2 प्रतिशत वृद्धि का रुझान दर्शाया है। स्थिर मूल्यों पर समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भी 2016–17 में 7.1 प्रतिषत की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2017–18 के लिए 6.5 प्रतिषत से 6.6 प्रतिषत तक वृद्धि की ओर संघोषित हुई है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जीएसटी लागू करने और नोटबंदी के अपेक्षित तात्कालिक प्रभाव को आत्मसात् करने के बाद भी विष्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है।

5. कई आर्थिक संकेतकों ने सुधार के लक्षण दर्शाए हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार द्वारा किए गए सुधार के उपाय फलीभूत हो रहे हैं। विश्व बैंक ने अपनी 2018 वैष्णिक आर्थिक पूर्वानुमान रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2018–19 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.3 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी और आगामी दो वर्षों में यह 7.5 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2018 में भारत 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा। विनिर्माण क्षेत्र के पुनः वृद्धि पथ पर आने, हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ सेवा क्षेत्र के 8 प्रतिशत से अधिक की अपनी उच्च वृद्धि दर को पुनः हासिल करने और निर्यात में 15 फीसदी की संभावित वृद्धि के साथ, हमारा देश आगामी वर्षों में 8 प्रतिषत से अधिक की उच्च वृद्धि दर हासिल करने के अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है।

6. यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक की 'ईज ऑफ'डूइंग बिजनेस' में पिछले तीन वर्षों में भारत की स्थिति में 42 स्थानों का अप्रत्याषित उछाल सुनिष्ठित किया है। हमने पहली बार एर्ष 100 स्थानों में जगह बनाई है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में करां और ऋण जैसे प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व सुधारों, निवेशकों के हितों की रक्षा करने, अनुबंधों को लागू करने, कारोबार को सुविधा प्रदान करने, सुचारू सीमापार व्यापार सुनिश्चित करने, दिवालिया संबंधी मुद्दों को सुलझाने आदि के चलते संभव हो पाया है। हरियाणा की रैकिंग 14वें स्थान से छठे स्थान पर आ गई है। मुझे यह अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जैसाकि माननीय राज्यपाल महोदय ने 5 मार्च को अवगत करवाया था, हरियाणा आज भी चालू वर्ष की रैकिंग हेतु

डीआईआईपी के डायनामिक पोर्टल पर पहले स्थान पर है। राज्य सरकार 'ईज ऑफ'डूइंग बिजनेस' को देश के सामान्य लोगों, विशेषकर समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' तक ले जाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है।

7. राज्य सरकार पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन का स्वागत करती है और सामाजिक तथा आर्थिक मापदंडों में अत्यधिक सुधारों के साथ—साथ इसके बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा पूँजीगत व्यय में वृद्धि, बिजली क्षेत्र में घाटे को कम करना, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना, ईज ऑफ'डूइंग बिजनेस आदि में प्रदर्शन—आधारित प्रोत्साहनों के लिए राज्य को प्रोत्साहित करने हेतु आयोग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का विचार कर रही है।

पिछले प्रदर्शन की समीक्षा

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गौरवमयी सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष मुझे लगातार चौथा बजट पेष करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018–19 के लिए अपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, मैं चालू वर्ष के दौरान सरकार के प्रदर्शन का अवलोकन पेश करना चाहूँगा।

राज्य की अर्थव्यवस्था – सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

9. वर्ष 2017–18 के दौरान, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की सम्भावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 6.6 प्रतिशत दर्ज की गई है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर 2017–18 के लिए हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6.08 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसका 167.52 लाख करोड़ रुपये के अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिष्ठत का योगदान है। वर्ष 2017–18 में, स्थिर मूल्यों पर हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.78 लाख रुपये अनुमानित है, जोकि 130.04 लाख करोड़ रुपये के अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 3.7 प्रतिष्ठत है।

10. वर्ष 2017–18 में, प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धित की ग्रोथ 2.5 प्रतिष्ठत, द्वितीयक क्षेत्र में 7.7 प्रतिष्ठत और तृतीयक क्षेत्र में 9.4 प्रतिष्ठत अनुमानित है। वर्ष 2017–18 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्धित आंकड़े प्राथमिक

क्षेत्र के लिए 3.0 प्रतिष्ठत, द्वितीयक क्षेत्र में 5.1 प्रतिष्ठत और तृतीयक क्षेत्र में 8.3 प्रतिष्ठत अनुमानित हैं।

11. जीएसवीए के संयोजन ने सेवा क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन दर्शाया है, जोकि विकसित और परिपक्व अर्थव्यवस्था का संकेत है। स्थिर मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014–15 में 49.4 प्रतिष्ठत से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 50.9 प्रतिष्ठत हो गया। गत तीन वर्षों के दौरान द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 31 से 32 प्रतिष्ठत के आसपास अधिक या कम स्थिर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014–15 के 52.4 प्रतिष्ठत से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 54.2 प्रतिष्ठत हो गया। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014–15 के 19.5 प्रतिष्ठत से कम होकर वर्ष 2017–18 में 18.0 प्रतिष्ठत रह गया और इसी अवधि के दौरान, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 28.1 प्रतिष्ठत से कम होकर 27.8 प्रतिष्ठत रह गया।

12. वर्ष 2016–17 में, वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,78,890 रुपये अनुमानित थी, जोकि वर्ष 2017–18 में 1,12,764 रुपये के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 1,96,982 रुपये रहने की सम्भावना है, जोकि देषभर में सर्वाधिक में से एक है।

13. माननीय अध्यक्ष महोदय, वैष्णिक विष्लेषण कम्पनी क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेषन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) ने जनवरी 2018 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट 'राज्य का विकास' में उल्लेख किया है कि 'वित्त वर्ष 2013 और 2016 के बीच समग्र सकल घरेलू उत्पाद के साथ-साथ श्रम-सघन क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के अर्थों में' हरियाणा षीर्ष तीन राज्यों में रहा।

राज्य वित्त-राजकोषीय मानक

14. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार, गत तीन वर्षों के दौरान विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करके, केवल राजस्व घाटे को छोड़कर, सभी राजकोषीय मानकों को 14वें वित्त आयोग द्वारा और एफआरबीएम एकट के तहत निर्धारित सीमाओं के अंदर रखने में सक्षम हुई। राजस्व घाटे के मामले में भी, राज्य सरकार बढ़ते रुझान को बदलने में सक्षम हुई। इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.92 प्रतिष्ठत से बजट अनुमान 2017–18 में कम होकर 1.80 प्रतिष्ठत रह गया और संषोधित अनुमान 2017–18 में 1.35 प्रतिष्ठत तक कम होने की सम्भावना है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए, मेरा

लक्ष्य इसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग 1.20 प्रतिष्ठत तक नीचे लाने का है और वर्ष 2019–20 के अंत तक हमारा लक्ष्य इसे शून्य के निकट लाने का है।

15. तथापि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक बेहतर संकेतक है क्योंकि इसमें राजस्व घाटे से पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान षामिल नहीं है। इस पैमाने पर हमारी स्थिति अत्यंत सुखद है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2016–17 में 2.81 प्रतिष्ठत की तुलना में बजट अनुमान 2017–18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.19 प्रतिष्ठत था। संषोधित अनुमान 2017–18 में इसके राज्य सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.52 प्रतिष्ठत रहने की सम्भावना है। यह दर्शाता है कि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वर्ष 2017–18 में अर्थव्यवस्था में पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन पर अधिक बल दिया गया। वर्ष 2018–19 में भी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मात्र 0.39 प्रतिष्ठत के सम्भावित प्रभावी राजस्व घाटे के साथ, यही रुझान रहने की सम्भावना है।

16. राजकोषीय घाटा राज्यों के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिष्ठत की निर्धारित सीमा के अन्दर रहा। वर्ष 2015–16 में, राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.92 प्रतिष्ठत था, जबकि वर्ष 2016–17 में यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद (उदय के बिना) का 2.91 प्रतिष्ठत था। बजट अनुमान 2017–18 में, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.84 प्रतिष्ठत (उदय के साथ) और 2.40 प्रतिष्ठत (उदय के बिना) था। संषोधित अनुमान 2017–18 में यह 2.83 प्रतिष्ठत (उदय के साथ) और 2.48 प्रतिष्ठत (उदय के बिना) तक कम होने का अनुमान है। आगामी वर्ष 2018–19 के लिए, यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.51 प्रतिष्ठत (उदय के बिना) और 2.82 प्रतिष्ठत (उदय के साथ) रहने की सम्भावना है।

17. ऋण व राज्य घरेलू सकल उत्पाद का अनुपात 25 प्रतिष्ठत की निर्धारित सीमा के अन्दर रहा। यह उदय के बिना वर्ष 2016–17 में 18.09 प्रतिष्ठत तथा संषोधित अनुमान 2017–18 में 19.04 प्रतिष्ठत और उदय के साथ 2016–17 में 22.85 प्रतिष्ठत तथा संषोधित अनुमान 2017–18 में 23.30 प्रतिष्ठत था। वर्ष 2018–19 में यह उदय के बिना 19.66 प्रतिष्ठत और उदय के साथ 23.44 प्रतिष्ठत अनुमानित है।

18. संषोधित अनुमान 2017–18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल राजस्व प्राप्तियां 11.52 प्रतिष्ठत अनुमानित हैं, जबकि वर्ष 2016–17 में ये 9.63 प्रतिष्ठत थीं। यह राज्य संसाधनों के लिए एक अति महत्वपूर्ण और स्वस्थ सुधार है।

19. संषोधित अनुमान 2017–18 के लिए, कुल राजस्व प्राप्तियां 70,085.13 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिनमें 53,061.52 करोड़ रुपये (75.71 प्रतिष्ठत) की कर राजस्व प्राप्तियां और 17,023.61 करोड़ रुपये (24.29 प्रतिष्ठत) की गैर–कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। बजट अनुमान 2018–19 में, मैंने 76,933.02 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियां प्रक्षेपित की है, जिनमें कर प्राप्तियां 58,431.74 करोड़ रुपये तथा गैर–कर प्राप्तियां 18,501.28 करोड़ रुपये की हैं, जोकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 11.19 प्रतिष्ठत होगा।

पूंजीगत व्यय

20. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बजट अनुमान 2017–18 में अनुमानित 22,393.51 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत व्यय के समक्ष, हम इसे संषोधित अनुमान 2017–18 में 22,428.08 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में सक्षम हैं। आगामी वित्त वर्ष 2018–19 के लिए, मैं इसे बढ़ाकर 30,012 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ जो कि बजट अनुमान 2017–18 पर 34 प्रतिष्ठत की वृद्धि दर्शाता है।

21. प्रदेश में पूंजीगत अवसंरचना के सृजन व इसके मजबूतीकरण हेतु हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी निवेष कर रहे हैं। वर्ष 2018–19 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 4,741 करोड़ रुपये का पूंजी निवेष किए जाने का अनुमान है। इसलिए, वर्ष 2018–19 में पूंजीगत व्यय 34,753 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

22. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पूंजी निर्माण, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) के प्रदर्शन ने घाटे में कमी या लाभ में सुधार के मामले में सुधार के लक्षण दर्शाए हैं।

23. कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से वर्ष 2016–17 में 14 उपक्रमों ने शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि वर्ष 2013–14 में 13 उपक्रमों ने शुद्ध लाभ अर्जित किया था। वर्ष 2016–17 के दौरान इन 14 उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ 187.29 करोड़ रुपये था। घाटे में रहने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013–14 के नौ से कम होकर वर्ष 2016–17 में आठ रह गई। न केवल संख्या में, बल्कि मौद्रिक रूप में भी समग्र घाटा वर्ष 2013–14 में 3,806.37 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2016–17 में कम होकर 3,452.42 करोड़ रुपये रह गया।

24. इसी प्रकार, सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी सुधार के लक्षण दर्शाए हैं। यह इस बात से परिलक्षित होता है कि घाटे वाले उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013–14 में 13 से कम होकर वर्ष 2016–17 में 10 रह गई। घाटे की राष्ट्रीय वर्ष 2013–14 में 435.37 करोड़ रुपये से कम होकर वर्ष 2016–17 में 400.96 करोड़ रुपये रह गई। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या पांच से बढ़कर आठ हो गई और उनका लाभ 72.91 करोड़ रुपये से बढ़कर 337.30 करोड़ रुपये हो गया, जो अप्रत्याषित वृद्धि दर्शाता है।

25. विशेष कानूनों के तहत पंजीकृत पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी अपने लाभ में सुधार दर्शाया है जोकि वर्ष 2013–14 में 33.85 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 51.03 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अभी परिचालन उत्कृष्टता के अपने इष्टतम स्तर तक पहुंचना है, फिर भी वे अवसंरचना, रोजगार इत्यादि के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नई पहल

26. पिछले तीन वर्षों में हम प्रदेश के वित्त और राजकोषीय प्रबन्धन में परिवर्तन लाने में सक्षम हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य वित्त एवं बजट के प्रबन्धन में परिवर्तन का नायक बनकर देष में एक अग्रणी स्थान हासिल किया है।

27. सरकार ने 30 नवंबर, 2017 को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सीमित कैषलेस मेडिकल सर्विसिज स्कीम शुरू की है। यह योजना वर्तमान में 6 प्राणघातक अवस्थाओं, नामतः हृदय सम्बन्धी आपात स्थितियों, दुर्घटनाओं, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर, कोमा, मस्तिष्क रक्तस्राव और करंट लगाने, के लिए लागू

है। कैषलेस मेडिकल सुविधा की 5 लाख रुपये प्रति दाखिला की ऊपरी सीमा भी हटा ली गई है।

28. राज्य के अंदर और बाहर सरकारी भूमि/संपत्तियों की पहचान करने के लिए एक **एस्सेट मैनेजमेंट सैल** बनाया गया है। इसने अब तक 24,109 सरकारी संपत्तियों की पहचान की है। मैं वर्ष 2018–19 में इन संपत्तियों के मुद्रीकरण से 1000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

29. सरकार ने **हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** के नाम से एक नई गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है, जोकि सार्वजनिक उद्यमों, हरियाणा के स्वायत्त निकायों और अन्य राज्य संस्थाओं की अधिशेष निधियों के कुशल प्रबंधन के लिए आंतरिक खजाना प्रबंधक के रूप में कार्य करेगी। इस कम्पनी के वर्ष 2018–19 की प्रथम तिमाही में चालू होने की संभावना है।

30. राज्य सरकार ने कराधान, बजट, वित्तीय नियोजन, लेखा परीक्षा तथा लेखा प्रबंधन प्रक्रियाओं और नीतिगत मुद्दों पर विषेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, सार्वजनिक वित्त नीति, वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय प्रशासन के क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीच्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट की स्थापना की है। इसके अलावा, हरियाणा में सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर विजन 2030 को कार्यान्वित करने के लिए, यूएनडीपी की सहायता से संस्थान के एक भाग के रूप में, एसडीजी समन्वय केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए फरवरी, 2018 में उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं।

31. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने वास्तविक समय आधार पर प्रयोक्ता तक सरकार से निधियों के प्रवाह की ऑनलाइन निगरानी हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के कार्यान्वयन के माध्यम से खजाना प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है। हम व्यक्तिगत लेजर खातों (पीएलए)/व्यक्तिगत जमा खातों (पीडीए)/अन्य जमाओं के माध्यम से बैंक खातों में पड़ी अप्रयुक्त धनराशि को राज्य के खजाने में लाने में भी सक्षम हुए हैं। इस अनुक्रम में, मैं विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत स्वायत्त निकायों को अप्रैल 2018 से केवल एक या दो प्रमुख बैंक खाते संचालित करने की

अनुमति देकर और अधिक वित्तीय अनुशासन लाने के लिए एक प्रमुख प्रक्रियात्मक परिवर्तन का प्रस्ताव करता हूँ। अन्य बातों के साथ—साथ, इसका अर्थ है कि धनराषि के कुशल उपयोग के लिए प्रत्येक विभाग, बोर्ड, निगमों या प्राधिकरण को सभी शेष बैंक खातों को एक या दो खातों में समेकित करना होगा।

32. लेखा और लेखा परीक्षण के क्षेत्रों में पेशेवर योग्यता के उच्चतम मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने अपनी राज्य अधीनस्थ लेखा सेवाओं (एसएएस) और ऑडिट काडर का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए भारतीय लोक लेखा परीक्षक संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा एक अध्ययन किया जा रहा है। इससे काडर को अपना काम और अधिक पेशेवर ढंग से करने की सुविधा मिलेगी और साथ ही सरकारी विभागों के साथ—साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी राज्य वित्त का बेहतर प्रबन्धन हो सकेगा।

वित्तीय समावेश तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

33. मुझे इस सम्मानित सदन को बताते हुए गर्व हो रहा है कि वित्तीय समावेश में प्रमुख कदम उठाए गये हैं। जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिवेणी अर्थात् जेएएम के तहत, सभी परिवारों को जन धन के तहत कवर किया गया है। आधार नामांकन के मामले में हरियाणा देश के शीर्ष राज्यों में से एक है और प्रदेश में बड़े पैमाने पर मोबाइल को अंगीकार किया जा रहा है।

34. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, अगस्त, 2014 में इसके शुरू होने के बाद से 31 दिसम्बर, 2017 तक 64.54 लाख जन धन खाते खोले गये। ग्रामीण क्षेत्रों में 31.64 लाख और शहरी क्षेत्रों में 32.90 लाख खाते खोले गए तथा 58.26 लाख रुपे कार्ड जारी किए गये।

35. बैंकों द्वारा 31 दिसंबर, 2017 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 27,94,368, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 8,53,218 तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1,49,896 लोगों को नामांकित किया गया।

36. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2017 तक 1,35,784 लाभार्थियों को 2,051.76 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जिसमें से 407.02 करोड़ रुपये, 50,770 महिला लाभार्थियों को तथा 150.74 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति के 29,605 लाभार्थियों को वितरित किए गये।

मुद्रा योजना के तहत, इस योजना के शुरू होने से लेकर 8 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक सभी तीनों श्रेणियों नामतः षिषु, तरुण व किषोर में 4,72,380 लाभार्थियों को 5,832.83 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)

37. हरियाणा उन प्रगतिशील राज्यों में से एक है, जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) किया है ताकि आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके मौजूदा जटिल वितरण प्रक्रियाओं में सुधार करके मध्यस्थों और छद्म लाभार्थियों को निकाला जा सके और सरकारी योजनाओं के लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने सुनिष्चित किए जा सकें। हम पेंशन, छात्रवृत्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लिकेज और चोरी को रोकने तथा छद्म लाभार्थियों को निकालने में सक्षम हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप लगभग 1000 करोड़ रुपये वार्षिक की अनुमानित बचत हुई है।

38. हरियाणा राज्य 1 अप्रैल, 2017 से कैरोसीन मुक्त हो गया है। इससे प्रति वर्ष लगभग 270 करोड़ रुपये की बचत हुई है और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने यह मील का पत्थर हासिल किया है। महिलाओं को धुएं के कलंक से मुक्ति दिलवाने के लिए तीन लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं।

39. राज्य सरकार ने मई 2016 में प्रोफेसर मुकुल आशेर की अध्यक्षता में आठ अन्य सदस्यों वाले पांचवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया था। संदर्भ की षर्तों के अनुसार, आयोग को स्थानीय निकायों, ग्रामीण और शहरी दोनों, को निधियों के हस्तांतरण और उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करनी थी। आयोग ने सितंबर, 2017 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसकी कैबिनेट उप-समिति द्वारा जांच की जा रही है। अंतरिम उपाय के रूप में, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2018–19 के लिए निधियों का हस्तांतरण मौजूदा पद्धति पर जारी रहेगा।

**कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं,
मुश्किल ये है कि बाग में अब तक कुछ कांटे पुराने हैं।**

बजट अनुमान 2018–19

40. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये (1,02,329.35 करोड़ रुपये) से अधिक के परिव्यय

वाला बजट प्रस्तुत करके हमने प्रदेष के बजट इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर पार किया था।

41. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018–19 के लिए मैं, 1,15,198.29 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूँ जोकि बजट अनुमान 2017–18 की तुलना में 12.6 प्रतिशत और 1,00,739.38 करोड़ रुपये के संबोधित अनुमान 2017–18 से 14.4 प्रतिशत अधिक है। इस बजट परिव्यय में 30,012 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के रूप में 26.1 प्रतिशत और 85,187 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के रूप में 73.9 प्रतिशत परिव्यय शामिल है।

42. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा उन कुछेक राज्यों में से एक है, जिन्होंने यूएनडीपी की सहायता से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर आधारित अपना विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जून 2017 में हरियाणा एसडीजी 2030 दस्तावेज का अनावरण किया था। मैंने राज्य के बजट 2018–19 को एसडीजी विजन 2030 के दस्तावेज के आधार पर तैयार करने का प्रयास किया है ताकि हमारे राज्य को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और उदीयमान इकाई में परिवर्तित किया जा सके।

43. तीन मुख्य सिद्धांत अर्थात् (प) ‘किसी को भी पीछे न छोड़कर, सबसे पहले सबसे आगे पहुँचना’, राज्य सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ और ‘अंत्योदय’ के दर्शन के अनुरूप है, (पप) सतत विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और (पपप) सार्वभौमिकता, प्रदेष में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक शक्तियां हैं। इस विजन दस्तावेज में वर्ष 2030 तक सतत विकास के प्रत्येक लक्ष्य के तहत प्रमुख केंद्र बिन्दु क्षेत्रों, वर्तमान हस्तक्षेपों और राज्य द्वारा हासिल किए जाने वाले प्रासंगिक मील पत्थरों पर प्रकाश डाला गया है। हरियाणा द्वारा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतकों को सुधारने के लिए पहले से ही कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस विजन 2030 दस्तावेज का लक्ष्य, नीतियों और कार्यक्रमों को तेज करने तथा दस्तावेज में निर्धारित महत्वाकांक्षी कार्य योजना को हासिल करने के लिए अन्य सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करना है।

44. अगले चरण के रूप में, भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार, राज्य सरकार विजन 2030 दस्तावेज में निहित सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए एक

तीन वर्षीय कार्य योजना तथा एक सात वर्षीय रणनीतिक योजना तैयार करने के लिए कार्य कर रही है।

45. अपने पहले प्रयास में, मैंने बजट आवंटन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने और वैशिक तथा राष्ट्रीय संकेतकों की व्यापक सूची के माध्यम से कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1.15 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से, 44,911.16 करोड़ रुपये की राषि से उन योजनाओं के लिए आवंटित की गई है, जिनसे प्रदेश में उचित समय में 15 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसका विवरण एक अलग दस्तावेज में दिया गया है।

क्षेत्रीय आवंटन

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

46. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दृढ़ता से मानना है कि कृषि में आर्थिक वृद्धि को और अधिक मजबूत व सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लाभ हमारे किसानों, चाहे उनके पास भूमि हो या वे भूमिहीन हों, के लिए अधिकतम होने चाहिए। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करने के अपने प्रयास में, राज्य सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने तथा उनकी बेहतरी के लिए सात कार्य बिंदुओं पर केन्द्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

47. हमारे किसानों के कठोर परिश्रम और सरकार के हस्तक्षेपों के फलस्वरूप, खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 2014–15 में 153 लाख मीट्रिक टन से 17 प्रतिष्ठत से भी अधिक बढ़कर वर्ष 2016–17 में 180 लाख मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2017–18 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 174 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

48. हरियाणा खाद्यान्नों के उत्पादन और खरीद में एक अधिषेष राज्य रहा है। रबी विपणन सीजन 2017–18 के दौरान, केन्द्रीय पूल के लिए 1625 रुपये प्रति किवंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। खरीफ विपणन सीजन 2017–18 के दौरान, सामान्य और ग्रेड-ए (लेवीएबल) किस्मों के 59.17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद क्रमशः 1550 रुपये और 1590 रुपये के

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। गेहूं और धान की यह खरीद अब तक की सर्वाधिक खरीद है।

49. रबी विपणन सीजन 2018–19 के लिए, राज्य में खरीद एजेंसियों ने 1735 रुपये प्रति विवंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के प्रबन्ध किए हैं। यह भाव पिछले वर्ष की तुलना में 110 रुपये प्रति विवंटल अधिक है।

50. राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए गन्ने का अब तक का सर्वाधिक 330 रुपये प्रति विवंटल का मूल्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, किसानों से सूरजमुखी, मूंग, बाजरा और सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है और भविष्य में भी की जाती रहेगी।

51. राज्य सरकार भारत सरकार के उस निर्णय का स्वागत करती है कि सभी अधोषित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा, जैसाकि रबी की अधिकतर फसलों के लिए है। यह ऐतिहासिक निर्णय भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

52. पानी और बीज के अतिरिक्त मृदा कृषि में एक महत्वपूर्ण आदान है। राज्य मृदा में मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने के लिए मृदा परीक्षण कार्यक्रम लागू कर रहा है। प्रदेश में 34 स्थैतिक और 2 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) संचालित हैं। राज्य में लगभग 13.34 लाख मृदा नमूने एकत्रित किए गये और 40 लाख मृदा स्वारक्ष्य कार्ड वितरित किए गए हैं।

53. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जैविक खाद और जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत 50 एकड़ प्रत्येक के 20 कलस्टरों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और 250 गांवों में किसानों को शिक्षित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से जलवायु स्मार्ट कृषि योजना शुरू की गई है।

54. उर्वरकों की आवश्यकता और उपयोग को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है

और उर्वरक रिटेल आउटलेट्स पर 7300 प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें स्थापित की गई हैं।

55. सरकार ने कृषि को लाभकारी बनाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा किसान परिवारों और भूमिहीन श्रमिकों के शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए उपाय करने हेतु 'हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण' स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में एक विधेयक इस सदन के चालू सत्र में लाए जाने की सम्भावना है।

बागवानी

56. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार इस तथ्य को बखूबी समझती है कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी बेहतरी के लिए बागवानी, पशुपालन, डेरी, मत्स्य पालन आदि में कृषि का विविधिकरण अति आवश्यक है। इस दिशा में, सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में बागवानी के तहत क्षेत्र को 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाकर दोगुना करने तथा उत्पादन को तीन गुणा करने के उद्देश्य से 'हॉटिकल्चर विजन' तैयार किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने 140 फसल समूहों में 340 'बागवानी गांव' घोषित किये हैं, जिसके लिए फसल विविधिकरण तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक फसल समूह विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी) तैयार किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार उच्च मूल्य वाली सब्जियों और उनके प्रत्यक्ष विपणन के लिए फरीदाबाद जिले में एक पायलट परियोजना शुरू करके 13 एनसीआर जिलों में पेरी—अर्बन खेती को बढ़ावा दे रही है।

57. तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों के साथ करनाल में प्रदेश का पहला बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। वैशिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करने की परिकल्पना की गई है। बागवानी फसलों में प्रदर्शन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक जिले में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मधुमक्खी पर भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र 2017 में कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया तथा पलवल, झज्जर और नारनौल में तीन उत्कृष्टता केंद्रों पर कार्य शुरू हो चुका है।

58. थोक बाजार में कम कीमतों के दौरान किसानों को प्रोत्साहन देकर उनके जोखिम को कम करने के लिए बागवानी फसलों में 'भावांतर भरपाई योजना' शुरू

की गई है। प्रथम चरण में, चार फसलों नामतः प्याज, टमाटर, आलू और फूलगोभी को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।

59. केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की प्रणाली को सुचारू, पारदर्शी और किसान/आढ़ती हितैषी बनाने के लिए ई—एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के नाम से ई—मार्केट प्लेटफॉर्म बुरु किया है। प्रदेश में 54 मंडियों को इस प्लेटफार्म से जोड़ा जा चुका है तथा 54 और मंडियों को इस वर्ष के अंत तक जोड़ दिया जाएगा।

पशुपालन एवं डेरी

60. पशुपालन और डेरी क्षेत्र एक अन्य क्षेत्र है, जिसे ध्यान केंद्रित करने के लिए चिन्हित किया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र किसानों की आय को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे किसानों के कठोर परिश्रम और सरकार से व्यापक सहायता के कारण, प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 329 ग्राम की राष्ट्रीय औसत की तुलना में 878 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। प्रदेश में वीटा बूथों के माध्यम से पाष्व्युरीकृत ए—2 गाय का दूध उपलब्ध करवाने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है।

61. माननीय अध्यक्ष महोदय, आवारा बैलों की समस्या से निपटने के साथ—साथ मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करके दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में, सरकार का वर्ष 2018—19 में बड़े पैमाने पर सेक्सड सीमन टैक्नोलोजी अपनाने का प्रस्ताव है। इस तकनीक के तहत गाय के 90 प्रतिशत से अधिक बछिया पैदा होंगी, जिससे न केवल आवारा बैलों की समस्या हल होगी, बल्कि दुग्ध उत्पादन के लिए मादा पशुओं की उपलब्धता में भी वृद्धि सुनिश्चित होगी।

62. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विश्व प्रसिद्ध मुर्गा नस्ल की भैंस का गर्वित भंडार है। मुर्गा जर्मप्लाजम के और अधिक विकास, प्रचार और संरक्षण के लिए, मैं वर्ष 2018—19 के दौरान नारनौंद उपमण्डल, हिसार में ‘मुर्गा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र’ स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह केंद्र स्वरोजगार के लिए डेरी/डेरी फार्मिंग के मूल्य वर्धित उत्पादों हेतु महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और किसानों का कौशल विकास करके मुर्गा नस्ल की भैंसों का समग्र विकास सुनिष्चित करने में एक दूरगामी कदम साबित होगा। इसके अतिरिक्त, पषु चिकित्सा क्षेत्र में षिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए लाला लाजपत राय पषु चिकित्सा

एवं पषु विज्ञान विष्वविद्यालय, हिसार के तहत एक पषु चिकित्सा पषुधन विकास डिप्लोमा कॉलेज लखनौर साहिब, अम्बाला में स्थापित किया जाएगा।

वन

63. प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.65 प्रतिशत भाग वन और वृक्षों के अधीन है। पंचायत समितियों के सहयोग से दो अभिनव योजनाएं 'हर गांव पेड़ों की छांव' और 'हर घर हरियाली' शुरू की गई हैं। प्रदेश में 58 हर्बल पार्क स्थापित किए जा चुके हैं तथा मोरनी की पहाड़ियों में पतंजलि योगपीठ की तकनीकी सहायता से वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है, जो निकट भविष्य में औषधीय पौधों का एक विशाल भंडार बन जाएगा। मुरथल, सोनीपत में 116 एकड़ क्षेत्र में एक सिटी फॉरेस्ट का विकास किया जा रहा है। षिवालिक तथा अरावली में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण पर भी बल दिया गया है।

64. वर्ष 2018–19 के दौरान, लगभग 15,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण किया जाएगा। वनों, वन्य प्राणियों और जैव विविधता के संरक्षण में अधिक से अधिक लोगों को षिक्षित करने के लिए मजबूती से प्रयास किए जाएंगे ताकि गरीबी को कम करने, आजीविका सृजन तथा जलवायु परिवर्तन के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

65. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आगामी वर्षों में प्रदेश में कृषि क्षेत्र को एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जोकि समग्र, समेकित, प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी हो। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के लिए सदैव प्राथमिकता क्षेत्र रहा है।

मेरे जुनूं का नतीजा ज़रूर निकलेगा,

इसी सियाह समुन्दर से नूर निकलेगा।

मैं कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए संघोधित अनुमान 2017–18 के 2,709.69 करोड़ रुपये से 51.22 प्रतिष्ठत की एक ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए वर्ष 2018–19 के लिए 4,097.46 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें कृषि के लिए 1,838.49 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 913.43 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 834.91 करोड़ रुपये, वनों के लिए 427.17 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन के लिए 83.46 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

सिंचार्इ और जल संसाधन

66. सरकार ने प्रदेश में “प्रति बूँद अधिक फसल” पहल के अनुसार, पानी की प्रत्येक बूँद के संरक्षण और इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से सिंचाई के क्षेत्र में कई पहल की हैं।

67. राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए मानसून अवधि के दौरान प्रदेश में अधिशेष पानी लाने और “हर खेत को पानी” के विजन को साकार करने के लिए, वाहक प्रणाली की क्षमता बढ़ाकर मौजूदा नहर प्रणाली के पुनर्वास और जीर्णोद्धार का कार्य किया है।

68. मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए, वाहक प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने हेतु चार प्रमुख परियोजनाएं तैयार की गई हैं: जिनका लक्ष्य मानसून सीजन के दौरान लगभग 4000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी लाना है। ये परियोजनाएं हैं—(प) आरडी 68220 (हमीदा हेड) से आरडी 190950 (इन्द्री हेड) तक पश्चिमी यमुना कैनाल मेन लाइन लोअर, (पप) आरडी 0—154000 तक पश्चिमी यमुना कैनाल मुख्य शाखा, (पपप) क्षमता सुधार हेतु आरडी 0—145250 तक समानांतर दिल्ली शाखा का पुनरोद्धार और (पअ) 6000 क्यूसेक की डिजाइंड क्षमता के साथ एक नए सीमेंट-कंक्रीट लाइंड चैनल के निर्माण के लिए संवर्धन नहर की रि-मॉडलिंग।

69. वर्ष 2018—19 और 2019—20 के दौरान 550 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 125 चैनलों के मुख्य जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है। वर्ष 2016—17 और 2017—18 के दौरान 150 करोड़ रुपये की लागत से पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी, हांसी शाखा, हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, हिसार डिस्ट्रीब्यूटरी, जींद डिस्ट्रीब्यूटरी संख्या—3, पुथला डिस्ट्रीब्यूटरी, मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी, चंदर माइनर, भिराना डिस्ट्रीब्यूटरी, बुड़क माइनर, धारोली डिस्ट्रीब्यूटरी, टोहाना डिस्ट्रीब्यूटरी, सिंसर माइनर, खरल माइनर, कलवान माइनर, पंजोखरा माइनर, इशरवाल डिस्ट्रीब्यूटरी, निगाना—बुरटाना लिंक चैनल, गुजराणी माइनर, निगाना फीडर, निगाना नहर, कैरू माइनर, जुई फीडर, सैली माइनर, जहांगीरपुर माइनर, लोहारु डिस्ट्रीब्यूटरी, जुलाना सब—माइनर इत्यादि पर कार्य शुरू किया गया।

70. इसके अलावा, 143 करोड़ रुपये की लागत से जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंप घरों और नहरों की क्षमता को सुधारने की एक परियोजना मार्च 2018 तक पूरी होने की संभावना है।

71. लोहारू नहर प्रणाली की क्षमता को बहाल करने के लिए, लोहारू और बंधवाना नहर प्रणाली के विभिन्न पंपों और विद्युत घटकों को बदलने और उनके पुनरोद्धार के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये की राष्ट्रि स्वीकृत की है।

72. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सरकार विगत 39 वर्षों में पहली बार अधिकतम नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने में भी सक्षम हुई है। कुल 1350 नहरी टेलों में से 1343 टेलों को पूरी तरह से भरा गया और 7 टेलों को तकनीकी कारणों के चलते पूरी तरह से भरा नहीं जा सका। जुलाई—सितंबर 2017 के दौरान (2014 की तुलना में) जेएलएन फीडर ने 150 प्रतिशत और महेन्द्रगढ़ नहर (एमजीसी) ने 157 प्रतिशत पानी की आपूर्ति की, जिससे 39 वर्षों के बाद टेलों तक पानी पहुंचा। लोहारू नहर ने 184 प्रतिशत पानी की आपूर्ति की, जिससे 25 वर्षों के बाद सबसे लंबी डिस्ट्रीब्यूटरियों की टेल तक पानी पहुंचा। रेवाड़ी जिले को पानी की आपूर्ति करने वाली जेएलएन नहर ने पिछले दशकों की तुलना में विगत गर्मी के मौसम में 156 प्रतिशत पानी की आपूर्ति की। यह सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

73. सरकार एसवाईएल का निर्माण करवाने और रावी—ब्यास के पानी का अपना न्यायोचित हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई, जो पिछले 12 वर्षों से लंबित थी, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवम्बर, 2016 को हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी, 2017 को दोहराया कि न्यायालय द्वारा 30 नवम्बर, 2016 को पारित अंतरिम आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुदाई का कार्य पूरा करवाने हेतु जल संसाधन मंत्रालय को उचित निर्देश देने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था ताकि पंजाब के क्षेत्र में एसवाईएल को शीघ्र पूरा करवाने के लिए मार्ग प्रष्ठत हो सके। मैं वर्ष 2018–19 में विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूँ कि यदि एसवाईएल के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये की भी आवश्यकता पड़ी, तो हम उपलब्ध करवाएंगे।

सूक्ष्म सिंचाई

74. वर्ष 2017–18 के दौरान, “हरियाणा के विभिन्न जिलों में मौजूदा नहर कमान में सामुदाय आधारित सौर/ग्रिड पावर्ड सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना की स्थापना” के लिए 13 जिलों में 14 आउटलेट्स पर 1972 हैक्टेयर को कवर करने वाले कमान क्षेत्र हेतु 24.65 करोड़ रुपये की राषि की एक पायलट परियोजना क्रियान्वित की गई है। चौदह योजनाओं में से 9 नौ संचालित हैं और पांच योजनाएं जून, 2018 तक पूरी हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का प्रस्ताव इस परियोजना का 262 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 132 आउटलेट के 20957 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले प्रत्येक खण्ड के एक आउटलेट तक विस्तार करने का है।

75. व्यर्थ जा रहे उपचारित पानी के उपयोग के लिए 3.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 'सीवेज ट्रीटमैंट प्लांटों पर सूक्ष्म सिंचाई' पर एक पायलट परियोजना कुरुक्षेत्र के शाहाबाद, पेहोवा और लाडवा कस्बों में 290 हैक्टेयर में क्रियान्वित की जा रही है।

76. मैं वर्ष 2018–19 में सिंचाई और जल संसाधनों के लिए 3,222.21 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ जोकि संषोधित अनुमान 2017–18 के 2,684.89 करोड़ रुपये के परिव्यय से 20.01 प्रतिशत अधिक है।

ग्रामीण विकास और पंचायत

77. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार प्रदेश के समान और संतुलित आर्थिक विकास के लिए गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। क्रियान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, (प) वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक पांच वर्ष के अंदर 10,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों के योजनाबद्ध विकास के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना, (पप) तीन वर्ष की अवधि के दौरान 3,000 से 10,000 तक की जनसंख्या वाले 1,700 गांवों के विकास के लिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, (पपप) ग्रामीण-षहरी समूहों के विकास पर लक्षित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (एसपीएमआरएम), जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। ये कलस्टर आर्थिक गतिविधियों का प्रावधान करके, विकासशील कौशल और स्थानीय उद्यमिता और बूनियादी सूविधाएं प्रदान करके विकसित किए जाएंगे।

78. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत, 6.33 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है। राज्य को 22 जून, 2017 को खुले में शौच—मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। अब, स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण का ध्यान ओडीएफ प्लस पर है, जिसके तहत हरियाणा को प्लास्टिक—मुक्त, स्वच्छ और हरित बनाने की परिकल्पना की गई है।

79. कार्यों, पदाधिकारियों और निधियों के मामले में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता कानून बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को साक्षर बनाने, पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों पर जनप्रतिनिधियों के वेतनमान/मानदेय बढ़ाने, 'स्वर्ण जयंती विकास निधि' योजना के अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों को सालाना विकास कार्यों के लिए धन के सुनिष्चित पैकेज के हस्तांतरण में परिलक्षित होती है।

80. पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को मजबूत बनाने, उनके सषक्तिकरण और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत अध्ययन और तीन विश्वविद्यालयों नामतः हरियाणा कृषि विष्वविद्यालय, हिसार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और महर्षि दयानंद विष्वविद्यालय, रोहतक के बीच श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को साझा करने के उद्देश्य से, सरपंचों और ग्राम सचिवों के लिए मई, 2017 में तीन माह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

81. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत, इस योजना के तहत लगे श्रमिकों को एक अप्रैल, 2017 से 277 रुपये प्रति मानव दिवस की न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2017–18 (दिसंबर, 2017 तक) के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में 65.38 लाख मानव दिवस सृजित करने और 25,377 विकास कार्यों के लिए 223.10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि केंद्र सरकार से समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कर रहे गरीब लोगों को समय पर मजदूरी का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार ने

100 करोड़ रुपये का एक अलग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रिवॉल्विंग फण्ड बनाया है।

82. अपने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना प्रदेश का विकास अधूरा है। मैं ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिए वर्ष 2018–19 के लिए 4,301.88 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित कर रहा हूँ जो संषोधित अनुमान 2017–18 के 3,451.19 करोड़ रुपये से 24.65 प्रतिशत की वृद्धि है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

83. राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में, प्रदेश में 60 अस्पतालों, 8 ट्रॉमा सेंटर, 3 बर्न यूनिट्स, 124 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2,630 उप-स्वास्थ्य केंद्रों और 64 शहरी औषधालयों/पॉलीक्लिनिक्स के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

84. मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 7 प्रकार की सेवाएं, नामतः सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, नैदानिक (एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओपीडी/इनडोर सेवाएं, दवाइयां, रेफरल ट्रांसपोर्ट और दंत चिकित्सा उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के दौरान, हेमोडायलिसिस जैसी कुछ सेवाएं भी सात श्रेणियों के मरीजों जैसेकि बीपीएल मरीजों, अनुसूचित जाति वर्ग के मरीजों, शहरी मलिन बस्तियों के मरीजों, दिव्यांग भत्ता प्राप्त करने वाले मरीजों, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंषनभोगियों और उनके आश्रितों, बिना संभाल वाले सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों और उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी न आने वाले गरीब मरीजों, के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं। बीपीएल, अनुसूचित जाति और आरोग्य कोष मरीजों के लिए कैथ लैब सेवाएं निःशुल्क हैं।

85. सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति पर, सरकार द्वारा लोगों को सीटी स्कैन, एमआरआई, हेमोडायलिसिस और कैथ लैब सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सीटी स्कैन सेवाएं 11 जिला नागरिक अस्पतालों (भिवानी, फरीदाबाद, पंचकूला, गुरुग्राम, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, यमुनानगर, पलवल, जींद और सिरसा) में उपलब्ध हैं तथा 5 और नागरिक अस्पतालों (हिसार, पानीपत, रोहतक, अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी) तक इनका विस्तार किया जा रहा है। एमआरआई सेवाएं 4 जिला नागरिक अस्पतालों (पंचकूला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी) में उपलब्ध हैं।

और नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी में प्रक्रियाधीन हैं। हेमोडायलिसिस सेवाएं 7 नागरिक अस्पतालों (पंचकूला, गुरुग्राम, जींद, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार और अम्बाला छावनी) में संचालित हैं और जल्द ही अन्य शेष जिलों के नागरिक अस्पतालों में संचालित कर दी जाएंगी। नागरिक अस्पताल, पंचकूला और अम्बाला छावनी में हृदय चिकित्सा सेवाएं अर्थात् कार्डियक कैथ लैब और कार्डियक केयर यूनिट्स और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी सेवाएं तथा 20 बिस्तरों वाली कार्डियक केयर यूनिट्स शुरू हो गई हैं तथा फरीदाबाद और गुरुग्राम के नागरिक अस्पतालों में भी इनका विस्तार किया जाएगा।

86. शत—प्रतिषत नाम आधारित उच्च जोखिम गर्भावस्था के मामलों की पहचान करने के लिए 'उच्च जोखिम गर्भावस्था पोर्टल' के नाम से एक अभिनव वेब एप्लिकेशन विकसित करने और लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

87. सरकार की परिकल्पना प्रत्येक जिले में सरकारी या निजी क्षेत्र में, चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की है। इस श्रृंखला में, भिवानी और जींद में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया जारी है। महेन्द्रगढ़ में भी एक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम गुरुग्राम और श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम के सहयोग से गुरुग्राम में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

88. झज्जर के गांव बाढसा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संरक्षण भी स्थापित किया जा रहा है, जो अप्रैल, 2018 से शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से रेवाड़ी में भी एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया है।

89. मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए वर्ष 2018–19 में 4,769.61 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संषोधित अनुमान 2017–18 के 3,815.07 करोड़ रुपये के परिव्यय से 25.02 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रस्तावित परिव्यय में स्वास्थ्य विभाग के लिए 2,964.54 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए 1,344.14 करोड़ रुपये, आयुष के लिए 278.29 करोड़ रुपये, ईएसआई के लिए 160.01 करोड़ रुपये और खाद्य एवं औषध के लिए 22.63 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

स्कूल शिक्षा

90. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन से राज्य शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिष्ठित करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने में सक्षम हुआ है। बहरहाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता मायने रखती है। इसके लिए, राज्य सरकार युवाओं के लिए गुणात्मक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा का प्रावधान करने पर बल दे रही है ताकि वे देषभक्त, स्वस्थ, कुशल और राष्ट्रीय परिसम्पत्ति बन सकें।

91. हमारी सरकार विद्यार्थियों को हमारे समाज और प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों, लोक कलाओं, विरासत एवं रीति-रिवाजों से अवगत कराने और उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व करने तथा हरियाणा की भावी पीढ़ियों के लिए हमारी समृद्ध परम्पराओं के तंत्र को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अध्ययन एवं संस्कार ग्रहण करने की प्रक्रिया के लिए, हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान स्वच्छ प्रांगण, सु-संस्कार, सुगम शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम की नई योजनाएं शुरू की गईं।

उच्चतर शिक्षा

92. राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विस्तार, सुदृढ़ीकरण, रूपांतरण और व्यापक सुधार हुआ है और यह प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। हरियाणा सरकार विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1.18 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इनमें छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन और वजीफा योजनाएं शामिल हैं, जो राज्य के उच्चतर शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता के सिंद्धात के अनुरूप हैं।

93. राज्य के हर कोने में सभी विद्यार्थियों तक उच्चतर शिक्षा की पहुंच सुनिष्ठित करने के लिए वर्ष 2017–18 में अलेवा, हथीन और बरोटा में तीन नए राजकीय महाविद्यालय शुरू किए गए हैं और सरकार ने सोनीपत, शहजादपुर, उकलाना, उगालन, गुल्हा चीका, मानेसर, जुंडला, कुरुक्षेत्र, उन्हानी, छिलरो, कालांवाली, रानियां, मोहना, बिलासपुर, रादौर, बडोली, रायपुर रानी, मंडकोला, नाचौली, लोहारू, तरावड़ी, रिठोज, खेड़ी चोपटा, डाटा, कुलाना, हरिया मंडी, चमू कलां, बल्लबगढ़ और सेक्टर-52, गुरुग्राम में 29 राजकीय महाविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया

है। इन महाविद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इन महाविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं अस्थायी भवनों में शुरू हो जाएंगी।

94. हरियाणा में वर्ष 2017 में गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम और वल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, सोनीपत की स्थापना हुई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत में कक्षाएं वर्ष 2018–19 से शुरू होनी प्रस्तावित हैं।

95. हरियाणा राज्य के 35 राजकीय महाविद्यालयों में बेहतर शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं। राजकीय महाविद्यालय, पंचकूला में एक ऊष्मायन (इंक्यूबैशन) केंद्र स्थापित किया गया है और संचालन के लिए तैयार है।

96. मैं बजट अनुमान 2018–19 में शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा) के लिए कुल 13,978.22 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो संषोधित बजट 2017–18 के 12,606.08 करोड़ रुपये पर 10.9 प्रतिष्ठत की वृद्धि दर्शाता है।

तकनीकी शिक्षा

97. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दो प्रमुख संस्थानों, नामतः भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक और भारतीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), कुरुक्षेत्र के भवन निर्माण के अन्तिम चरण में हैं और शैक्षणिक सत्र 2018–19 से नए परिसरों में कक्षाएं शुरू होने की सम्भावना है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), पंचकूला का निर्माण कार्य षीघ्र ही शुरू होने की सम्भावना है। इसी प्रकार, शैक्षणिक सत्र 2018–19 से राजकीय बहुतकनीकी पिंजौर और पंचकूला के नए भवन में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

98. पंचकूला और रेवाड़ी में दो नए राजकीय बहुतकनीकी—सह—बहु कौशल विकास केन्द्रों और यमुनानगर के सढ़ौरा में एक राजकीय बहुतकनीकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

99. राज्य सरकार ने झज्जर के सिलानी केशो और रेवाड़ी के जैनाबाद में दो नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए हैं, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2017–18 से कक्षाएं शुरू हो गई हैं।

100. मैं बजट अनुमान 2018–19 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 482.95 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संषोधित अनुमान 2017–18 के 401.38 करोड़ रुपये पर 20.32 प्रतिष्ठत की वृद्धि दर्शाता है।

(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुईं।)

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण

101. युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा 'हरियाणा कौशल विकास मिशन' षुरू किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2018–19 में 1.15 लाख युवाओं को प्रषिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। पलवल के दुधोला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। बहरहाल, गुरुग्राम में अस्थायी परिसर से इसका संचालन षुरू हो चुका है।

102. वर्ष 2018–19 में गांव जाखल (फतेहाबाद), सिकरोना (फरीदाबाद), बराना (पानीपत), इंद्री (करनाल), सेहलंग (महेंद्रगढ़), सतनाली (महेंद्रगढ़), मुसेदपुर (गुरुग्राम), हसनपुर (अंबाला), नहोनी (अंबाला), राई (सोनीपत), नचरों (यमुनानगर), महाराजा जस्सा सिंह सफीदों (जीन्द), अलिका (सिरसा), खिजराबाद (यमुनानगर), जाखंदादी (फतेहाबाद), खेवड़ा (सोनीपत), जीवन नगर (सिरसा), सिसाय (हिसार), दारसुलकलां (फतेहाबाद) और जुआं (सोनीपत) में 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, 22 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों नामतः अंबाला शहर, भिवानी, खुद्दान, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रिवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, टोहाना, यमुनानगर, चरखी दादरी (महिला), फरीदाबाद (महिला), गुरुग्राम (महिला) हिसार (महिला), जींद (महिला), पुंडरी (महिला), करनाल (महिला) और रोहतक (महिला) को आदर्श आईटीआई में अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव है।

सक्षम युवा योजना

103. राज्य सरकार सक्षम युवा योजना के तहत सहायता के साथ बेरोजगारों तक पहुंची है। हरियाणा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 100 घंटे का वैतनिक कार्य सुनिष्ठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत, पात्र स्नातकोत्तर और स्नातक उम्मीदवारों को 100 घंटे के कार्य के लिए 6,000 रुपये का मानदेय और स्नातकोत्तर उम्मीदवार को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 3,000 रुपये और स्नातक उम्मीदवार को 1,500 रुपये वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत फरवरी, 2018 के अन्त तक 29,123 स्नातकोत्तर और 19,947 स्नातकों के पंजीकरण को मंजूरी दी गई है।

12:00 बजे

फरवरी, 2018 में इनमें से 10,106 (स्नातकोत्तर) और 4877 (स्नातक) सक्षम युवाओं को विभिन्न विभागों में मानद कार्य उपलब्ध करवाया गया।

104. अब तक उन्हें मानदेय के रूप में 51.43 करोड़ रुपये और बेरोजगारी भत्ता और अन्य भत्तों के रूप में 78.77 करोड़ रुपये की राषि वितरित की गई है।

105. हरियाणा राज्य ने हाल ही में प्रति लाख पर प्रशिक्षुओं का सबसे अधिक नामांकन करने के लिए भारत सरकार से सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में 'चैम्पियन ऑफ चेंज' की उपाधि हासिल की है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में एक समर्पित प्रशिक्षुता प्रोत्साहन प्रकोष्ठ की स्थापना, सभी जिलों में जिला प्रशिक्षुता समितियों के गठन और सभी हितधारकों के साथ नियमित कार्यषालाएं आयोजित किए जाने से यह संभव हुआ है। प्रशिक्षु अधिनियम के तहत फरवरी, 2018 के अन्त तक 8,695 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया हैं और 30,456 प्रशिक्षुओं को काम दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी सरकारी और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशिक्षुता की शुरुआत की गई है और आषा है कि राज्य जून, 2018 तक सरकारी/अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों में 15,000 प्रशिक्षुओं को काम प्रदान कर सकेगा।

106. मैं बजट अनुमान 2018–19 में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 657.94 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संघोधित अनुमान 2017–18 के 458.71 करोड़ रुपये से 43.43 प्रतिष्ठत अधिक है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग

राज्यीय सड़कें

107. हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015–16 में राज्य के सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सड़क तंत्र के समान और भेदभाव रहित विकास का एक कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 में नवंबर, 2017 तक राज्य में 12,721 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार और 184 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया है।

108. हरियाणा में सभी सड़कों को गड्ढों से मुक्त रखने के लिए, प्रगति की 24 घंटे निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए कैमरा और इंटरनेट की सुविधा से युक्त पैचिंग मशीनों का इस्तेमाल करके गड्ढों को भरने की नई मैकेनाइजड पद्धति को अपनाने की पहल करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।

109. राज्य में कुल 759 रेलवे फाटक हैं, जिनमें से 592 मानव नियंत्रित और 167 मानव रहित हैं। राज्य सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से वर्ष 2020 तक सभी मानव रहित रेलवे फाटकों को समाप्त करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है।

110. वर्ष 2016–17 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई—१ और पीएमजीएसवाई—२) के निष्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की हरियाणा ग्रामीण सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। पीएमजीएसवाई—१ और पीएमजीएसवाई—२ की योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त राज्य को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के साथ ही पीएमजीएसवाई—३ के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

111. उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा सरकार की पहल पर, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग—148बी पर रायमलिकपुर (राजस्थान सीमा) –नारनौल–महेंद्रगढ़–चरखी दादरी– भिवानी से राष्ट्रीय राजमार्ग—709 का विस्तार करके खरक तक 155 किलोमीटर लम्बे कॉरिडोर की 1,240.65 करोड़ रुपये लागत की चारमार्गी परियोजना को वार्षिक योजना—2016–17 में शामिल किया गया। इस कॉरिडोर को पांच पैकेजों में विभाजित करके अभियांत्रिकी खरीद अनुबंध पद्धति (ईपीसी) में पूरा किया जाएगा। खरक से भिवानी और भिवानी से मंडोला (चरखी दादरी) तक 517.54 करोड़ रुपये की लागत के दो पैकेजों को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और कार्य प्रगति पर है। मंडोला (चरखी दादरी जिला) से रायमलिकपुर तक के शेष भाग का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। हरियाणा सरकार ने इन तीन पैकेजों का कार्य हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के माध्यम से करवाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया है।

112. राज्य सरकार के आग्रह पर, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग—21ए के लिए अभियांत्रिकी खरीद अनुबंध पद्धति पर 140 करोड़ रुपये की राषि से पिंजौर बाईपास के निर्माण की एक परियोजना स्वीकृत की है।

113. भारत सरकार की सेतु भारतम् योजना के तहत, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरियाणा में 346.69 करोड़ रुपये की कुल लागत से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर आठ आरओबी (जींद में दो, झज्जर, अंबाला शहर, पाली रिवाड़ी, लोहारु, कैथल और पिंजोर में एक-एक) का निर्माण किया जाएगा।

114. भारत सरकार ने 989.13 किलोमीटर लम्बी सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर, हरियाणा राज्य में पड़ने वाले 933 किलोमीटर लम्बे और 23 सड़कों वाले 10 राष्ट्रीय राजमार्गों को सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है।

115. प्रदेश में 427.1 किलोमीटर लम्बी सड़कों नामतः गुरुग्राम—पटौदी—रेवाड़ी (52 किलोमीटर), राष्ट्रीय राजमार्ग 148—बी पर फतेहाबाद—रतिया—बुढ़लाड़ा मंडी (35 किलोमीटर), जींद—सफीदों—पानीपत (73 किलोमीटर), तीतरम मोड़—कैथल—जींद—हांसी (75 किलोमीटर) और हिसार—तोषाम—बाढ़डा—सतनाली—महेन्द्रगढ़—रेवाड़ी (175 किलोमीटर) और फरीदाबाद (खेड़ी पुल)—जसाना—चेरी—माझवाली—अत्ता गुजरां—डंकोर—यमुना एक्सप्रेसवे (19.1 किलोमीटर) सड़क के लिए हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कों) विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और 297.6 किलोमीटर की लंबाई के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी(आईएएचई), नोएडा द्वारा और 32.2 किमी की लंबाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

116. शेष 232.23 किलोमीटर की लम्बाई के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किए जा रहे हैं। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी द्वारा तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स को त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कों) विभाग को सौंपा जा रहा है।

117. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंबाला से कैथल तक राष्ट्रीय राजमार्ग—65 को चारमार्गी बनाने का कार्य प्रगति पर है और कैथल से राजस्थान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग—65 को चार मार्गी बनाने का कार्य पूरा हो चुका है।

118. इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग—73 (पंचकुला से यमुनानगर खंड) को चार मार्गी बनाने का कार्य प्रगति पर

है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के इर्द-गिर्द 135 किलोमीटर लम्बे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 49 किलोमीटर लम्बा भाग हरियाणा के सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों में पड़ता है।

119. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा कुण्डली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे के 53 किलोमीटर लम्बे मानेसर-पलवल खंड को चालू कर दिया गया है। कुण्डली-मानेसर खंड का कार्य प्रगति पर है और निकट भविष्य में पूरा होने की सम्भावना है।

120. वर्ष 2017–18 के दौरान, नूह (मेवात) में सार्वजनिक निजी भागीदारी (टोल) पद्धति पर 14.28 किलोमीटर लम्बी फिरोजपुर-झिरका-बिवान सड़क को सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ के साथ दो मार्गी बनाने का कार्य पूरा हो चुका है।

रेलवे

121. दो रेलवे लाइनों नामतः रोहतक में मौजूदा रोहतक-गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन और रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन को ऊपर उठाने का कार्य प्रगति पर है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत रेलवे मंत्रालय के साथ एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः ‘हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड’ का गठन किया गया है। हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने सात नई रेल परियोजनाओं नामतः (प) यमुनानगर-चण्डीगढ़ वाया नारायणगढ़ और सढ़ौरा, (पप) दिल्ली-सोहना-नूह-फिरोजपुर झिरका—अलवर, (पपप) फरुखनगर-झज्जर-चरखी दादरी, (पअ) जीन्द-हांसी, (अ) भिवानी-लोहारू, (अप) करनाल-यमुनानगर और (अपप) रेलवे स्लाईडिंग परियोजना, मानेसर की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।

122. मैं वर्ष 2018–19 में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के लिए 3,169.70 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो संषोधित अनुमान 2017–18 के 3,084.89 करोड़ रुपये की तुलना में 2.75 प्रतिष्ठत की वृद्धि दर्शाता है।

नागरिक उद्घड़यन

123. तीन चरणों में हिसार हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब के रूप में विकसित करने के लिए एक सामरिक कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रथम चरण में, छः से आठ महीनों में 'उड़ान' (उड़े देष का आम नागरिक) योजना के तहत मौजूदा हवाई क्षेत्र को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट में उन्नत किया जाएगा। इसके उपरान्त, दूसरे चरण में रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग (एमआरओ), पार्किंग और सब-बेसिंग कार्यों के लिए रनवे को 4,000 फुट से बढ़ाकर 9,000 फुट किया जाएगा। अंत में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अध्ययन के उपरान्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

124. राज्य सरकार मौजूदा हिसार हवाई क्षेत्र पर एक ब्राउन फील्ड परियोजना के रूप में समेकित विमानन हब विकसित कर रही है। पिंजौर, करनाल, भिवानी और नारनौल में मौजूदा हवाई पटिटयों को 3,000 फुट से बढ़ाकर 5,000 फुट का करने और दिल्ली हवाई अड्डे से आने वाले हवाई जहाजों की पार्किंग तथा एमआरओ गतिविधियों के लिए पार्किंग स्थल विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

125. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार हिसार से दिल्ली तक छः-लेन के नियंत्रित क्षेत्र एक्सप्रेसवे और तेज गति की ट्रेनों के माध्यम से तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने की सम्भावना की जांच करने के लिए सहमत हो गई है, जिससे दिल्ली और हिसार के आसपास केएमपी एक्सप्रेसवे के बीच की 134 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट से भी कम समय में तय करना सुनिष्ठित होगा। इसके लिए व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

126. मैं वर्ष 2018–19 में नागरिक उड़ायन के लिए 201.27 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो संघोधित अनुमान 2017–18 के 28.35 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 610 प्रतिष्ठत की वृद्धि दर्शाता है।

बिजली एवं सौर ऊर्जा

127. सरकार सभी को बेहतर गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करवाने के लिए कृत-संकल्प है। 'म्हारा गांव, जगमग गांव' योजना के तहत 400 फीडरों के अधीन आने वाले पांच जिलों नामतः पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिरसा के 1,811 गांवों को अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

128. राज्य ने पानीपत शहर में पायलट स्मार्ट ग्रिड परियोजना को क्रियान्वित करके तकनीकी उन्नयन में एक उपलब्धि हासिल की है, जिससे 10,000 उपभोक्ता लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया गया है। सतत भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

129. गत तीन वर्षों के दौरान, 27 नए सब-स्टेशन स्थापित करके और 155 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाकर बिजली सम्प्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। कुल मिलाकर 6,824 एमवीए की सम्प्रेषण क्षमता बढ़ाई गई है और 967 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं। वर्ष 2018–19 में सम्प्रेषण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए 24 नए सब-स्टेशन स्थापित करने, 93 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और लगभग 775 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाने की योजना है।

130. वितरण तंत्र को और अधिक मजबूत एवं विष्वसनीय बनाने के लिए गत तीन वर्षों में 33 केवी के 109 नए सब-स्टेशन स्थापित किए गये हैं, 33 केवी के 231 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 33 केवी की लगभग 1,234 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें बिछाई गई हैं। वर्ष 2018–19 में 105 नये सब-स्टेशन स्थापित करके, 33 केवी के 177 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाकर और 33 केवी की 790 किलोमीटर से अधिक लम्बी नई लाइनें बिछाकर 33 केवी सब-स्टेशन तंत्र के विस्तार के कार्य को तेज किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा

131. राज्य सरकार ने प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप मार्च, 2016 में एक आकर्षक सौर नीति अधिसूचित की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 4030 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 1600 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं होंगी। राज्य में अभी तक 49.8 मेगावाट क्षमता की भूतल और 70 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान, सरकारी सहायता से सरकारी भवनों पर 50 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं और निजी क्षेत्र में

20 मेगावाट क्षमता की रुफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

132. वर्ष 2016–17 के दौरान, सीमित उपयोग के लिए 1.2 मेगावाट क्षमता की एक बायोमास सह–उत्पादन परियोजना स्थापित की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान, सीमित उपयोग के साथ–साथ राज्य ग्रिड को अधिशेष बिजली के निर्यात के लिए 116 करोड़ रुपये के निवेश से नारायणगढ़ चीनी मिल में 25 मेगावाट क्षमता की एक अन्य खोइ/बायोमास बिजली उत्पादन परियोजना षुरू की गई। राज्य में स्थापित यह सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है, जो न केवल गन्ने के पिराई मौसम के दौरान बिजली उत्पन्न करेगी, बल्कि ऑफ–सीजन के दौरान भी बिजली उत्पन्न और निर्यात करेगी। यह परियोजना गन्ना पिराई मौसम के दौरान राज्य ग्रिड को लगभग 16.92 मेगावाट बिजली और ऑफ–सीजन के दौरान लगभग 22.43 मेगावाट बिजली उपलब्ध करवाएगी।

133. खेतों में पराली का जलाया जाना केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के लिए चिंता का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए धान की पराली आधारित बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। विभाग ने राज्य के छः जिलों नामतः करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, जींद, कैथल और अंबाला में लगभग 50 मेगावाट क्षमता की धान की पराली आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए परियोजना डेवलपर्स से प्रस्ताव निवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार ने राज्य में गोबर/पोल्ट्री कचरे/उपयुक्त जैव–कचरे पर आधारित लगभग 20 मेगावाट क्षमता की बायोगैस बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भी प्रस्ताव निवेदन आमंत्रित किए हैं।

134. हाल ही में, राज्य सरकार ने एक नई 'हरियाणा जैव–ऊर्जा नीति 2018' को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य बायोमास पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। इससे राज्य को बायोमास के वैज्ञानिक निपटान में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को हल करने में भी मदद मिलेगी। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 150 मेगावाट या समतुल्य परियोजनाएं स्थापित करने का है।

135. मैं वर्ष 2018–19 में बिजली विभाग के लिए 15,372.16 करोड़ रुपये और गैर–पारंपरिक ऊर्जा विभाग के लिए 112.85 करोड़ रुपये आवंटित कर रहा हूँ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

136. वर्ष 2017–18 के दौरान, 74 चिह्नित बस्तियों को 31 दिसंबर, 2017 तक पर्याप्त पेयजल आपूर्ति का लाभ प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 2018–19 में 272 बस्तियों को यह लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है।

137. सरकार जल आपूर्ति के स्तर को 55/70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति संवर्धन कार्यक्रम के तहत गांवों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं को मजबूत करने पर बल दे रही है। यह कार्य अतिरिक्त नलकूप स्थापित करके, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं का संवर्धन करके, नहर आधारित नए जलघरों के सृजन, बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके किया जाएगा।

138. वर्तमान में, नाबार्ड की वित्तीय सहायता से आठ जिलों नामतः महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी, नूह (मेवात), जींद और पलवल में 516 गांवों और 87 ढाणियों में जल आपूर्ति की वृद्धि के लिए 1,158.45 करोड़ रुपये के कुल निवेष से 14 योजनाएं प्रगति पर हैं।

139. राज्य के सभी 82 कस्बों में पाइप आधारित जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध करवाई गई है, जबकि 79 कस्बों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। दो कस्बों, भूना और बराड़ा में सीवरेज सुविधाएं बिछाने का कार्य प्रगति पर है, जबकि एक कस्बे राजौंद में सीवरेज प्रणाली उपलब्ध करवाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

140. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017–18 के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले तीन कस्बों नामतः फर्रुखनगर, नूंह और हेली मण्डी–पटौदी में 205.05 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजनाएं चालू की गईं। प्रदेश के नौ कस्बों नामतः सोहना, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखौदा, गन्नौर, होडल और समालखा की सीवरेज प्रणाली के संवर्धन के लिए नवम्बर, 2017 में 72.11 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

141. मैं वर्ष 2018–19 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3,719.71 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित करता हूँ जोकि संषोधित अनुमान 2017–18 के 3,141.95 करोड़ रुपये की तुलना में 18.39 प्रतिशत अधिक है।

परिवहन

142. वर्तमान सरकार अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सेवा गुणवत्ता के मानकों के साथ समझौता किए बिना, राज्य के लोगों को न्यूनतम लागत पर पर्याप्त, सक्षम और सुरक्षित परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

143. राज्य में कुल 4100 बसों के बेड़े (31 दिसम्बर, 2017 के अनुसार) के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 11.74 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके रोजाना लगभग 12 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। परिवहन विभाग ने यात्रियों, विषेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज के प्रमुख बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। हरियाणा रोडवेज के तीन डिपो में जीपीएस प्रणालियां स्थापित की गई हैं और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में यह प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। अक्तूबर, 2018 तक हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट इष्टूइंग मशीन शुरू करने का भी प्रस्ताव है। हरियाणा रोडवेज की बसों में एलईडी आधारित गंतव्य बोर्ड लगाए जा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज 40 विभिन्न श्रेणियों के नागरिकों को मुफ्त या रियायती यात्रा सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

144. सरकार सड़क डिजाइन में सुधार, उचित चालक प्रशिक्षण, व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण और सघन प्रवर्तन द्वारा अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए, सड़क सुरक्षा पर बल दे रही है। इस प्रयोजन के लिए सरकार सड़क सुरक्षा कोष स्थापित करेगी।

145. सरकार वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए छ: और वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र स्थापित करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक भी स्थापित किए जाएंगे।

146. मैं वर्ष 2018–19 में परिवहन विभाग के लिए 2,538.40 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संघोधित अनुमान वर्ष 2017–18 के 2,239.43 करोड़ रुपए की तुलना में 13.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

147. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में डिजिटल भारत के विजन के अनुरूप नागरिकों को उनके घरद्वार पर

नकदी रहित, मानव हस्तक्षेप रहित और कागज रहित ढंग से सरकारी सेवाएं मुहैया करवाकर सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को आगे बढ़ाने में व्यापक प्रगति की है।

148. राज्य में कुल 11,986 अटल सेवा केंद्र (ग्रामीण क्षेत्रों में 8204 और शहरी क्षेत्रों में 3782) पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6623 केन्द्र नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2018 के दौरान सभी 6205 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल करने का इरादा है।

149. हरियाणा को डिजिटल क्रांति के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने हेतु चार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र विषिष्ट नीतियां अर्थात् (1) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण नीति 2017, (2) उद्यमी और स्टार्टअप नीति 2017, (3) संचार एवं संयोजिता अवसंरचना नीति 2017 और (4) साइबर सुरक्षा नीति 2017 तैयार कर अधिसूचित की गई हैं।

150. वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई—युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (**उमंग**) योजना के तहत, हरियाणा ने 10 विभागों की 107 सेवाओं को पहले ही शुरू कर दिया है। ऑल—इन—वन एप्प, उमंग भारत के नागरिकों को सिर्फ एक बिलक पर सब कुछ ऑनलाइन करने में सक्षम बनाता है।

151. जनसंख्या 2015 के आधार पर हरियाणा 103 प्रतिशत आधार सेचुरेषन के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। धून्य से पांच वर्ष के आयु वर्ग में आधार नामांकन 78 प्रतिशत है और वर्तमान में देश में हरियाणा पहले स्थान पर है।

152. 'डिजिटल इंडिया' और 'डिजिटल हरियाणा' के विजन के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 25 दिसंबर, 2017 को सुषासन दिवस के अवसर पर 12 विभागों की 106 सेवाओं को पहले ही 'सरल' (सिम्पल ऑल इंक्लूसिव रियलटाइम एक्षन ओरियंटिड लॉन्ग—लारिटंग) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जा चुका है। 'सरल' एक स्थान पर नागरिक सेवाएं प्रदान करने का एक एकीकृत मंच है। अप्रैल, 2018 के अंत तक सभी 387 सेवाओं (सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित) को 'सरल' प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने की योजना है। नागरिकों को बजटीय योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए तहसील स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

153. मैं बजट अनुमान 2018–19 में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 148.66 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संषोधित अनुमान 2017–18 के 127.05 करोड़ रुपये की तुलना में 17.01 प्रतिशत अधिक है।

उद्योग

154. राज्य में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने में उद्योगों के महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। राज्य को विकास के अगले स्तर पर अग्रसर करने के लिए 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किलिंग इंडिया' अभियानों के साथ संरेखित करते हुए एक अनूठी 'उद्यम प्रोत्साहन नीति–2015' (ईपीपी) लागू की गई।

155. हरियाणा में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, राज्य सरकार ने फरवरी, 2017 में हरियाणा उद्योग प्रोत्साहन केन्द्र नामक सिंगल रूफ मैकेनिज्म की स्थापना की है। एकल खिड़की की अवधारणा के साथ आगे बढ़ने और सभी औद्योगिक स्वीकृतियां/लाइसेंस देने के लिए एकल कार्यालय की परिकल्पना करने वाला हरियाणा भारत का एकमात्र राज्य है। इस केन्द्र के माध्यम से सभी औद्योगिक स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन दी जा रही हैं। नई उद्यम प्रोत्साहन नीति ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। वर्ष 2016 में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा देष में 14वें स्थान पर था। उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा आज भारत सरकार के ईज ऑफ डुइंग बिजनेस फेमवर्क की रैंकिंग में देष के सभी राज्यों में पहले स्थान पर आ गया है।

156. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 29,121 करोड़ रुपये का नया निवेष हुआ, जिससे निजी औद्योगिक उद्यमों में 2,03,359 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए। चल रही परियोजनाओं में 45,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेष हो रहा है।

157. राज्य सरकार ने हाल ही में 'हरियाणा टेक्सटाइल पॉलिसी 2018' को मंजूरी दी है, जो पांच प्रमुख स्तंभों नामतः बुनियादी ढांचों के संवर्धन के लिए पहल, राजकोषीय प्रोत्साहन, कौशल प्रशिक्षण/उद्यमशीलता के लिए समर्थन, खादी उद्योग को बढ़ावा और राज्य भर में नए टेक्सटाइल पार्क एवं समूहों की सुविधा पर आधारित है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य (i) टेक्सटाइल क्षेत्र में पांच हजार करोड़

रुपये का निवेश आकर्षित करना, (ii) टेक्सटाइल क्षेत्र में 50,000 नई नौकरियां सृजित करना, (iii) कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देना और (iv) संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है।

158. हरियाणा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रगतिशील विकास को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018' तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य प्रभावी फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करके समस्त फूड वैल्यू चैन में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है, जिससे कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। नीति का लक्ष्य 3,500 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और इस क्षेत्र में 20,000 नए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

खान और भूविज्ञान

159. वर्तमान सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक उठाए गए जन-हितैषी कदमों के फलस्वरूप राज्य में मुकद्दमेबाजी के कारण लंबे समय से बंद पड़ा खनन कार्य पुनः शुरू हुआ है। वर्तमान में, राज्य में 57 खानें संचालित हैं और परिणामस्वरूप, अब सार्वजनिक और निजी उपयोग के लिए अच्छी गुणवत्ता की निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध है।

160. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियमों को भी अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करने और खनन कार्यों के कारण प्रभावित व्यक्तियों/क्षेत्रों के कल्याण के लिए परियोजनाएं शुरू करने हेतु एक अलग कोष सृजित किया जाएगा। इस कोष के तहत पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने जैसी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

161. मैं, बजट अनुमान 2018–19 में उद्योग एवं खनिज के लिए 399.86 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संघोधित अनुमान 2017–18 के 189.11 करोड़ रुपये की तुलना में 111.44 प्रतिशत अधिक है।

पर्यटन

162. राज्य सरकार भौतिक विकास की आवश्यकता के साथ-साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी सचेत है। इसके लिए, राज्य हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव मनाता है। राज्य सिंधु

दर्शन, मानसरोवर यात्रा और गुरु दर्शन यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

163. भारत सरकार ने कृष्ण सर्किट के तहत कुरुक्षेत्र की पहचान एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित की है। इसके लिए, राज्य द्वारा ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी और सन्निहित सरोवर के अतिरिक्त शहरी अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। राज्य ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत रेवाड़ी—महेंद्रगढ़—माधोगढ़ के लिए टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर हैरिटेज सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव भी किया है।

164. मैं वर्ष 2018–19 में इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्यटन के लिए 52.12 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

शहरी विकास

165. षहरी विकास के लिए, षहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर शहरों के रूपातंरण के लिए तीन महत्वाकांक्षी योजनाएं नामतः स्मार्ट सिटीज, अटल पुनरुत्थान एवं षहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत), स्वच्छ भारत मिषन—षहरी, क्रियान्वित की जा रही हैं। भारत सरकार की सहायता से राज्य के स्वयं के संसाधनों से गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

166. देश में विभिन्न चरणों में स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 षहरों में हरियाणा के दो षहरों, फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है।

167. हरियाणा को खुले में षौच—मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। हरियाणा के सभी षहरी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कवर करने के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 15 कलस्टर्स का प्रस्ताव है, जिनमें से चार ऊर्जा अपशिष्ट और 11 खाद/आरडीएफ कचरा परियोजनाएं हैं। दो कलस्टर्स के लिए कन्सेषनेयर्स ने जमीनी स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है।

168. अटल पुनरुत्थान और षहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत) योजना के तहत हरियाणा के 20 षहरों (18 षहरी स्थानीय निकाय) नामतः गुरुग्राम, पंचकूला, अंबाला षहर, अंबाला सदर, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद,

पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, थानेसर, सोनीपत, बहादुरगढ़, पलवल, सिरसा और जींद को कवर किया गया है।

169. राज्य सरकार ने 2022 तक प्रत्येक परिवार के लिए अपना घर सुनिष्ठित करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 882.50 करोड़ रुपये की लागत से 11,259 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति बनाई गई है।

170. मैं शहरी विकास के लिए 5,626.84 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4,221.83 करोड़ रुपये और नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1,405.01 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह परिव्यय बजट अनुमान 2017–18 के 4,973.58 करोड़ रुपये की तुलना में 13.13 प्रतिष्ठत अधिक है।

पुलिस

171. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, वर्तमान राज्य सरकार अपने मेहनकष नागरिकों को समृद्ध और संतुष्ट बनाने के लिए षांति, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘हरियाणा 100’ शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पूरे राज्य को नियंत्रित करने के लिए पंचकूला में केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। ‘हरियाणा 100’ में समर्पित भवन एवं वाहन, प्रौद्योगिकी (सीसीटीएनएस से अलग), प्रभावी प्रतिक्रियाओं का आश्वासन, त्वरित कार्रवाई, अपराध की रोकथाम और संभावित कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, समीक्षा, आपदाओं के लिए आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र, सूचना प्रणाली, परिभाषित भूमिकाओं के साथ संगठनात्मक ढांचा, प्रशिक्षण, विश्लेषण एवं अनुसंधान, नेतृत्व विकास के घटक शामिल होंगे। इससे पुलिसकर्मियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाने में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 153 करोड़ रुपये और वार्षिक परिचालन लागत 40 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

172. दूसरी प्रमुख पहल प्रत्येक पुलिस थाने में पुलिस मित्र कक्ष के रूप में सेवा—सह—शिकायत केंद्र स्थापित करना है। इस परियोजना का उद्देश्य विवादों का निपटान करने और नागरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जन साधारण के साथ मिल कर कार्य करते हुए, एक एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से पुलिस सेवाएं प्रदान करना है। आषा है कि इससे पुलिस बल को और अधिक सेवा उन्मुख बनाने के लिए उनमें व्यावहारिक परिवर्तन आएगा।

173. वर्ष 2018–19 के लिए, गृह विभाग के लिए 4,791.14 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है, जो संषोधित अनुमान 2017–18 के 4,121.73 करोड़ रुपये की तुलना में 16.24 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। प्रस्तावित परिव्यय में पुलिस के लिए 4,702.27 करोड़ रुपये, गृह रक्षी के लिए 33.82 करोड़ रुपये और राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए 55.05 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कल्याण

अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा वृद्धावस्था पेंशन

174. सरकार आधुनिक भारत के महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ पंडित दीन दयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानव दर्शन' एवं 'अंत्योदय' के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विजन को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों, गरीबों और अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित लोगों, महिलाओं तथा बुजुर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं।

175. अनुसूचित जातियों के युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने और उन्हें स्वरोजगार तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए वर्ष 2017–18 में 'राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति' नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

176. सफाई कर्मचारियों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, छानबीन और निगरानी करने के लिए 6 नवंबर, 2017 को हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अधिसूचित किया गया। यह आयोग सफाई कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली विधायी और विकासात्मक नीतियों पर सरकार को परामर्श भी देगा।

177. बाल संवारने की कला की विरासत को पुनर्जीवित व प्रोत्साहित करने, इसकी निरंतरता और उन्नयन तथा इस पेषे में नई प्रौद्योगिकियां लाने में समन्वय तथा सहायता करने के उद्देश्य से नवम्बर, 2017 को हरियाणा केश कला और कौशल विकास बोर्ड का गठन किया गया।

178. बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन 1 नवंबर, 2017 से 200 रुपये बढ़ाकर 1800 रुपये की गई है, जोकि देष में सर्वाधिक है।

179. राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 18–70 वर्ष की आयु वर्ग के प्रदेश के स्थायी निवासी (चाहे वह किसी भी जाति, सम्प्रदाय एवं आय वर्ग का हो) को एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है।

180. मैं वर्ष 2018–19 के लिए, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 6,812.30 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि बजट अनुमान 2017–18 के 5,609.30 करोड़ रुपये से 21.45 प्रतिशत अधिक है।

महिला एवं बाल विकास

181. राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास और सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने तथा उनमें कुपोषण को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

182. राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा 'बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम एक प्रमुख कार्यक्रम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं और यह दूसरों के लिए एक आदर्श बन गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने राज्य के अधिकारियों को अपने अधिकारियों के साथ सफलता के अनुभवों को सांझा करने के लिए आमंत्रित किया है। वर्तमान सरकार के प्रयासों और 'बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ' के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप, लिंगानुपात (जन्म के समय) में काफी सुधार हुआ है, जो 2011 में मात्र 830 की तुलना में 2017 में 914 के स्तर पर पहुंच गया।

183. मैं वर्ष 2018–19 में, महिला एवं बाल विकास के लिए 1,385.73 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संषोधित अनुमान 2017–18 में 1,250.61 करोड़ रुपये की तुलना में 10.80 प्रतिशत अधिक है।

अन्य

जिला योजना स्कीम

184. इस स्कीम के तहत जिला प्रशासन को जिलों में स्थानीय आवध्यकताओं के अनुसार, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, सड़कों, सामुदायिक भवनों और खेल आदि के क्षेत्र में व्यापक विकासात्मक कार्य करने की छूट है। मैं वर्ष 2018–19 के लिए इस स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

185. देश में जुलाई 2017 से जीएसटी के क्रियान्वयन ने ‘एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर’ की अवधारणा को साकार किया है। जीएसटी को अक्षरण: लागू करने में हरियाणा सबसे आगे रहा है। राज्य सरकार ने मौजूदा करदाताओं को सहज रूप से जीएसटी में लाने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने अधिकारियों को ही नहीं बल्कि विभिन्न हितधारकों जैसेकि डीलरों, उद्योगों, व्यापार संघों आदि को भी प्रषिक्षण प्रदान किया है।

186. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस गरिमामय सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा में 28 फरवरी, 2018 तक, 2.35 लाख डीलरों, जोकि वैट, केन्द्रीय आबकारी तथा सेवा कर के तहत पंजीकृत थे, को सफलतापूर्वक जीएसटी के तहत लाया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 1.47 लाख नये डीलरों को पंजीकृत किया गया है, जिससे प्रदेश में पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या बढ़कर 3.82 लाख हो गई है। हालांकि हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन विभिन्न जीएसटी एक्ट के तहत 28 फरवरी, 2018 तक लगभग 32,546 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ देश में उच्च स्थान पर है। जीएसटी के क्रियान्वयन में हरियाणा मॉडल-1 राज्य है, जिसने बैकएंड मॉड्यूल वर्क तथा जीएसटीएन के साथ अवसंरचना का एकीकरण कर लिया है। स्टेट डाटा सेंटर और हैल्पडैस्क स्थापित किए गए हैं।

187. सरकार ने राज्य की संसाधन स्थिति में सुधार के लिए दो प्रमुख योजनाओं, नामतः ‘दी हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर रिकवरी ऑफ आउटरस्टैंडिंग ड्यूज 2017’ और ‘दी हरियाणा आल्टरनेटिव टैक्स कम्लायंस स्कीम फॉर कान्ट्रेक्टर्स

2016' की घोषणा की है। इन दोनों योजनाओं के तहत, वर्ष 2017–18 में क्रमशः 2,328.36 करोड़ रुपये और 833.31 करोड़ रुपये की बकाया राषि वसूल की गई है।

कर प्रस्ताव

188. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मेरा वित्त वर्ष 2018–19 के इन बजट अनुमानों में हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (एचवीएटी) एक्ट, 2003 के तहत करों की वर्तमान दरों में वृद्धि करने या कोई नया कर लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में, विनिर्माण में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए मैं प्राकृतिक गैस पर लगने वाले मूल्य संवर्धित (वैट) कर की दर को 12.5 प्रतिष्ठत से कम करके 6 प्रतिष्ठत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

राजस्व प्राप्तियां

189. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, हालांकि मैंने वर्ष 2018–19 के लिए किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों की बेहतर वसूली के जरिए वर्ष 2018–19 में 76,933.02 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी। इसमें राज्य की स्वयं की 49,131.74 करोड़ रुपये की कर राजस्व प्राप्तियां और 11,302.66 करोड़ रुपये की गैर-कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं।

190. कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों, जीएसटी से 23,760 करोड़ रुपये, वैट से 11,440 करोड़ रुपये, आबकारी धुल्क से 6,000 करोड़ रुपये और स्टाम्प एवं पंजीकरण से 4,500 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। गैर-कर प्राप्तियों में ईडीसी से 4,000 करोड़ रुपये, परिवहन से 2,000 करोड़ रुपये और खनन से 800 करोड़ रुपये शामिल हैं।

191. इसके अतिरिक्त, सरकार अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है, जोकि वर्ष 2018–19 में 19,366.99 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, वर्ष 2018–19 में, भारत सरकार का 7,198.62 करोड़ रुपये का सहायतानुदान वित्तपोषण का एक अन्य प्रमुख स्रोत होगा।

समग्र क्षेत्रवार हिस्सा

192. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं वित्त वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बजट आवंटन के हिस्से का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा। मैंने कुल बजट का 28.7 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं (अर्थात् कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी के लिए 12.22 प्रतिष्ठत, बिजली के लिए

5.87 प्रतिष्ठत, परिवहन, नागरिक उड़ान, सड़क और पुलों के लिए 4.73 प्रतिष्ठत, ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 3.76 प्रतिष्ठत और अन्य के लिए 2.12 प्रतिष्ठत) के लिए आवंटित किया है। इसी प्रकार, 33.89 प्रतिष्ठत सामाजिक सेवाओं (शिक्षा के लिए 12.96 प्रतिष्ठत, समाज कल्याण के लिए 7.46 प्रतिष्ठत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4.14 प्रतिष्ठत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 3.20 प्रतिष्ठत और अन्य के लिए 6.13 प्रतिष्ठत) के लिए आवंटित किया गया है। सामान्य सेवाओं को 14.40 प्रतिशत हिस्सा (प्रशासनिक सेवाओं के लिए 4.79 प्रतिष्ठत, पेंशन के लिए 7.21 प्रतिष्ठत और अन्य के लिए 2.40 प्रतिष्ठत) मिला है और ऋणों (मूल के लिए 10.82 प्रतिष्ठत और ब्याज के लिए 12.19 प्रतिष्ठत) की अदायगी के लिए 23.01 प्रतिष्ठत आवंटित किया गया है।

193. समावेशी विकास का उद्देश्य तब तक अधूरा और अर्थहीन है, जब तक कि उसका लाभ समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं को न मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 40,147.47 करोड़ रुपये के कल्याण एवं विकास योजना परिव्यय का 20.12 प्रतिष्ठत अर्थात् 8,078.45 करोड़ रुपये का परिव्यय, वर्ष 2018–19 में एससीएसपी घटक के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए तथा महिला घटक हेतु 16.52 प्रतिष्ठत अर्थात् 6,633 करोड़ रुपये की राष्ट्र निर्धारित की गई है।

निष्कर्ष

194. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैंने वर्ष 2018–19 के अपने बजट प्रस्तावों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ सरेखित करने का प्रयास किया है, जिसमें राज्य के विकास मानदंडों के सभी पहलु शामिल हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने ‘हरियाणा एक हरियाणवी एक’ की भावना के अनुरूप प्रत्येक हितधारक तक पहुंचने का प्रयास किया है। मेरा बजट अभिभाषण अत्यंत ध्यान व धैर्य से सुनने के लिए, मैं इस गरिमामय सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी सदस्यों से अपने बजट प्रस्तावों, जिनका उद्देश्य संतुलित विकास के नए युग का सूत्रपात करना है, जिसमें राज्य के सर्वांगीण विकास और समृद्धि के लाभों से कोई भी अछूता न रहे, पर चर्चा एवं विचार–विमर्श करने और इन्हें अंगीकार करने का आग्रह करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, यह पंक्ति कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ –

कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें,
 लहर—लहर तूफान मिले और मौज—मौज मझधार हमें,
 फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको,
 इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें।

195. उपाध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ, अब मैं वर्ष 2018–19 के बजट को सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

वन्दे मातरम्!

जय हिन्द!

बजट अनुमान की सॉफ्ट प्रतियां उपलब्ध करवाने तथा विधेयकों को उपलब्ध करवाने के संबंध में निर्देश

उपाध्यक्ष महोदया: माननीय वित्त मंत्री जी, आपने बजट भाषण के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट ले करवाए हैं आगे से आप वित्त विभाग को आदेश दें कि वह उनकी सॉफ्ट कॉपियां ही विधान सभा को भिजवाया करें और इसके साथ 50 हार्ड—कॉपियां ही भिजवाया करें। अगर कोई कॉपियों की मांग करेगा तो उन 50 हार्ड—कॉपी में से विधान सभा सचिवालय द्वारा जिन्हें जरूरत होगी उनको दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूँगी कि ये सारे—के—सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे एक बस्ते में दे दिए जाएं ताकि इन्हें आसानी से ले जाया जा सके तो ज्यादा अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदया, कई बार होता क्या है कि सॉफ्ट—कॉपी से हार्ड—कॉपी के प्रिंट नहीं निकल पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदया: गीता जी, मैंने सॉफ्ट कॉपी के लिए बोला है।

कैप्टन अभिमन्यु: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं बताना चाहूँगा कि माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है वह अच्छा है। हम उन्हें वित्त विभाग की तरफ से विशेष रूप से सोमवार को बस्ते उपलब्ध करवा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदया: पूर्व में देखा गया है कि विभागों द्वारा बिल विधान सभा में पेश होने से एक या दो दिन पहले आते हैं जबकि नियमानुसार 15 दिन पहले आने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें नियमानुसार ढील दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि बिल विधान सभा में पेश होने से कम से कम 5 दिन पहले विधान सभा में भेजना जरूरी होगा, अन्यथा कोई भी बिल स्वीकार नहीं होगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2018 दोपहर 2:00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

12:38 बजे (तत्पश्चात् सभा सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2018 दोपहर 2:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)